खण्ड-02 सत्र -02 (भाग-01) / अंक-17

सोमवार 23 नवम्बर, 2015 / 02 अग्रहायण, 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) सोमवार, 23 नवम्बर, 2015/02 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक-17

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री वेद प्रकाश
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविंद्र शौकीन
10. सुश्री राखी बिड़ला
11. श्री विजेन्द्र गुप्ता
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री गिरीश सोनी
19. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
20. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

21. श्री राजेश ऋषि
22. श्री महेन्द्र यादव
23. श्री नरेश बाल्यान
24 . श्री आदर्श शास्त्री
25. श्री गुलाब सिंह
26. श्री कैलाश गहलोत
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री एस. के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
50. सुश्री सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (1) सोमवार, 23 नवम्बर, 2015/02 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक-17

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : बोलिए-बोलिए

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी....

अध्यक्ष महोदय : जो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, वो मैंने नहीं लिया। मैं बता देता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लेकिन विषय जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जनता जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी के....

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैं कुछ व्यवस्था दे रहा हूं।

मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी तथा माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान और पंकज पुष्कर से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण के नोटिस प्राप्त हुए हैं श्री विजेन्द्र गुप्ता और श्री जगदीश प्रधान के नोटिस में वर्णित विषय मेरे मूल्यांकन के अनुसार अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त श्री पंकज पुष्कर के नोटिस में वर्णित विषय पर विद्यालय शिक्षा से संबंधित विधेयकों पर

सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा के दौरान भी विचार किया जाएगा अतः मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कह दूं?

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। लोक महत्व का मुद्दा नहीं है। मैं पढ़ चुका हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर आप चर्चा नहीं कराएंगे ये देखिए, मैं आपको टेप सुनवाता हूं। ये इस बात की....

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए विजेन्द्र जी ये माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद करिए, विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए। सदन में टेपे लाना सदन की गरिमा के प्रति, सदन की निष्ठा के प्रति, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे नहीं चल पाएगा। कितनी ही बार लाओ, ये टेप लाना अगर एविडैंस है....अपनी कमेटियां बनी हैं, उसमें एविडैंस रखिए। में इस विषय की इजाजत नहीं दे रहा हूं ...व्यवधान...अलका लाम्बा जी प्रश्न काल, सुश्री अलका लाम्बा जी प्रश्न संख्या 41

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी में...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है, मेरी बात समझ लीजिए उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रहता। मैंने सुना है, पढ़ा है। आपका विषय एजुकेशन से संबंधित है, उसका बिल आ रहा है। उस बिल पर चर्चा में भाग लीजिए, व्यवस्था सही रहेगी।

श्री पंकज पुष्कर : मैं अध्यक्ष महोदय से यह जानकारी चाहता हूं... व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : माननीय श्री सत्येन्द्र जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देंगे सुश्री

अलका लाम्बा जी, पुष्कर जी बैठ जाइए मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा प्लीज बैठ जाइए।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक

सुश्री अलका लाम्बा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न सं. 41 प्रस्तुत है;

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली पुलिस द्वारा कुल कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालयों में कितनी चार्ज शीट दाखिल की गई;

(ग) क्या यह सत्य है कि बहुत सी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण अपराधी आजादी से घूमते रहते हैं;

(घ) अपराधों की रोकथाम एवं बिगड़ती हुए कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) किशोर अपराधियों के मामलों में क्या किसी सुधारात्मक उपाय का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : वर्ष 2012-13....

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : एक सैकंड सत्येन्द्र जी आज रिजल्ट आए हुए कितने महीने हो गए? आपने जो मुझे लिख के दिया है कि इतने बच्चे फेल हो गए। रिजल्ट आए हुए कितने महीने हो गए? आज याद आया है? चार महीने हो गए रिजल्ट आए हुए। अप्रैल में नौवीं का रिजल्ट आया था। अब बैठ जाइए आराम से। अब सितम्बर हो गया है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा सत्येन्द्र जी, चलिए।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्र. सं. 41 का उत्तर प्रस्तुत है–

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों में व वर्तमान वर्ष यथा 2012, 2013, 2014 व 2015 (3110-2015 तक) के दौरान दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण निम्न है–

वर्ष	2012	2013	2014	2015 (31.10.15 तक)
कुल संख्या	60367	86800	165562	165768

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों में व वर्तमान वर्ष यथा 2012, 2013, 2014 व 2015 (31.10.2015 तक) के दौरान चार्जशीट का विवरण निम्न है

वर्ष	2012	2013	2014	2015 (31.10.15 तक)
कुल संख्या	31592	39153	40744	33621

(ग) व (घ) सरकार महिलाओं के खिलाफ हुए मामलों से संबंधित संकलित आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है और जल्द से जल्द आधार भूत सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है।

(ङ) महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए बना मंत्री मंडलीय समूल भी विश्लेषण कर रहा है और किशोर अपराधियों, जिन्होंने जघन्य अपराध जैसे कत्ल, बलात्कार व बाल अपराध आदि किए हैं की उम्र 18 से 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी कोई सप्लीमैंटरी है?

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदय।

अभी तक एक लाख पैंसठ हजार सात सौ अड़सठ एफ.आई.आर. हुई है। मुझे लगता है 2012, 2013, 2014 को अगर देखा जाए तो अपने आप में 2015 में सबसे अधिक अपराध और एफ.आई.आर. दर्ज हैं लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने मामलों में एफ.आई.आर. के बाद चार्जसीटेड किया गया तो आंकड़ा अपने आप में एक बार फिर चौंकाने वाला है सिर्फ एक लाख पैंसठ हजार में से तैंतीस हजार सिर्फ तैंतीस हजार पर चार्जशीटेड हुआ है। में मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या आपके विभाग के पास, आपके पास ताकत है कि आप दिल्ली पुलिस किमश्नर से पूछ सकें कि एक लाख पैंसठ हजार से अधिक एफ.आई.आर. होने के बावजूद सिर्फ तैंतीस हजार पर ही चार्जशीटें क्यों हुआ है, इसका जवाब देना चाहेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या का जो कहना है कि इस साल में एक लाख पैंसठ हजार सात सौ अड़सठ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द जी, मैंने आपको, विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेंड। मेरी चेतावनी सुन लीजिए एक बार। आप पहले तो ये टेप सदन में ले के आये हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, ओमप्रकाश जी। आप बीच में मत बोलिए। आप दो मिनट रुक जाइए। वो टेप ले के आए हैं। मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। सदन में इस ढंग के कागज, इस ढंग की टेप, इस ढंग के स्लोगन लाना आपकी जानकारी के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष, नहीं बात सुन लीजिए। कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है ये। कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है ये।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड। मैं विजेन्द्र जी मैं एक घंटे के लिए, प्रश्न काल के लिए आपको बाहर कर रहा हूं सदन से। प्लीज। नहीं प्लीज, प्रश्न काल मेरे लिए बड़ी गम्भीर मुद्दा है। मैं एक घंटे के लिए आपको प्रश्न काल तक के लिए आपको बाहर कर रहा हूं प्लीज। व्यवधान। नहीं में इस पर कुछ नहीं सुनूंगा। एक सेकेंड हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट की। मुझे सदन लोक सभा की तरह से चलाना है। जैसे लोक सभा में सदन चल रहा है और माननीय अध्यक्ष जी ने, मैं बहुत मान-सम्मान करता हूं। स्लोगन, ये टेप लाना सदन के अंदर टेप लाना ये घोर अपमानजनक है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने निर्णय दे दिया है। मैंने निर्णय दे दिया है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं एक घंटे के लिए आपको बाहर कर रहा हूं। प्लीज, आप एक घंटे के बाद आइए। शांतिपूर्वक स्टार्ड क्वेश्चन चलने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, व्यवधान।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर्स को बहुत कम समय मिलता है। नहीं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ होता तो मैं बात करता इस पर। कोई विषय नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये ऑफिसियल नहीं है। व्यवधान....आप भ्रष्टाचार पर बात....व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : देखिए, विजेन्द्र जी, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। एक सेकेंड विजेंद्र जी, मैं सम्मानित तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं। मेंने पुनर्विचार कर लिया। आप शान्तिपूर्वक बैठना चाहते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन ठीक ढंग से चले। निर्वाध रूप से चलें। आप बैठ सकते हैं। नहीं। व्यवधान....मैं नियम के अनुसार जवाब दे रहा हूं। ये आप रूल 293 पढ़ लीजिए। रूल 293 पढ़ लीजिए। नहीं, नहीं तो मुझे मार्शल्स को बुलाना पड़ेगा। नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका सम्मान करते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं वॉक आउट कर दूं?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप वाक आउट कर दीजिए। नो प्राब्लम कोई दिक्कत नहीं। आपका जब मन आएगा, आप आ जाइएगा। आप करिए, मैं इस पर चर्चा नहीं करवा रहा हूं। चर्चा नहीं होगी इस पर। न मैं कोई टेप सुनना चाहता हूं न सदन टेप सुनने का अड्डा है। प्लीज।....व्यवधान। ठीक है ओमप्रकाश जी, स्वीकार किया मैंने। चलिए जो करना है करिए।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : चलिए, ठीक है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के तीनों माननीय सदस्यों ने वाक आउट किया)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, प्लीज। पुष्कर जी मैं आपके उत्तर को, आपके प्रश्न को पढ़ चुका हूं। मैं बहुत शालीनता से कह रहा हूं। सदन के बीच में पढ़ के सुना देता हूं। आपने जो विषय उठाया है कि नौवीं कक्षा में इतने छात्र बैठे, इतने छात्र फेल हुए। ये विषय तात्कालीन विषय नहीं है। बात सुन लीजिए पहले पूरी। पहले पूरी बात सुन लीजिए। तात्कालीन विषय तब हो सकता था जब रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद सदन हुआ। अब ये छः महीने पुराना विषय है। तात्कालीन नहीं है और मैंने कहा। मेरी बात सुन लीजिए। पुष्कर जी। कोई एक तरीके का विधान होता है, नियम होता है। ये अल्पकालिक चर्चा तुरंत कोई लोक महत्व का मुद्दा ऐसा उठा है, आज या कल में उठा है, जो चला गया। दो दिन पहले उठा है तो उसको उठाया जा सकता है लेकिन ये मुद्दा पांच महीने पुराना है। अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज। अब आप ये समय खराब कर रहे हैं। नहीं, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : नहीं छोड़ दीजिए, इसको, चलिए। जैन साहब।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑवर है। मैं आपको भी चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करिए। ये स्टार्ड क्वेश्चन के बाद सदन से आप भी बाहर जाइए प्लीज। अप स्टार्ड क्वेश्चन तक के लिए बाहर चले जाएं। स्टार क्वेश्चन शांतिपूर्वक होने दीजिए।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, मैंने कहा न आप या तो चुप बैठिए या... एक घंटे के लिए पुष्कर जी को सदन से बाहर किया जाए। एक घंटे के लिए पुष्कर जी को सदन से बाहर किया जाए। मार्शल सदन से बाहर करें एक घंटे के लिए।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : स्टार्ड क्वेश्चन तक के लिए आपको सदन से बाहर किया जाता है।

...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : बैठिए-बैठिए। मैंने पढ़ा है। इस पर कोई गलती, मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं सुन रहा हूं। हां, निर्णय मैंने दे दिया है। आप जल्दी

करिए। पन्द्रह मिनट खराब हो गए हैं सदन के। आप करिए, बाहर करिए जल्दी से। मार्शल्स एक्शन लें इमिडियेट। बाहर करें।

...व्यवधान

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : ये सदन सुन नहीं सका है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दुबारा से प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रश्न 41 का एक बार दुबारा से उत्तर दें प्लीज।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा है। उनका कहना बिल्कुल ठीक लग रहा है कि 2012 में 52 परसेंट चार्जशीट हुई थी। 2013 में 45 परसेंट, 2014 में 24 परसेंट और 2015 में आते-आते ये चार्जशीटें 52 परसेंट से कम होके 20 परसेंट रह गयी है। तो जो प्रश्न उन्होंने अभी मेरे सामने रखा है, एनालिसिस करने के बाद लग रहा है कि ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है। इसकी पूछताछ की जाएगी और पुलिस से पूछने के बाद इस सदन को बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हैं।

सुश्री अलका लाम्बा : इसकी एक हकीकत सामने आती है। सामने जो जानकारी दी है। 2012 में अगर साठ हजार तीन सौ सरसठ अगर एफ.आई.आर. हुई है तो 2013 में 87800 और 2014 में एक लाख पैंसठ हजार पांच सौ बासठ। और सबसे चौंकाने वाला 2015 में आपने खुलासा किया है कि 2012 से लेकर अब तक एफ.आई.आर. की जो अपराध दर है, चार-पांच गुना बढ़ी है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं। ये सच्चाई दिखाती है कि एक लाख पैंसठ हजार सात सौ अड़सठ एफ.आई.आर. में सिर्फ तैंतीस हजार पर चार्जशीट होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिन एफ.आई.आर. पर चार्जशीट नहीं किया गया,

क्या दिल्ली पुलिस से आप पूछना जरूरी समझेंगे कि इन मामलों में क्यों चार्जशीट नहीं किया गया है या उन मामलों का क्या किया गया है? दूसरा क्या दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार है कि जिन लोगों को अभी भी पुलिस के द्वारा या तो एफ.आई.आर. नहीं है और है तो हकीकत ये दिखाता है कि एक लाख पैंसठ हजार में से सिर्फ तैंतीस हजार पर ही चार्जशीट हुआ है तो दिल्ली सरकार उनको राहत देने के लिए कुछ कार्रवाईयां कर सकें।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने अभी बताया है फिर भी दुबारा से कहना चाहूंगी कि आदरणीय विधायिका महोदया ने जो कहा है, मुझे भी देखने के बाद पता लगा है जो उन्होंने रेज किया है कि 2012 में 52 परसेंट लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गयी। 2013 में 45 परसेंट रह गई और 2015 में कम होते हुए 20 परसेंट रह गई। काफी आलार्मिंग लग रहा है। इसके बारे में दिल्ली पुलिस से पूछा जाएगा और सदन को पूरा डिटेल में जवाब दिया जाएगा कि ऐसा क्यों है तथा इसका क्या कारण है, बताया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट्री। चलिए, प्रश्न संख्या 42 अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 43 श्री विजेन्द्र गर्ग।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 43 प्रस्तुत है।

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बेड़े में वर्तमान में कुल कितनी बसें हैं; और इनमें से कितनी क्लस्टर बसें हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार को इन क्लस्टर बसों के कुछ ड्राइवरों के लाइसेंस फर्जी होने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो फर्जी लाइसेंस धारक उन ड्राइवरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (श्री गोपाल राय) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर इस प्रकार है–

(क) जी हां।

(ख) कुल बसों की संख्या जो डीटीसी के अंदर चलती है, वो 4461 है। (1) स्टैंडर्ड सीएनजी-680 (2) लो फ्लोर नॉन ए सी बस–2506 (3) लो फ्लोर ए सी बस-1275 (4) डीटीसी कलस्टर बस-0

(ग) डीटीसी के बेड़े में कोई कलस्टर बस नहीं है; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : माननीय मंत्री जी ये कलस्टर बसों का संचालन क्या दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अंतर्गत किया जाता है या नहीं?

परिवहन मंत्री : कलस्टर बसों का आज परिवहन विभाग द्वारा डिम्टस के माध्यम से संचालन किया जाता है।

श्री वेद प्रकाश : जो इनके ड्राइवरों के फर्जी लाइसेंस की शिकायतें आती हैं तो क्या इनके विरुद्ध परिवहन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है?

परिवहन मंत्री : जो भी समय-समय पर शिकायतें आती हैं, उस पर समय-समय पर कार्रवाई होती है।

अध्यक्ष महोदय : ऐनी अदर सप्लीमेंटरी। कोई नहीं? प्रश्न संख्या-44 वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 44 प्रस्तुत है।

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा क्षेत्र में चल रही औद्योगिक इकाइयों का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं की कमी के कारण इनमें चल रही इकाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इन औद्योगिक क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) इन औद्योगिक क्षेत्रों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 44 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) डीएसआईआईडीसी के द्वारा विकसित बवाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 9200 औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं।

(ख) जी नहीं। समस्त मूलभूत सुविधाओं जैसे कि रोड, रेन वाटर ड्रेन, सीवर, पानी, सीईटीपी, स्ट्रीट लाइट, पावर इत्यादि का कार्य डिडोम (The Delhi Industrial Development, Operation and Maintenance) एक्ट के तहत उपलब्ध कर दिया

गया है इसके अलावा पुलिस थाना और लेवर्स के रहने के लिए आवश्यक घरों का भी प्रावधान किया गया है। परन्तु कनेक्टविटी की कुछ समस्या है, जिसके कारण इकाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) एवं (घ) इन कनेक्टिविटी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मैट्रो कोरीडोर पहुंचाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो कि मैट्रो फेस-4 में प्रस्तावित है। मैट्रो कोरीडोर का कार्य दिल्ली मैट्रो द्वारा किया जाएगा। प्रस्ताव बनाकर दिल्ली मैट्रो को भेज दिया गया है। बवाना औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 100 मीटर चौड़ी अरबन एक्सटेंशन रोड (UER-II) बनाने का प्रावधान है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अलावा डीएसआईआईडीसी के अनुरोध के पश्चात डीटीसी ने बवाना के लिए बस सेवा भी शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमेंट्री वेद जी? प्रश्न संख्या-45 विजेन्द्र गुप्ता जी अनुपस्थित है। प्रश्न संख्या-46 भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 46 प्रस्तुत है।

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीटीसी द्वारा किस वर्ग स्तर के कर्मचारियों को घर से कार्यालय तक आने-जाने हेतु फ्री बस पास की सुविधा दी जाती हैं;

(ख) क्या यह सुविधा परिवहन भत्ते के बदले दी जाती है और यह सुविधा कब से लागू की गई है;

(ग) क्या डीटीसी में डेपुटेशन पर आए अधिकारियों को भी फ्री बस-पास की सुविधा दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें परिवहन भत्ता एवं घर से आने-जाने के लिए सरकारी वाहन किस आधार पर उपलब्ध कराया जाता है;

(ङ) क्या परिवहन भत्ते पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो किन प्रावधानों के अंतर्गत और डीटीसी के कर्मचारियों के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है;

(छ) क्या डीटीसी के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाना है; और

(ज) यदि हां, तो डीटीसी के कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है?

परिवहन मंत्री अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 46 का उत्तर प्रस्तुत है : (क) डीटीसी द्वारा सभी वर्ग स्तर के कर्मचारियों को परिचय पत्र के माध्यम से घर से कार्यालय तक आने-जाने हेतु डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा नियमानुसार दी गई है।

(ख) डीटीसी के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। फ्री बस पास की सुविधा 01.09.1952 से दी जा रही है।

(ग) इन अधिकारियों को अलग से फ्री बस पास नहीं दिया गया है।

(घ) डीटीसी में डेपूटेशन पर आने वाले जिन अधिकारियों का ग्रेड-पे 6600/- रूपये या इससे अधिक है, वे परिवहन भत्ता लेने के हकदार है। यदि वे सरकारी वाहन लेते हैं, तो उन्हें परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता हे।

(ङ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक महंगाई भत्ते पर भुगतान किया जा रहा है।

(च) कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी गई है।

(छ) छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल परिवहन भत्ता छोड़कर डीटीसी कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

(ज) उपरोक्त 'च' के अनुसार।

अध्यक्ष महोनय : हां, भावना जी।

सुश्री भावना गौड : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने बहुत सीधे-सीधे शब्दों में सवाल किए हैं उनका सीधे-सीधे शब्दों में जवाब न देकर बड़े गोल-मोल तरीके से ये यहां जवाब दिया गया है। हम लोगों ने अपने प्रश्न 'क' भाग में इस वर्ग स्तर के कर्मचारियों को घर से कार्यालय तक आने जाने हेतु फ्री बस पास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है और उसके बाद में जो आप लोगों ने जवाब दिया है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा बिंदु है कि क्या इसे सुविधा परिवहन भत्ते के बदले दी जाती है और मुझे जवाब मिला है कि डीटीसी के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है। मैं ये पूछ रही हूं कि क्या यह सुविधा परिवहन भत्ते के बदले में दी जाती है और यदि उसको दिया जाता है और ये प्रश्न जितने में भी मैंने किए है वो डीटीसी कर्मचारियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए किए है। डेपूटेशन पर जो लोग आए हुए हैं। ये उनसे संबंधित प्रश्न नहीं है और साथ ही साथ में मेरा एक प्रश्न और है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि क्या परिवहन भत्ता वेतन का हिस्सा है; यदि हां तो इससे मिलने वाला महंगाई भत्ता अलग से कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता, जिसके उत्तर में यह दर्शाया गया है कि कर्मचारियों से छठे वेतन के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। जो कि अस्पष्ट है क्योंकि....

अध्यक्ष महोदय : भावना जी आप सप्लीमेंट्री पूछ रही है।

सुश्री भावना गौड़ : सप्लीमेंट्री है सर ये, सप्लीमेंट्री के साथ-साथ में अगर

वो चीजें नहीं जोडूंगी तो फिर वो पहले आलरेडी मैंने सीधे-सीधे पूछा है तो उसका तो जवाब नहीं आ रहा है ये क्लीयर जवाब नहीं दिया है विभाग ने। मंत्री जी की गलती नहीं है लेकिन जो लोग ये जवाब बनाकर भेज रहे हैं वो गोल-मोल तरीके से जवाब बनाकर के भेजा हुआ है।

परिवहन मंत्री : नहीं, इसमें आपका सप्लीमेंट्री जो है वो आप पूछ लीजिए।

सुश्री भावना गौड़ : सर सप्लीमेंट्री में मेरा क्वेश्चन यह है आपसे कि आप कर्मचारियों को आप जो महंगाई भत्ता देते हैं सर छठे वेतन आयोग के अनुसार।

परिवहन मंत्री : कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मैंने कहा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल परिवहन भत्ता छोड़कर के डीटीसी कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान होता है। परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनको अलग से डीटीसी की बसों में आने जाने के लिए फ्री में सुविधा उनको दी जाती है।

सुश्री भावना गौड़ : फिर सर उसे मूल वेतन के अंदर लागू करते हैं क्या आप लोग ?

परिवहन मंत्री : परिवहन भत्ते को चूंकि आलरेडी अलग से इनको दिया जाता है जो अधिकारी बाहर से आए हैं, उनमें से जो भत्ता लेते हैं उनको बस की सुविधा नहीं दी जाती जो बस की सुविधा लेते हैं, उनको भत्ता नहीं दिया जाता।

सुश्री भावना गौड़ : सर ये प्रश्न जो है जिसका आपने जो जवाब दिया है भाग क, ख, ग का। ख दूसरे प्रश्न का जवाब उसको दो खण्ड में आपसे प्रश्न पूछा है क्या यह सुविधा परिवहन भत्ते के बदले दी जाती है और यह सुविधा कब से लागू की जाती है, कब से लागू की जाती है ये तो आपने दिनांक दर्शा कर के इसमें बताया है कि यह सुविधा 01.09.1952 से शुरू की गई है लेकिन जो पहले खण्ड का जवाब है वो क्लीयर नहीं है। इसमें मंत्री जी बताएं।

परिवहन मंत्री : वहीं तो है डीटीसी के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है क्लीयर है। आपका जवाब तो मैंने दे दिया है कि नहीं दिया जाता है। आने-जाने के लिए बस पास की सुविधा होती है।

सुश्री भावना गौड़ : नहीं, आप उसको किसमें लागू करते हैं सर?

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, क्लीयर मंत्री जी कह रहे हैं कि भत्ता उनको दिया जाता है जो बस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको बस पास दे दिए गए। इसलिए परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता।

सुश्री भावना गौड़ : वो जो कर्मचारी है वो आपके डेपुटेशन के कर्मचारी है या जो...

अध्यक्ष महोदय : रेगुलर कर्मचारी जो है, उनको दिया जाता है।

परिवहन मंत्री : अभी अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप लिखित में देंगे, तो उसका डिटेल जवाब आपको मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बिल्कुल क्लीयर आ गया है।

सुश्री भावना गौड़ : गोपाल जी, आपसे अलग से मिलकर के इसके बारे में बात करूंगी क्योंकि मेरे को ये आपके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई है।

परिवहन मंत्री : आप दोबारा सवाल लगा दें।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी फतेह सिंह जी प्रश्न संख्या-47।

चौधरी फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 47 प्रस्तुत है।

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी की

गई अधिसूचना के तहत लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए सी. एम. वी. आर., 1989, 11(2)(डी) के अंतर्गत कुछ निजी संस्थानों को लर्निंग टेस्ट के लिए कम्प्यूट्रीकृत टेस्ट लेने के लिए अधिकृत किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस अधिसचूना के तहत डीएसआईआर को लर्निंग लाइसेंस टेस्ट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस 39/06/2011 की अधिसूचना एवं सीएमवीआर 1989, 11(2)(डी) के अनुसार लर्नर की पुनः परीक्षा नहीं ली जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो फिर यह पुनः परीक्षा अभी भी क्यों ली जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : उत्तर।

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) ड्राइविंग लाइसेंस की गुणवत्ता एवं सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेण्डम तौर पर इस तरह की चैकिंग होती है।

चौ. फतेह सिंह : माननीय मंत्री जी क्या लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए एनजीओज को किस परसेंटेज में प्रशासन द्वारा कितनी संख्या में लाइसेंस बनाने की, ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है?

परिवहन मंत्री : नहीं, सरकार की तरफ से ये प्रावधान है कि सरकारी विभाग के अलावा भी कई सारे संस्थानों को इस तरह का लाइसेंस दिया गया है और जो दिल्ली के अंदर इस तरह के कार्य करते हैं।

चौ. फतेह सिंह : उसका कितनी परसेंटेज में निर्धारित किया गया है, कितना प्रशासन के द्वारा और कितना एनजीओज या कुछ संस्थानों के द्वारा।

परिवहन मंत्री : वो कोई निर्धारित नहीं है। सरकार इन संस्थाओं या इस तरह की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो किए जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार के या इस तरह के जब आरोप आते हैं, कोई दिक्कत आती है तो रेंडम आधार पर सरकार उसको चैक करती है।

अध्यक्ष महोदय : फतेह सिंह जी यह आखिरी सप्लीमेंट्री है।

चौ. फतेह सिंह : माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी के मुताबिक माननीय हाई कोर्ट के द्वारा इस संबंध में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 परसेंट प्रशासन के द्वारा और 50 परसेंट एनजीओज के द्वारा लर्निंग लाइसेंस इशू किए जाएंगे।

परिवहन मंत्री : ठीक है, हम 100 परसेंट दे रखे हैं लेकिन जहां करप्शन होता है वहां हम रेंडम चैक करते हें और करते रहेंगे।

चौ. फतेह सिंह : थैंक यू मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 48 आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 48 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मैट्रो के अतिरिक्त क्या किसी अन्य सुलभ एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या दिल्ली में लगभग 40 कि.मी. लम्बे जल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए लंदन जैसे अन्य विकसत शहरों की तर्ज पर दिल्ली में जल परिवहन का कोई प्रस्ताव है?

परिवहन मंत्री : प्रश्न संख्या 48 का जवाब प्रस्तुत है :

(क) वर्तमान में परिवहन विभाग में मैट्रो के पैरेलल इक्विवलैंट ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) वर्तमान में इस संदर्भ में भी परिवहन विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमैंटरी? शास्त्री जी।

आदर्श शास्त्री : माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि क्या कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिससे कि डीटीसी और मैट्रो और ऑटो सर्विसेज में एक कामन इन्टीग्रीटिड पास की सुविधा दिल्ली की जनता को उपलब्ध कराई जाएगी?

परिवहन मंत्री : इस तरह का विभाग की तरफ से विचार चल रहा है और जल्दी ही हम, तीनों में बसों में, मैट्रो में और ऑटो में जीपीएस सिस्टम लगते ही इसमें इन्टीग्रेटिड इस तरह का कार्ड जारी करेंगे, कॉमन मोबिलिटी कार्ड जिससे कि दिल्ली वालों को एक ही कार्ड से तीनों जगह सुविधा मिल सके।

श्री आदर्श शास्त्री : आखिरी मेरा एक सवाल है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में लगभग 11 महीने से एक डीटीसी का बस टर्मिनल तैयार है, और अभी तक चालू नहीं किया गया जिसकी वजह से पूरे मंगला पुरी, पश्चिम दक्षिण इलाके में बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है तो कोई जल्द इसको चालू करने का अनुमान मंत्री जी दे पाएंगे ?

परिवहन मंत्री : डिपार्टमेंट इस पर कार्य कर रहा है और जल्दी ही इस पर कार्य करेगा।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैंटरी सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लास्ट माईल कनैक्टिविटी के लिए फीडर सर्विसेज कब तक उपलब्ध कराई जाएगी। Feeder services from Metro points to colonies inside.

परिवहन मंत्री : दिल्ली के अंदर फीडर बस सर्विस आलरेडी चल रही हैं और जिन जगहों पर नहीं हैं, वहां पर नई बसें, अभी फीडर में आने वाली हैं और ज्यों-ज्यों एप्लीकेशन आती जाएंगी, उसके अनुरूप उनको उन जगहों पर अलाट किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 49 जगदीश प्रधान अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 50 श्री नारायण दत्त शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या 50 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार जैतपुर मोड़ से स्कूल रोड, टंकी रोड जैतपुर गांव, खड्डा कॉलोनी की 4-5 लाख जनसंख्या हेतु सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों;

(घ) जैतपुर मोड से मीठा पुर चौक तक लगने वाले भयंकर जाम की समस्या के समाधान हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या 50 का जवाब प्रस्तुत है :

(क), (ख), (ग) डीटीसी द्वारा जैतपुर क्षेत्र से परिचालित रूटों का ब्यौरा संलग्न है। नई बसें आने पर जिस क्षेत्र में बस सेवा नहीं है, उस क्षेत्र में बसों की मांग प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

(घ) व (ङ) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के अंडर नहीं आती फिर भी इस तरह की जो भी सूचना और शिकायतें आती हैं हम दिल्ली पुलिस के पास भेजते हैं और हम उनसे निवेदन करते रहते हैं कि इस तरह की ट्रैफिक की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसका वो समाधान करें।

Bus Service from Jait Pur More to Jait Pur Village Area

Sl. . No	Route No	From	To	No. of Buses (stand.)
1.	409	Molar Bandh School	Old Delhi Rly. Station	2
2.	409 Stl.	Molar Bandh School	Tughlaka bad Metro stn.	2
3.	415	Jaitpur Village	Jal Vihar (T)	1
4.	415 Stl.	Jait Pur Village	Sarita Vihar Metro Station	1
5.	438	Jaitpur Village	Old Delhi Rly. Station	2
6.	453	Jaitpur Extn. (Islampur Road)	N.D. Rly. Station Gate No. 2	1
7.	455	Jaitpur Village	More Gare (T)	2
8.	457	Molar Bandh School	N.D. Rly. Station Gate No. -2	1
9.	460A	Jait Pur Nagar Mkt. Nallah Road	N.D. Rly, Station Gate No.-2	1
		Total		13

LTD & Spl. Trip from Jait Pur Village area to via Jait Pur More

Sl.No.	Trip Time	From	To	On Rt. Via
1.	0520	Jait Pur Nagar Mkt. Nallah Road	Old Delhi Rly. Station	438
2.	0615	Mitha Pur Chowk	Kalkaji Depot	414 Ext.
3.	0830	Mitha Pur Chowk	Anand Vihar ISBT	473 Ext.
4.	0805	Jait Pur Nagar Mkt. Nallah Road	Jantar Mantar	LTD
5.	0815	Jait Pur Nagar Mkt. Nallah Road	J.L. Nehru Stadium	LTD
6.	1810	Anand Vihar ISBT	Mith Pur Chowk	473 Ext.

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंटरी, शर्मा जी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा ये बसें कब तक आएंगी पहले जैतपुर मीठापुर से रूट नं. 451, 406, 415 बसें चलती थी और वे अब अभी बंद हो गई है और हमारी सरकार से पहले वो चलती थी। तो ये उस क्षेत्र की जनता आकर मांग करती है तो कब तक, इनकी समय सीमा कुछ बताएंगे ?

परिवहन मंत्री : अभी दिल्ली सरकार यह कोशिश कर रही है कि एक हजार बसें जो टेंडर है क्लस्टर में उनको लाने के लिए पांच नए डिपों का निर्माण किया जा रहा है। जहां एक हजार बसें आएंगी और आने के बाद जिन जिन जगहों पर बसें नहीं हैं, निवेदन आने पर वहां पर बसों को लगाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 51 श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न संख्या 51 प्रस्तुत है :

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डेंगू की रोकथाम के लिए अलग से टेलीफोन लाइन खोलने की बजाय 1031 भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन का उपयोग डेंगू की रोकथाम के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके स्थान पर अलग से हेल्पलाइन नं. जारी किया जा सकता था; और

(ग) क्या सरकार डेंगू सीजन समाप्त होने के पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन 1031 को दोबारा सक्रिय करेगी ?

उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसौदिया) : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 51 का जवाब इस प्रकार हैः

(क) व (ख) दिल्ली सरकार के कैबिनेट के दिनांक 3 मार्च, 2015 के निर्णय संख्या 2132 के द्वारा दिल्ली सरकार के विभागों को कॉल सेंटर सेवाओं के लिए भारत सरकार के उपक्रम निक्सी द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार समस्त विभाग अपने कार्यों के लिए इस हेल्पलाइन कॉल सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। इसी निर्णय के अनुसार हैल्पलाइन कॉल सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। इसी निर्णय के अनुसार हैल्पलाइन नम्बर 1031 कॉल सेंटर का उपयोग भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों के लिए किया जा रहा है। इसी हेल्पलाइन का उपयोग सरकार द्वारा डेंगू हेल्पलाइन के रूप में भी किया गया।

(ग) भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन 1031 शुभारम्भ से ही निरंतर सक्रिय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 52 महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 52 प्रस्तुत है–

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में बस टर्मिनल के लिए जगह चिन्हित की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार कर दिया जाएगा, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किन-किन रूटों पर कितनी बसें चल रही हैं;

(घ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा रिठाला विधानसभा में इन रूटों पर नई बसें चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए?

परिवहन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 52 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम की 50 रूटों पर 437 बसें (6 ट्रिप) परिचालन में है। इसके अतिरिक्त मैसर्ज डिम्पटस की कलस्टर सेवा की 8 बसें रूट नं. 990 पर और 10 बसें रूट नं. 990-ई पर परिचालन में है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा परिचालित रूटों का ब्यौरा परिशिष्ट पर संलग्न है।

(घ) इस क्षेत्र के रूटों पर स्टैंडर्ड व लो फ्लोर बसें परिचालन में है। नई बसें आने पर आवश्यकतानुसार दिल्ली के विभिन्न रूटों पर बसें दी जाएंगी।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

Route details of Rithala Vidhan Sabha Constituency (Operated by DTC)

Route No.	From	To	No. of Buses
102	Rohini Sec-22 (Lakhi Ram Park)	Old Delhi Rly. Station	1
102 STL	Inder Enclave	Madhuban Chowk	2
106	Qutabgarh Border	Old Delhi Rly. Station	22
106A	Bawana	Old Delhi Rly. Station	4
107	Katewara Village	Old Delhi Rly. Station	2
113	Sannoth Village	Old Delhi Rly. Station	1
113 EXT	Ghoga Village	Azad Pur (T)	3
114	Qutabgarh	Old Delhi Rly. Station	17
114A	Auchandi Border	Azad Pur (T)	4
114B	Katewara Village	Azad Pur (T)	1

Route No.	From	To	No. of Buses
114EXT	Ochandi Bdr	Jat Khore	1
116	Bawana JJ Colony KL Block	Old Delhi Rly. Station	40
119	Bajit Pur Village	Old Delhi Rly. Station	3
123	Harewali Border	Mori Gate (T)	2
130	Ghoga Village	Old Delhi Rly. Station	3
133	Narela Terminal	Mori Gate (T)	1
140	Shahbad Dairy	Mori Gate (T)	22
165	Shahbad Dairy	Anand Vihar ISBT	41
165A	Shahbad Dairy	Anand Vihar ISBT	9
174STL	Jyonti Border	Azad Pur (T)	2
182A	Sukhbir Nagar	ISBT Maharana Pratap Bus (T)	7
191	Harewali Village	Mori Gate (T)	4
247	Kanjhawala Village	ISBT Maharana Pratap Bus (T)	3
741	Jyonti Shivalaya	Mangla Puri	2
741A	Katewara Village	Uttam Nagar (T)	1 Trip
879	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	36
879A	Badli Rly. Station	Janak Puri D-Blk.	3
879B	Shahbad Dairy	Janak Puri D-Blk.	4
889	Rohini Sec-27	H.N. Clock Tower	8
921	Rani Khera	Old Delhi Rly. Station	2
921 EXT	Mubarakpur Dabas	ISBT K. Gate	3

Route No.	From	To	No. of Busesc
957	Rohini Sec-22 Terminal	Shivaji Stadium	35
962	Knjhawala Village	Kend. Terminal	1
962A	Majra Dabas	Shivaji Stadium	2
970	Rohini Sec-1 Avantika	J.L. Nehru Stadium	9
971	Rohini Sec-1 Avantika	Anand Vihar ISBT	56
972	Bawana	Uttam Nagar (T)	16
972A	Bawana	Uttam Nagar (T)	13
975	Rohini Sec-11 Extn SFS Flts	Kend. Terminal	1
984A	Rohini Sec-1 Avantika	Lajpat Nagar	5
985	Shahbad Dairy	R-Block Rajinder Nagar	4 Trip
985A	Shahbad Dairy	Karam Pura (T)	1
988	Qutabgarh	Palika Kendra	2
990	Rithala Village	Shivaji Stadium	9
990A	Rohini Sec-25 (Deep Vihar)	Shivaji Stadium	6
990B	Rajiv Rattan Avas Yojna Sec-3 Bawana	S.N. Depot	3
990 EXT	Rohini Sec-24 (Pkt-18)	Shivaji Stadium	13
990 SPL	Rohini Sec-23 (Pkt-C)	Shivaji Stadium	1

Route No.	From	To	No. of Busesc
Exp-91	Rohini Sec-11 SFS Flats	Shivaji Stadium	1 Trip
Gramin Mudrika	Azad Pur Terminal	Azad Pur(T)	12
	Total		437+6 Trips
	Operated by DIMTS		
990	Rithala	Shivaji Stadium	8
990E	Rohini Sec-23 via Rithala	Shivaji Stadium	10

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमैंटरी।

श्री महेन्द्र गोयल : मैं परिवहन मंत्री जी ने 'क' भाग प्रश्न का उत्तर जी हां में दिया है इसके बारे में पूर्व सरकार थी जो उन्होंने टर्मिनल के लिए एक जगह चिन्हित की थी क्या ये वाकई चिन्हित हुई थी या नहीं। ये एक बार पूरी डिटेल के साथ मुझे चाहिए।

परिवहन मंत्री : अभी जो रिठाला विधान सभा क्षेत्र का नक्शा है, हमारे पास जो सूची है, उसमें रोहिणी के अंदर जगह बस टर्मिनल के लिए चिन्हित है लेकिन वो आपके विधान सभा में उपलब्ध नक्शे के अनुसार नहीं आता। वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आती है।

श्री महेन्द्र गोयल : ये कहां पर आती हैं?

परिवहन मंत्री : ये अभी जो नक्शा है, उसके अनुसार बवाना में आती है।

श्री महेन्द्र गोयल : रिठाला और विजय विहार के साथ में एक जगह थी, जो चिन्हित की गई थी। नोटिस के लिए मैं यह बता रहा हूं। प्लीज इसकी एक बार जांच करवा लें।

परिवहन मंत्री : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैंटरी? प्रश्न संख्या 53 राजेश गुप्ता जी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 54 सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 54 प्रस्तुत है :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कानूनी सहायता उपलब्ध न होने के कारण 30 प्रतिशत से अधिक लोग जेल में सड़ते रहते हैं तथा परिणामस्वरूप जेल में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कैदियों विशेषतः विचाराधीन कैदियों को उनके मामले की ठीक से तैयारी करने हेतु स्टेशनरी इत्यादि के रूप में बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष जी प्रश्न संख्या 54 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क), (ख) व (ग) डीएसएलएसए जो कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करती है, से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिए गए आंकड़े गलत हैं। ऐसा नहीं है कि 30 प्रतिशत लोगों को सहायता नहीं मिलती।

(ख) प्रत्येक जेल में बने कानूनी सहायता प्रकोष्ठ बने हैं, जहां पर डीएसएलएसए/डीएचसीएलएससी द्वारा नियुक्त वकील उपस्थित होते हैं। सभी कानूनी सलाह चाहने वाले हवालातियों का मामला इन वकीलों के पास भेजा जाता है। सभी

बंदियों को मुक्त लेखन सामग्री कागज इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। सभी कानूनी सहायता प्रकोष्ठों में कम्प्यूटर एवं कानून की किताब उपलब्ध हैं। डीएसएलएसए ने सभी प्रकार की कानूनी सलाह के लिए 37 वकीलों को नियुक्त किया है। इसी तरह डीएचसीएचएसएस ने 20 वकीलों को नियुक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमैंटरी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी, जो आपने जवाब दिए हैं इससे बड़ा xxx[1] नहीं हो सकता। आपके विभाग आपको इतना गुमराह कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूं इसका। मुझे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना पड़ा कि मुझे पेपर दिया जाए, कागज दिया जाए, किताबें दिया जाए। आपके विभाग आपको बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। इसमें। I would request earnestly that you should order an investigation. None of these answers are correct and departments are not working at all. People are absolutely at the mercy of the Officers. My earnest request is ये जो आपने जवाब दिलवाया है आपके द्वारा जो डिपार्टमेंट ने जवाब दिए हैं। क्या ऐसा कोई आडिट नियर पास्ट में हुआ है या आगे करने का विचार है कि जो भी आगे जो जवाब अगर मूलतः सिद्धान्त के तरह सही हैं तो इसके बेसिज पर कोई आडिट किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : अभी जो माननीय सदस्य ने xxx[1] बोला है, उसे कार्यवाही से निकाल दें।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया है कि किसी बंदी को लेखन सामग्री नहीं दी जा रही है या कागज नहीं दिया जा रहा है या कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हो रहा है या कानूनी सलाह उपलब्ध नहीं है तो जैसा इन्होंने बताया है, पुराना तो आडिट

xxx[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाला गया।

नहीं है, लेकिन इसका तुरंत आडिट कराया जाएगा और इस सदन को बताया जाएगा और जिनके द्वारा भी इस तरह की सहायता नहीं दी जा रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 55 श्री अजय दत्त।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंटरी है इसी प्रश्न में।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पूछिए।

श्री जरनैल सिंह (रा. गा.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट भी आई हैं कि जितने अण्डर ट्रायल्स हैं, जिनको सजा भी 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, उन मामलों में भी वे दो-दो पांच-पांच साल तक बंद रहते हैं, क्योंकि उनको कानूनी सहायता मिल नहीं पाती है, कोई उनकी जमानत दे नहीं पाता है, तो इस तरह के बहुत लोग हैं। हजारों लाखों इस तरह के लोग जेलों में बंद हैं और एक बहुत दयनीय स्थिति है। इसके ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनको कानूनी सहायता उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि दिल्ली के अंदर हजारों लाखों लोग विचाराधीन कैदी नहीं हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने भी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी कैदी को सजा है, अगर वह तीन साल है और वह डेढ़ साल तक जेल में रह चुका है, उन सब को छोड़ा जा चुका है। अगर ऐसा कोई भी केस हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो उसको कोर्ट के सामने रखकर उसको जल्द से जल्द छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। इस पर कार्रवाई की जा रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब नहीं। आपके सप्लीमैंटरी हो गए। प्लीज बैठिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लॉयर्स इसमें इंगेज किए जाते हैं, जो पैलन पर रखे जाते हैं, वह कितने एक्सपीरिएन्स वाले होते हैं? देखने में आया है कि वह ठीक से प्लीड नहीं कर पाते हैं। तो कितने साल की प्रैक्टिस उसमें मांगी जाती है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी इसका जवाब उपलब्ध नहीं है। यह आपको चैक करवाकर बता दिया जाएगा और अगर इसमें इस तरह की कोई भी कमी पायी जाती है कि एक्सपीरिएन्स कम है और इस बारे में जो भी सुझाव होगा, उसके हिसाब से ठीक किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 56 श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पूछिए।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 55 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैट्रो फीडर बसों की सेवाएं अम्बेडकर नगर से साकेत व मालवीय नगर मैट्रो स्टेशन तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) अम्बेडकर नगर से रूट सं. 521, 580, 512, 680 बस सेवा में कौन-कौन से रूट बंद किए गए हैं;

(ङ) इनमें किस-किस रूट की बस सेवा कम की गई है; और

(च) कलस्टर्स बसें कब से आरंभ होंगी व अम्बेडकर नगर के लिए कितनी कलस्टर बसें उपलब्ध की गई हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 55 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा साकेत स्टेशन से नेहरू प्लेस मैट्रो स्टेशन तक वाया अम्बेडकर नगर 9 मैट्रो फीडर बसें पहले से ही परिचालन में हैं।

(ख) रूट नं. एलएल-75

मैट्रो स्टेशन : साकेत

मैट्रो स्टेशन तक : नेहरू प्लेस मैट्रो स्टेशन

वाया : साकेत, अम्बेडकर नगर, टर्मिनल, बतरा, अस्पताल, संगम विहार, तारा अपार्टमैंट गोविन्दपुरी, देशबन्धु कालेज, नेहरू प्लेस

बसों की संख्या : 9 (नौ)

(ग) उपरोक्त के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डीटीसी द्वारा यह सभी रूट वर्तमान में परिचालन में हैं।

(ङ) डीटीसी द्वारा सितम्बर महीने से अब तक रूट संख्या 512 व 580 पर एक-एक बस कम की गई हैं।

(च) मैसर्स डिम्टस की मई, 2011से रूट नं. 419 पर 22ए 522 पर 20 व 469 पर 24 कुल 66 कलस्टर बसें अंबेडकर नगर से/तक उपलब्ध है।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से क्योंकि यह मेरी कांस्टिट्एन्सी है, तो मुझे लगता है कि इसका डेटा एक बार आप दुबारा चैक करवा लीजिएगा। क्योंकि वहां पर बस ही नहीं चल रही हैं। और मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जो फीडर बसेज हैं, मेरी कांस्टिट्युएन्सी में चार वार्ड हैं। ये जो फीडर बसें हैं, ये बाहर ही बाहर से जा रही हैं कोई भी कांस्टिट्युएन्सी के अंदर से नहीं जा रही हैं, तो क्या आप उनको पुष्प विहार, अंबेडकर नगर, मदर गीर और खानपुर एक्सटेंशन से लगवाने की कृपा करेंगे?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि वे एक बार उत्तर का डिटेल के आधार पर वेरिफिकेशन कर लें और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह।

श्री जरनैल सिंह (रा. गा.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो मैट्रो फीडर बसेज के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। मैट्रो फीडर बसेज का होना चाहिए कि जो मैट्रो स्टेशन के आस पास दो-चार आठ पांच दस किलोमीटर का घेरा है, उस तक वे लोगों को एक सहायता प्रदान करें, वहां तक जा सकें। लेकिन 23-23 किलोमीटर तक मेन रोड पर मैट्रो फीडर के नाम पर बसें चल रही हैं और पुराने समय में ये गड़बड़ कराई गई है और मैं अपेक्षा करता हूं कि मंत्री महोदय इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या इसका कोई रिव्यू चल रहा है?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बसों की संख्या कम होने की वजह से यह सत्य है कि मैट्रो फीडर जिस रूट पर और जितने दायरे पर चलनी चाहिए, समय-समय पब्लिक के ही दबाव पर कि उसके यहां दो किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, चार किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, काफी लम्बी दूरी पर उनका परिचालन हो रहा है। नई बसों के आने के साथ-साथ सभी जो परिवहन के माध्यम हैं, उनका दुबारा रूट रेशनलाइजेशन करके इसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एनी सप्लीमैंटरी। हां भावना जी।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारी मांग के अनुसार मैट्रो स्टेशन से कालोनियों तक जाने के लिए मैट्रो फीडर बसें देने के लिए जो हमने आपको पत्र लिखे हैं, क्या आप वह हमारे क्षेत्र में देने वाले हैं?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले ही सूचित किया है कि मैट्रो फीडर बसों की संख्या अभी जो नई आने वाली हैं, उनमें नई बसें आने के बाद प्राथमिकता के आधार पर जो निवेदन आएंगे, वहां पर उनको लगाया जाएगा। उसके अलावा जैसा हमने कहा कि पूरी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई बड़ी बसों के साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो फीडर बसें हैं, वह बड़ी संख्या में नए प्लान में रूट रेशनलाइज करके लाने का प्लान है। उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन उमसें जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उनका समाधान सरकार जरूर करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 56 श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 56 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुरी से शास्त्री पार्क वाले बस रूट पर बस-स्टाप/शैल्टरों के पुनर्निर्माण/नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 56 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) 1173 आधुनिक बस क्यू शैल्टर बीओटी आधार पर बनाने के लिए तीन बार निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। परंतु निविदा प्रक्रिया सफल न हो पाने के कारण अब चौथी बार 1397 आधुनिक बस क्यू शैल्टर बनाने के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया का कार्य जारी है। इन परिस्थितियों में समय सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमैंटरी। कोई नहीं। प्रश्न सं. 57 श्री आदर्श शास्त्री।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 57 प्रस्तुत हैं :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना तथा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित किए गए औद्योगिक भूखंडों में से कितने भूखंड अभी तक विकसित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या ओखला, मायापुरी जैसे वर्तमान में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या शुरूआती एवं निर्यातोन्मुख इकाई इत्यादि के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान औद्योगिक नीति में बदलाव लाने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 57 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) डीएसआईआईडीसी द्वारा बवाना तथा नरेला में कुल 16312 एवं 3374 औद्योगिक भूखण्ड विकसित किए गए हैं। जिनमें से बवाना में 1038 भूखंड व नरेला में 130 औद्योगिक भूखंड निर्मित नहीं हुए हैं।

(ख) जी हां, मायापुरी में रोड व रेन वाटर ड्रेन बनाने का कार्य काफी तेजी से चल रहा है तथा बचे हुए रोड व ड्रेन का एस्टीमेट बन गया है।

(ग) एवं (घ) जी हां।

रानी खेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है जिसमें शुरूआती एवं निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भी लगाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा कंझावला में औद्योगिक हब बनाने का प्रस्ताव है जो कि उच्च स्तरीय टैक्नॉलोजी एवं प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र की तरह कार्य करेगा एवं बापरौला में भी औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों में नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के उत्तर में ये बात साफ आ गयी कि

बवाना और नरेला में लगभग 21 हजार ऐसे प्लाट हैं, जो कि इण्डस्ट्रियल प्लाट्स हैं लेकिन उनमें से लगभग 19 हजार कोई न कोई कंस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज लगाई जा चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 19 हजार इण्डस्ट्रीज लगी हैं 21 हजार प्लाट्स में, 19 हजार में से कार्यरत... वर्किंग कंडीशन में कितनी हैं और बंद कितनी पड़ी हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय बवाना के अंदर 9200 औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, नरेला के बारे में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। नरेला के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली में लगभग इसी तरह के 13 इण्डस्ट्रियल जोन्स हैं, जो पिछले 45 वर्षों में बनायी गई हैं और मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन 13 इण्डस्ट्रियल जोन्स में अधिकांश इण्डस्ट्रीज जब लगी थीं, वह अब बंद हैं। चाहे वह वे पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज थी, इसलिए बंद हैं या इण्डस्ट्रियल एरिया में थीं और अब वे कार्यरत नहीं हैं या लॉस मेकिंग हैं, इसलिए बंद हैं। तो क्या इनमें से कोई इण्डस्ट्रियल जोन्स ऐसी निर्धारित की जा सकती हैं कि जो केवल ऑन्तरप्रोन्योर का हब हो, और दूसरा क्या कोई ऐसी इण्डस्ट्रियल जोन्स् बनाई जा सकती हैं जो केवल आईटी एक्टिविटीज का हब हो?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया है। परंतु जो औद्योगिक क्षेत्र पहले से डेवलप किए जा चुके हैं, उनके अंदर किसी भी चीज को रिजर्व कर पाना अभी संभव नहीं लगता है। क्योंकि अलग-अलग लोगों के पास उनकी ओनरशिप है और जो पहले बवाना, नरेला आदि इण्डस्ट्रियल एरिया बनाए गए हैं, आज के अनुसार सौ मीटर, डेढ़ सो मीटर के प्लाट हैं। आज के कम्पीटीटिव वर्ल्ड में सौ मीटर के प्लाट में इण्डस्ट्री लगा पाना संभव नहीं है और

तीन-तीन मंजिल में बनाए जाते हैं। इसके अंदर उनको दो-दो स्टेयरकेस बनानी होती हैं। पार्किंग के लिए जगह बनानी होती हैं तो अल्टीमेटली जो इण्डस्ट्री वाला है, उसको नेट एरिया 30-40 प्रतिशत मिलता है, जिसके अंदर वह इण्डस्ट्री लगा सकता है। यह एक्सपैरीमेंट जिस समय किया गया था, उस समय सोचा नहीं गया था कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो आगे जो हमने तीन इण्डस्ट्रियल एरिया जो मैंने बताया है रानी खेड़ा, बापरौला और कंझावला। उन तीनों को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे, मॉर्डन इण्डस्ट्रियल एरियाज बनाए जाएंगे और जिसको जितना भी एरिया चाहिए, उसको सिंगल फ्लोर पर देने की कोशिश की जाएगी ताकि वह ठीक से इण्डस्ट्रीज को चला सके। और उसके अंदर जितने भी आन्तरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन लोगों के लिए भी हम प्रावधान करेंगे और दिल्ली के अंदर नॉन पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कोई भी इण्डस्ट्री जो नॉन पॉल्यूटिंग है, दिल्ली के अंदर, आई टी के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्ट वेयर के अंदर या बायोटैक्नॉलॉजी है, या किसी भी फील्ड में आना चाहे, उनके लिए स्पेस हम तैयार करेंगे और नए तरीके से औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे ताकि उनमें इण्डस्ट्री चलाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, अंतिम प्रश्न।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न और मंत्री जी से सुझाव भी है कि 13 इण्डस्ट्रियल जोन्स हैं। जो नए जोन्स आप बना रहे हैं, उसका बहुत स्वागत है। मगर 13 इण्डस्ट्रियल जोन्स में लाखों एकड़ जमीन फंसी पड़ी है। जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उसमें कुछ जमीन डीडीए की....दिल्ली सरकार की है, अलग-अलग डिपर्टमैंट की होगी। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि लैंड को पूरे स्टेट लेवल पर एक इण्डस्ट्रियसल पॉलिसी लेकर बनाई जाए।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को

बताना चाहूंगा कि दिल्ली की इण्डस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जा चुकी है और उसमें कुछ चेंजेज किए जा रहे हैं। चेंज करके उसे दुबारा से नोटिफाई किया जाएगा। इण्डस्ट्रियल यूज से रिलेटिड काफी सारी चीजें दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर हैं जिनको कि डीडीए सैंटर मिनिस्टरी (यूडी) के माध्यम से नोटिफाई करता है। हमारी उनसे बातचीत चल रही है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाए हैं, उन सभी पर उनसे बातचीत चल रही है, ताकि लोगों को अलग-अलग तरह के काम करने की सुविधा मिल सके। आज तक ऐसा होता था कि जिसने अपना जिस इण्डस्ट्रीज का लाइसेंस लिया है या बताया है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं या बहुत कम तरह की इण्डस्ट्री खोलने का प्रावधान है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो भी ग्रीन इण्डस्ट्रीज हैं, नेगेटिव इण्डस्ट्रीज को छोड़कर सभी तरह की इण्डस्ट्रीज को खोलने के लिए उनको ओपन होना चाहिए। किसी भी इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए हम ये न कहें कि इसमें सिर्फ आईटी हो सकता है या हार्ड वेयर हो सकता है। कुछ भी करें, नॉन पॉल्यूटिंग होना चाहिए और कोई भी कर सकता है। हम उसकी नेगेटिव लिस्ट को बहुत छोटा करना चाहते हैं।

श्री राजेश ऋषि : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो बवाना और नरेला में प्लाट बांट गऐ, जो लोग शहर के बीच में इण्डस्ट्रीज चला रहे थे, उनके लिए ये प्लाट बांटे गए थे, ताकि लोग शहरी क्षेत्र से अपने उद्योगों को बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर कर सकें। लेकिन उन लोगों के उद्योग आज भी शहर के अंदर ही चल रही हैं और उन्होंने जो प्लाट लिए, वह उन्होंने किराए पर लगा रखे हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि वे लोग अपने उद्योगों को वहां ट्रांसफर करें और इसके लिए जबर्दस्ती की जाए क्योंकि वे शहर के अंदर पॉल्यूशन फैला रहे हैं और अपने प्लाट्स को वे गलत तरीके से किराए पर लगाकर अपनी आमदनी भी कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस समय ये पॉलिसी बनाई गयी थी। रिलोकेशन की, उस समय कोर्ट के आदेश से ये हुआ था कि जो लोग अपनी इण्डस्ट्री इण्डस्ट्रियल एरिया में चला रहे हैं, उनको शिफ्ट करके प्लाट दिए जाएं। डीएसआईडीसी और दिल्ली के उद्योग के उद्योग विभाग ने बवाना और नरेला में दिए थे। जैसी शिकायत माननीय सदस्य ने की है, कुछ प्लाट ऐसे हैं जहां पर शायद अभी भी वे ऐसा काम कर रहे हों, उनको हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है और एमसीडी को इसके बारे में लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि जो नॉन पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्रीज हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग इण्डस्ट्रीज हैं, वह भी रेजिडेंशियल एरिया में काफी पॉल्यूशन फैला रही हैं। उनके ऊपर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैंट की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर अगर कोई भी पॉल्यूटिंग इण्डस्ट्री है, दिल्ली का उद्योग विभाग और हमारा पर्यावरण विभाग दोनों मिलकर उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और अगर माननीय विधायक के पास कोई ऐसी जानकारी है, वे हमारे साथ शेयर करें और उनको बंद कराएंगे।

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में सप्लीमैंटरी है कि बवाना इण्डस्ट्रियल एरिया के प्लाट्स को फ्री होल्ड कब तक कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फ्री होल्ड करने के लिए सरकार ने प्रोसेस शुरू कर रखा है। समय सीमा बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि इसे कई जगहों

से पास कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए जहां भी चाहे केंद्र सरकार के पास जाना पड़े, सरकार इसे कराने का प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 58 श्री वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 58 प्रस्तुत है :

क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार का दिल्ली मैट्रो का विस्तार कर इसको रिठाला से बवाना तक ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा, इसका पूर्ण विवरण दिया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 58 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा दिए गए दिल्ली मैट्रो के चरण-4 के प्रारूप में यह प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

(ख) दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित परियोजना का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : वेद प्रकाश जी।

श्री वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1992 के मैट्रो के सबसे पहले फेज में मैट्रो बवाना से रिठाला जानी

प्रस्तावित थी। लेकिन वहां के विधायक कुछ नागवार गुजरे और दायें बायें चले गए। तो दिल्ली सरकार कब तक हम लोगों को बताएगी क्योंकि जो बच्चे तब पैदा हुए थे, वे सारे बड़े हो गए हैं। वे पूछते हैं कि मैट्रो कब आएगी तो मंत्री जी इसके बारे में कोई तारीख एक, डेढ़ दो साल, तीन साल कुछ तो बताएं ताकि हम पब्लिक को बता दें जाकर।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी सदन को सूचित किया कि जो चौथा चरण है, उसमें ये योजना पहले से ही इस प्रारूप में शामिल है। जहां तक तारीख की आपने बात कही है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इसमें हिस्सेदार हैं। तो इस पर विचार के लिए कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन पैसा सैक्शन होने के बाद ही उसकी समयावधि निर्धारित की जा सकती है।

श्री वेद प्रकाश : चौथे चरण का टाइम कितना है सर, मतलब उम्मीद कब तक है?

परिवहन मंत्री : उम्मीद जल्दी की है।

श्री वेद प्रकाश : जल्दी कितना सर एक साल दो साल कुछ तो बताने के लिए हो मेरे पास?

परिवहन मंत्री : जल्दी की है।

श्री वेद प्रकाश : जल्दी नहीं सर। कुछ तो बता दो। दो साल तीन साल...

परिवहन मंत्री : अभी आधा दिल्ली है, आधा केंद्र है।

श्री वेद प्रकाश : सर, 1992 में बवाना जानी थी।

परिवहन मंत्री : हमारा तो जल्दी का ही इरादा है।

श्री वेद प्रकाश : आपको पता है सर, वहां तो डिपो में कुछ भी नहीं है।

परिवहन मंत्री : उसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वह और तेज कर देंगे।

श्री वेद प्रकाश : सर 5-4 साल के अंदर कुछ हो सकता है?

अध्यक्ष महोदय : बड़े प्यार से वेद प्रकाश जी पूछ रहे हैं प्रश्न।

परिवहन मंत्री : आपके प्यार को देखते हुए जो मैं केंद्र से प्रयास कर रहा था, वह और तेज कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक सूचना देनी थी। लास्ट माइल कनैक्टिविटी को लेकर दिलली के अंदर जो बैटरी रिक्शा चलते हैं, आप सभी के संज्ञान में है कि कोर्ट में केस चला था। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको लेकर एक्ट बनाया। एक्ट के तहत मई तक पुराने रिक्शों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख थी, वह खत्म हो गयी। फिर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से काफी प्रयास करके उसकी तारीख हमने 31 दिसम्बर तक बढ़ाई। वह अंतिम तारीख है। यह सारे सदस्यों क्योंकि आपके पास तमाम लोग आते हैं और अब आयें, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी-अपनी जगह पर लोगों से बात करके ये उनसे निवेदन करें कि 31 दिसंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। नहीं तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक केवल 2025 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हुआ है। जब कि सरकार की तरफ से जो भी ई रिक्शा पंजीकृत होते हैं, उसके लिए 15 हजार रु. सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। इसलिए सदन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसमें प्रयास करें और उनको मोटिवेट करें जिससे कि समय रहते ही उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए और लास्ट माइल कनैक्टिविटी सुनिश्चित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये चौथा चरण दिल्ली के कौन-कौन से कोने में जाने वाला है और नाम वाइज कौन-कौन सा क्षेत्र है?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कई हिस्सों में दिल्ली में वह काम होने वाला है। अभी वह सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिने ये सारी सूचना मैप के साथ आपको उपलब्ध करा दी जाएगीं

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला टोकस जी।

प्रोमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो डीटीसी की बसों में ड्राइवर और कण्डक्टर होते हैं, वह भी हमारी दिल्ली की ही जनता है। हम उनका ट्रांसफर इतनी दूर-दूर कर देते हैं, मैंने आपको लिखकर भेजा भी है। उनके पिताजी को कैंसर है। ऐसे ही हमारे पास एक और शिकायत आई थी कि उनका दूसरे डिपो में ट्रांसफर किया गया और वहां पर उनको जान का खतरा है। तो अगर उनके शायद कोई मिस-हैपनिंग होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?

परिवहन मंत्री : किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर आप लोगों के पास आती है तो वह हमें उपलब्ध करायें। उस पर निश्चित रूप से न्यायपूर्ण जो भी कार्रवाई होगी, वह सरकार कराएगी। परिवहन मंत्री जी मैं पहले भी आपके संज्ञान में ये बात मैं ला चुकी हूं कि लिखित में उन्होंने कम्पलेंट की हुई है।

परिवहन मंत्री : उनका जो कम्पलेंट है जो आपने दूसरी बात कही है कि खतरा है कि वह कम्पलेंट हमें दिला दें जिससे कि हम पुलिस को सूचित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला जी एक अंतिम क्वेश्चन रह गया है। बस।

सुश्री प्रमिला टोकस : अध्यक्ष महोदय प्लीज। जो डीटीसी के कंडक्टर और ड्राईवर हैं, उनका ट्रांसफर उनके घर से इतनी दूर कर दिया जाता है कि उनको आने-जाने में ही दो घंटे लग जाते हैं तो मेरा ये परिवहन मंत्री से अनुरोध है प्रार्थना है कि उनका ट्रांसफर जहां उनके घर के पास डिपो है, वहीं किया जाए। ...व्यवधान

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन के बहुत सारे साथियों की समस्या है। व्यक्तिगत रूप से मिलते रहते हैं। मैं एक बात बहुत करबद्ध तरीके से निवेदन करना चाहता हूं डीटीसी के अंदर जितने कंडक्टर और ड्राईवर हैं, उसमें से ९० परसेंट केवल दो हिस्सों से आते हैं एक आते हैं हरियाणा और बवाना नरेला के क्षेत्र से दूसरे आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफफर नगर, मेरठ और इस क्षेत्र से। अगर उन सारे कंडक्टर और ड्राईवर की उनके नजदीकी बस डिपो में और वहां पर पोस्टिंग कर दी जाए तो दिल्ली की ९० परसेंट बस सेवा ठप्प हो जाएगी। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर, बीमारी के आधार पर किसी खास परिस्थिति में उन सब लोगों का ध्यान रखा जाता है और रखा जाएगा। अगर समय-समय पर आप लोग सूचित करेंगे लेकिन सारे साथियों से मेरे पास दो हजार लोगों की एप्लीकेशन है, मुख्यमंत्री आफिस से लेकर के और आप लोगों की। अगर उन सब लोगों को उनके क्षेत्र में कर दिया तो समझो बस गई।

अध्यक्ष महोदय : चलिए। आज प्रश्न काल में सभी क्वेश्चन पूरे हो सकें हालांकि टाईम पूरा हो गया है। अंतिम साठवां, उनसठवां, विजेन्द्र गुप्ता जी उपस्थित नहीं हैं। सोमनाथ भारती जी अंतिम क्वेश्चन है। ये आज पूरे बीस के बीस क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। शांतिपूर्वक पहला दिन है।...व्यवधान

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६० प्रस्तुत है–

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीआरपीसी एवं आईपीसी को दिल्ली सरकार के अधीन रखने की संवैधानिक बाध्यता होने पर भी अनेक न्यायालयों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, दिल्ली सरकार एवं कैबिनेट को नजरअंदाज करते हुए सीधे माननीय उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि असंवैधानिक है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल के दौरान जिला न्यायालयों में मुख्य जन-अधिवक्ताओं के कार्यालय खोलने की पहल की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 60 का उत्तर प्रस्तुत है–

(क) उपराज्यपाल महोदय द्वारा कुछ मामलों में...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया। मैंने बधाई भी दी है आपको, धन्यवाद भी दिया है आपको।...व्यवधान

स्वास्थ्य मंत्री :

(ख) उपराज्यपाल महोदय द्वारा कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किए गए हैं।

(ग) इनमें से एक मामले में दिल्ली गवर्ननमेंट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है जो कि विचाराधीन है।

(घ) व घ मुख्य लोक उपलोक अभियोजक सभी जिला न्यायालयों में नियुक्त कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक सप्लीमैंटरी ले लीजिए सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी ये जो कि सीआरपीसी आईपीसी हमारे अधीन है इसमें public prosecutor section 34 CRPC के अंतर्गत पूर्णतया ये सरकार के अधीन ये अधिकार हैं। उसके बावजूद इस तरह की ऐसे कितने केसेज हुए हैं जो आपने कहा है कुछ मामलों में कृपा करके संख्या बताएं कि ऐसे कितने मामलों में उपराज्यपाल महोदय ने सरकार की अवहेलना करते हुए पुलिस के ऊपर उनका कंट्रोल रहे या उस तरह से उसका आउटपुट कन्ट्रोल कर सकें इसके लिए उन्होंने अपनी मरजी से public prosecutor appoint किया। कितने संख्या में ऐसा हुआ है और साथ-साथ में यह भी पूछ लूं। इसमें मैंने पूछा कुछ है, जवाब कुछ मिला है। मैंने पूछा है पिछले कार्यकाल के दौरान जिला न्यायालयों में मुख्य public prosecutor के कार्यालय खोलने की पहल की गई थी। जिसमें मुझे मिला है कि वह नियुक्त है। नियुक्त तो हमने पूछा ही नहीं है। हमने पूछा है वह आफिसीज ...

अध्यक्ष महोदय : चलिए हो गया।

श्री सोमनाथ भारती : हमें वह आफिसीस खोलने को जो प्रबंध किया गया था। उसका कुछ नहीं हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री : पहले तो मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि कुछ केसेस जो मेरे सामने हैं, श्री अतुल श्रीवास्तव एडीशनल पीपी एफआईआर नंबर 605/15 के अंदर उनको एसाइन किया गया है। एलजी द्वारा डायरेक्ट एप्वाइटमेंट श्री संजय जैन असिसटैंट सॉलिसिटर General assigned by Ms. Supriya Juneja, advocate उनको भी कहते हैं डायरेक्ट एप्वाइंट किया गया है। श्री अनुपम शर्मा एडवोकेट एफआईआर नंबर 1568/14 उनको भी डायरेक्टली एप्वाइंट किया गया है। इस तरह के चार केस तो मेरे सामने हैं। टोटल डायरेक्टली एप्वाइंट नम्बर आफ केसेस जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है हमारे से पूछा है उनको लिखित में

जवाब दे दिया जाएगा कि कितने ऐसे केस हुए हैं जहां पर माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार को संज्ञान में ना लेते हुए डायरेक्टली अपने आप ही प्रोसीक्यूटर को नियुक्त किया है। ये बता दिया जाएगा।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

42. श्री ओ. पी. शर्मा, श्री जगदीश प्रधान : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शलों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने मार्शलों की नियुक्ति की गई है और इन मार्शलों की नियुक्ति किन नियमों के अनुसार की गई है;

(ग) इनको दिल्ली के किन-किन बस रूटों में लगाया गया है; और

(घ) निकट भविष्य में किन-किन रूटों पर इनको तैनात किए जाने का प्रस्ताव है, विवरण दें?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) डी.टी.सी. से प्राप्त सूचना के अनुसार : 1410 होम गार्ड तथा 572 डीटीसी कर्मचारियों (कुल-1982) को डी.टी.सी. की बसों में मार्शल को ड्यूटी पर लगाया गया है। दिल्ली होम गार्ड की नियुक्ति से संबंधित नियमों के अनुसार होम गार्ड की नियुक्ति की गई है। डीटीसी के वर्कशाप (कर्मशाला) कर्मचारी अनुपात की अधिकता होने के कारण उन्हें मार्शल ड्यूटी पर लगाया गया है।

(ग) डी. टी. सी. द्वारा दी गई ऐसे रूटों की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न है।

(घ) अतिरिक्त मामलों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर डी.टी.सी. बसों पर इन मार्शलों को तैनात कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	रूट सं.	कुल ड्यूटियां		ड्यूटियों की संख्या जहां होम गार्ड वर्तमान में तैनात हैं		ड्यूटियों की संख्या जहां होम गार्ड तैनात किए जाने हैं	
		प्रातःकालीन पारी (शिफ्ट)	सायंकालीन पारी (शिफ्ट)	प्रातःकालीन पारी (शिफ्ट)	सायंकालीन पारी (शिफ्ट)	प्रातःकालीन पारी (शिफ्ट)	सायंकालीन पारी (शिफ्ट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8	29	29	0	0	15	25
2.	17	1	1	0	1	1	0
3.	19	6	5	0	4	5	3
4.	26	3	3	0	2	3	-1
5.	33	50	48	0	20	0	28
6.	34	59	59	0	6	25	51
7.	39	37	38	0	20	24	-8
8.	61	2	2	0	1	2	-1
9.	73	21	18	0	8	15	10
10.	78	22	22	0	8	22	14
11.	85	14	14	0	4	14	10
12.	101	1	1	0	0	1	-1
13.	102	3	0	0	0	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	103	6	6	0	4	6	-2
15.	104	1	2	0	1	1	-1
16.	105	1	1	0	1	1	0
17.	106	21	21	0	13	21	-8
18.	107	2	3	0	2	2	-1
19.	108	9	9	0	5	9	4
20.	109	1	1	0	1	1	0
21.	112	2	2	0	1	2	-1
22.	113	2	2	0	2	2	0
23.	114	17	16	0	10	17	-6
24.	115	5	3	0	2	5	-1
25.	116	42	43	0	17	38	-22
26.	118	12	12	0	7	0	5
27.	119	3	3	0	2	3	-1
23.	120	23	23	0	13	23	-10
29.	123	2	2	0	1	2	-1
30.	124	2	2	0	1	2	-1

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	125	11	11	0	7	11	-4
32.	127	9	9	0	5	9	-4
33.	128	3	3	0	2	3	-1
34.	129	1	1	0	1	1	0
35.	130	2	2	0	1	2	-1
36.	131	28	27	0	16	21	-1
37.	133	1	1	0	1	1	0
38.	134	3	3	0	2	3	-1
39.	135	1	1	0	1	1	0
40.	136	6	6	0	4	6	-2
41.	137	3	2	0	1	3	-1
42.	138	2	2	0	2	2	0
43.	142	0	0	0	0	0	0
44.	143	1	1	0	1	1	0
45.	144	7	7	0	4	7	-3
46.	146	2	2	0	1	2	-1
47.	147	1	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	148	1	1	0	1	1	0
49.	149	2	2	0	2	2	0
50.	154	2	2	0	1	2	-1
51.	159	10	10	0	3	10	7
52.	160	2	2	0	1	2	-1
53.	162	2	2	0	1	2	-1
54.	163	2	2	0	1	2	-1
55.	165	42	38	0	25	21	-3
56.	166	32	31	0	14	32	-11
57.	169	3	3	0	1	3	-2
58.	171	5	5	0	3	5	-2
59.	172	3	3	0	2	3	-1
60.	173	1	1	0	1	1	0
61.	175	5	5	0	4	5	-1
62.	179	3	3	0	1	3	-2
63.	180	2	2	0	1	2	-1
64.	181	21	20	0	9	21	7

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	183	1	1	0	1	1	0
66.	185	4	5	0	3	4	-2
67.	191	4	4	0	2	4	-2
68.	192	10	11	0	6	5	-1
69.	193	3	3	0	2	3	-1
70.	194	2	2	0	1	2	-1
71.	195	1	1	0	1	1	0
72.	199	3	3	0	3	3	0
73.	205	8	8	0	2	0	1
74.	210	6	5	0	4	0	1
75.	211	10	6	0	6	0	0
76.	212	23	22	0	17	5	5
77.	213	2	2	0	2	0	0
78.	214	17	16	0	8	3	8
79.	216	1	1	0	1	0	0
80.	219	6	5	0	4	4	-1
81.	227	1	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	234	11	8	0	6	0	2
83.	235	5	4	0	2	3	-2
84.	236	13	12	0	7	5	3
85.	241	1	1	0	1	0	0
86.	246	4	2	0	0	0	2
87.	247	3	3	0	1	3	-2
88.	253	7	6	0	4	2	2
89.	254	28	21	0	17	25	-4
90.	255	3	3	0	1	0	2
91.	258	10	10	0	8	0	2
92.	259	8	8	0	3	7	-5
93.	260	1	0	0	0	0	0
94.	261	5	4	0	1	0	3
95.	262	1	2	0	1	1	-1
96.	263	1	1	0	0	0	1
97.	266	1	1	0	1	1	0
98.	270	1	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	271	1	1	0	1	1	0
100.	273	12	11	0	7	3	4
101.	274	6	6	0	0	6	4
102.	281	1	1	0	1	0	0
103.	301	3	3	0	3	0	0
104.	302	0	1	0	1	0	0
105.	306	13	13	0	6	13	7
106.	307	18	14	0	8	14	6
107.	309	21	21	0	9	20	12
108.	310	8	8	0	4	0	4
109.	313	2	2	0	1	1	1
110.	317	1	2	0	2	0	0
111.	319	23	23	0	21	0	2
112.	320	2	2	0	1	0	1
113.	323	13	13	0	5	13	8
114.	326	2	3	0	1	0	2
115.	331	2	2	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
116.	333	7	6	0	5	7	-1
117.	335	1	0	0	0	0	0
118.	340	7	4	0	3	0	1
119.	341	1	1	0	1	1	0
120.	347	19	16	0	3	0	13
121.	348	5	5	0	1	5	4
122.	355	6	6	0	0	0	6
123.	374	13	13	0	2	10	11
124.	375	1	1	0	1	0	0
125.	378	2	2	0	1	0	1
126.	392	41	41	0	12	28	29
127.	393	4	4	0	0	0	4
128.	400	3	3	0	3	3	3
129.	402	2	2	0	1	2	1
130.	403	5	5	0	3	5	2
131.	404	1	1	0	0	1	1
132.	405	10	8	0	4	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	408	5	5	0	3	5	2
134.	409	2	2	0	0	2	2
135.	410	12	12	0	4	12	3
136.	411	3	3	0	0	3	3
137.	413	16	16	0	2	16	14
138.	415	1	0	0	0	1	0
139.	419	20	18	0	9	13	9
140.	423	11	12	0	2	11	10
141.	425	3	8	0	5	8	3
142.	427	19	19	0	6	19	13
143.	429	12	10	0	3	2	7
144.	433	23	23	0	3	23	20
145.	438	1	1	0	0	1	1
146.	440	10	10	0	3	10	7
147.	442	18	17	0	6	18	-11
148.	443	14	13	0	5	5	8
149.	445	2	2	0	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
150.	447	2	3	0	2	2	-1
151.	449	1	1	0	1	1	0
152.	450	10	7	0	2	10	5
153.	453	1	1	0	0	1	1
154.	454	1	1	0	0	1	1
155.	455	1	1	0	0	1	1
156.	457	1	1	0	0	1	1
157.	458	1	1	0	0	1	1
158.	460	9	9	0	3	9	6
159.	463	7	7	0	2	7	4
160.	465	2	2	0	1	2	1
161.	467	1	1	0	0	1	1
162.	469	27	27	0	12	12	15
163.	473	8	8	0	3	8	5
164.	474	1	1	0	0	1	1
165.	479	23	23	0	6	23	-17
166.	480	2	2	0	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
167.	490	2	1	0	0	2	1
168.	492	18	18	0	2	18	16
169.	500	6	5	0	0	6	5
170.	501	6	4	0	2	0	2
171.	502	35	32	0	13	32	19
172.	503	2	1	0	0	2	1
173.	505	6	6	0	3	6	3
174.	506	1	1	0	0	1	1
175.	507	5	5	0	2	5	3
176.	508	1	0	0	0		0
177.	509	1	1	0	0	1	1
178.	512	2	2	0	0	2	2
179.	516	7	6	0	3	7	3
180.	517	3	3	0	0	3	3
181.	519	5	5	0	3	5	2
182.	520	2	1	0	0	2	1
183.	521	5	5	0	2	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8
184.	522	15	15	0	5	15	10
185.	523	13	13	0	5	13	7
186.	525	5	5	0	1	5	4
187.	534	27	27	0	23	0	4
188.	536	1	1	0	0	1	1
189.	539	1	1	0	1	1	0
190.	540	8	8	0	3	8	5
191.	542	3	3	0	0	3	3
192.	544	22	22	0	10	22	12
193.	548	4	3	0	0	4	3
194.	567	27	24	0	5	27	15
195.	568	9	9	0	7	9	0
196.	569	18	18	0	13	18	-5
197.	573	16	14	0	8	16	6
198.	580	2	2	0	0	2	2
199.	581	2	1	0	0	2	1
200.	588	12	14	0	9	12	5

1	2	3	4	5	6	7	8
201.	604	30	30	0	12	30	18
202.	605	2	2	0	0	2	2
203.	610	15	15	0	8	15	-5
204.	611	1	1	0	1	0	0
205.	615	13	13	0	4	13	9
206.	620	11	11	0	3	10	8
207.	621	7	7	0	3	5	4
208.	622	3	2	0	1	0	1
209.	623	34	33	0	16	18	17
210.	529	2	0	0	0		0
211.	680	11	10	0	2	11	8
212.	701	9	6	0	3	9	-3
213.	706	2	2	0	1	2	1
214.	707	1	1	0	1	1	0
215.	708	19	20	0	17	19	-1
216.	711	20	20	0	8	20	12
217.	714	4	4	0	0	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8
218.	715	6	9	0	8	6	1
219.	717	26	22	0	8	22	14
220.	718	9	9	0	4	9	5
221.	719	1	1	0	1	1	0
222.	720	12	7	0	5	3	2
223.	721	32	25	0	15	17	10
224.	722	3	1	0	1	3	0
225.	724	18	17	0	7	18	10
226.	725	6	6	0	2	6	4
227.	727	11	11	0	8	11	3
228.	729	35	32	0	11	26	21
229.	740	15	15	0	8	15	7
230.	741	2	2	0	1	2	-1
231.	745	1	1	0	1	1	0
232.	753	50	52	0	25	46	25
233.	761	22	23	0	16	22	3
234.	764	49	47	0	22	49	25

1	2	3	4	5	6	7	8
235.	765	1	1	0	1	1	0
236.	770	10	10	0	7	10	3
237.	778	21	21	0	13	21	8
238.	781	16	16	0	8	16	8
239.	783	3	0	0	0	3	0
240.	790	4	2	0	2	4	0
241.	794	11	11	0	5	11	6
242.	801	3	2	0	1	3	1
243.	803	5	5	0	5	5	0
244.	804	4	4	0	2	4	-2
245.	808	3	2	0	2	3	0
246.	809	0	1	0	1	0	0
247.	810	4	4	0	2	4	2
248.	813	1	1	0	1	1	0
249.	816	9	9	0	4	9	5
250.	817	38	37	0	20	36	13
251.	818	6	5	0	4	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8
252.	819	2	2	0	2	2	0
253.	822	2	2	0	2	2	0
254.	823	7	9	0	2	7	3
255.	824	1	0	0	0	1	0
256.	325	2	0	0	0	2	0
257.	826	2	3	0	3	2	0
258.	827	10	10	0	7	10	3
259.	828	4	5	0	4	4	1
260.	329	2	3	0	3	2	0
261.	832	3	8	0	4	8	4
262.	834	1	1	0	1	1	0
263.	335	12	13	0	10	12	3
264.	336	8	3	0	2	3	1
265.	841	1	1	0	0	1	-1
266.	842	1	1	0	1	1	0
267.	844	1	2	0	2	1	0
268.	845	1	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
269.	848	1	1	0	1	1	0
270.	853	9	6	0	5	9	1
271.	854	1	0	0	0	1	0
272.	857	1	1	0	1	1	0
273.	858	0	1	0	1	0	0
274.	862	2	2	0	2	2	0
275.	863	3	2	0	2	3	0
276.	872	1	1	0	1	1	0
277.	873	1	0	0	0	1	0
278.	876	1	1	0	1	1	0
279.	878	1	2	0	2	1	0
280.	879	36	35	0	25	36	2
281.	882	1	1	0	1	1	0
282.	383	18	17	0	8	15	9
283.	886	1	1	0	1	1	0
284.	887	1	2	0	2	1	0
285.	389	7	7	0	3	7	-4

1	2	3	4	5	6	7	8
286.	891	20	19	0	7	20	2
287.	894	11	11	0	4	11	7
288.	898	1	1	0	1	1	0
289.	901	26	26	0	11	26	-15
290.	908	4	4	0	3	4	-1
291.	910	18	18	0	9	18	9
292.	912	9	6	0	3	9	-3
293.	914	1	1	0	1	1	0
294.	915	1	1	0	1	1	0
295.	917	3	2	0	1	3	1
296.	918	17	19	0	9	11	10
297.	921	2	2	0	1	2	-1
298.	922	2	2	0	1	2	1
299.	923	2	2	0	1	2	-1
300.	924	1	1	0	1	1	0
301.	926	12	16	0	13	12	-3
302.	927	5	2	0	1	5	-1

1	2	3	4	5	6	7	8
303.	928	5	5	0	3	5	-2
304.	929	3	2	0	1	5	-1
305.	931	1	1	0	1	1	0
306.	934	2	2	0	2	2	0
307.	935	3	3	0	2	3	-1
308.	937	21	21	0	13	21	-8
309.	938	2	2	0	1	2	-1
310.	939	9	9	0	6	9	-1
311.	940	8	8	0	4	8	-4
312.	941	1	0	0	0	1	0
313.	943	4	4	0	2	4	-2
314.	944	8	8	0	6	8	-2
315.	947	2	2	0	1	2	-1
316.	949	24	25	0	14	20	9
317.	951	5	5	0	3	5	-2
318.	952	2	1	0	1	2	0
319.	954	18	18	0	6	14	4

1	2	3	4	5	6	7	8
320.	957	35	35	0	16	35	-13
321.	961	0	0	0	0	0	0
322.	962	1	1	0	1	1	0
323.	963	2	3	0	1	2	2
324.	966	31	30	0	14	29	12
325.	968	0	1	0	1	0	0
326.	970	12	12	0	6	12	-6
327.	971	56	54	0	44	31	-2
328.	972	12	15	0	9	12	0
329.	975	2	2	0	1	2	-1
330.	978	21	22	0	13	21	-9
331.	979	4	4	0	3	4	-1
332.	980	9	8	0	7	9	-1
333.	981	0	0	0	0	0	0
334.	982	13	13	0	8	12	-5
335.	983	1	1	0	1	1	0
336.	984	5	5	0	3	5	-2

1	2	3	4	5	6	7	8
337.	988	2	2	0	1	2	-1
338.	990	9	9	0	2	9	-7
339.	991	8	8	0	7	8	-1
340.	998	0	1	0	1	0	0
341.	131 Night	1	1	0	1	1	0
342.	34A	9	9	0	7	0	2
343.	Gurgaon	25	25	0	8	25	17
344.	(-)OMS	33	33	0	14	33	19
345.	(+)OMS	25	25	0	11	25	14
346.	(+)WMS	1	1	0	1	1	0
347.	0926 (Night Service)	0	2	0	1	0	-1
348.	0118	0	1	0	1	0	0
349.	0261 (N)	0	3	0	3	0	0
350.	0405 (Night)	0	3	0	4	0	-1
351.	0419B	0	3	0	3	0	0
352.	0502	0	3	0	3	0	0
353.	0543A	0	2	0	2	0	0
354.	0604 Night	0	3	0	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
355.	0729 (Night)	0	4	0	4	0	0
356.	0740 AC	0	8	0	4	0	4
357.	0901	3	3	8	2	3	-1
358.	0-943 N	0	2	0	2	0	0
359.	DGL23 (Night)	0	10	0	10	0	0
360.	0OMS	0	4	0	2	0	2
361.	100A	8	8	0	6	8	-2
362.	102 STL	1	1	0	1	1	0
363.	103STL	2	2	0	1	2	-1
364.	106A	4	3	0	2	4	-1
365.	113 EXT.	2	2	0	1	2	-1
366.	114 EXT.	1	1	0	1	1	0
367.	114A	4	4	0	3	4	-1
368.	114B	1	2	0	1	1	-1
369.	118E XT.	5	5	0	3	0	2
370.	1208	2	2	0	1	2	-1
371.	142A	2	3	0	1	2	-2

1	2	3	4	5	6	7	8
372.	165A	8	8	0	1	6	-7
373.	174 STL	2	2	0	1	2	-1
374.	181A	19	19	0	10	19	1
375.	182A	7	6	0	4	7	-2
376.	192 STL	3	2	0	2	3	0
377.	19A	2	2	0	1	2	-1
378.	19B	4	4	0	2	4	-2
379	211	7	7	0	5	0	2
380.	213A	3	3	0	2	0	1
381.	219 STL	6	6	0	4	6	-2
382.	227A	5	4	0	2	0	2
383.	227B	2	2	0	1	0	1
334.	234A	15	13	0	5	15	8
385.	236 Night	0	2	0	2	0	0
386.	236 Ext.	5	5	0	3	5	-2
387.	26A	0	0	0	0	0	0
388.	270A	1	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
389.	307A	5	5	0	1	0	4
390.	309	10	10	0	8	0	2
391.	319-A	3	3	0	0	0	3
392.	33A	3	1	0	0	0	1
393.	348	3	3	0	2	0	1
394.	349	3	3	0	0	0	3
395.	34A	10	9	0	7	10	2
396.	34AC	2	2	0	0	2	2
397.	373	4	4	0	2	0	2
398.	390	3	2	0	1	0	1
399.	391	3	3	0	2	0	1
400.	392/AC	13	13	0	3	13	10
401.	398 EXP	5	5	0	3	0	2
402.	39A	3	3	0	2	3	-1
403.	39STL	4	3	0	3	0	0
404.	404E	1	1	0	0	1	1
405.	405A	11	11	0	6	11	5

1	2	3	4	5	6	7	8
406.	405A AC	7	7	0	0	7	7
407.	405 AC	3	3	0	0	3	3
408.	409Stl	2	2	0	1	2	1
409.	415Stl	0	1	0	0	0	1
410.	429AC	5	5	0	0	5	3
411.	43 3A	2	1	0	1	2	0
412.	440A	1	1	0	1	1	0
413.	442AC	2	2	0	0	2	2
414.	445A	13	13	0	4	13	9
415.	4488	3	2	0	2	3	0
416.	460AC	4	4	0	0	4	4
417.	473A	4	3	0	1	4	2
418.	473AC	2	2	0	0	2	2
419.	47A	11	11	0	3	11	8
420.	493	11	11	0	6	0	5
421.	506A	1	1	0	0	1	1
422.	507/AC	9	9	0	7	9	2

1	2	3	4	5	6	7	8
423.	507/N-AC	6	6	0	1	6	5
424.	511/AC	1	1	0	0	1	1
425.	511/N-AC	4	4	0	1	4	3
426.	511A	21	21	0	4	21	17
427.	511A/AC	7	7	0	2	7	5
428.	511 AAC	2	2	0	0	2	2
429.	512/AC	2	2	0	1	2	1
430.	512/N-AC	4	4	0	2	4	2
431.	516/AC	1	1	0	0	1	1
432.	516/N-AC	4	4	0	1	4	3
433.	519/N-AC	4	4	0	1	4	3
434.	522 SPL	7	7	0	4	7	3
435.	522A	21	20	0	4	21	16
436.	525A	0	1	0	0	0	1
437.	525E	2	2	0	0	2	2
438.	534A	23	23	0	23	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
439.	534AAC	15	15	0	0	15	13
440.	543A	20	19	0	15	0	4
441.	544/AC	12	12	0	4	12	8
442.	544/N-AC	5	5	0	0	5	5
443.	567A	4	4	0	2	4	-2
444.	568	1	1	0	1	1	0
445.	569 STL	2	2	0	1	2	-1
446.	578/N-AC	3	3	0	2	3	1
447.	610/AC	2	2	0	1	2	1
448.	610/N-AC	2	2	0	0	2	2
449.	610A	2	2	0	1	2	1
450.	611	11	11	0	6	0	5
451.	611/AC	7	7	0	4	7	3
452.	611A	8	7	0	4	4	3
453.	623A	2	2	0	0	2	2
454.	623B	4	4	0	0	2	4
455.	624A	1	1	0	0	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
456.	701A	1	2	0	1	1	-1
457.	708A	2	1	0	1	2	0
458.	711A	5	6	0	5		1
459.	717A	7	7	0	4	7	3
460.	7178	5	5	0	1	5	4
461.	724A	5	5	0	3	5	2
462.	724C	3	2	0		3	2
463.	724E	2	2	0	2	2	0
464.	740 Exetra	7	7	0	3	7	4
465.	740E	12	11	0	5	12	5
466.	740EXT.	7	7	0	3	2	4
467.	338	7	6	0	3	7	3
468.	85EXT.	13	13	0	10	13	-3
469.	861A	26	27	0	9	26	5
470.	379A	3	3	0	0	3	-3
471.	879B	4	4	0	0	4	-4
472.	882A	4	4	0	3	4	-1

1	2	3	4	5	6	7	8
473.	8-A	2	2	0	0	2	1
474.	8-A	3	3	0	0	0	3
475.	8AC	6	6	0	0	6	6
476.	910A	2	2	0	2	2	0
477.	915 EX.	2	2	0	1	2	-1
478.	921 EXT.	3	3	0	2	3	-1
479.	940	1	1	0	1	1	0
480.	940A	2	2	0	1	2	-1
481.	947A	1	1	0	1	1	0
482.	949 EXT.	5	5	0	4	5	-1
483.	949A	3	3	0	1	3	-2
484.	962A	2	2	0	1	2	-1
485.	966B	2	2	0	1	2	-1
486.	966 EX.	2	2	0	0	2	2
487.	969A	1	1	0	1	1	0
488.	970B	1	1	0	1	1	0
489.	971A	2	2	0	1	2	-1

1	2	3	4	5	6	7	8
490.	97 2A	12	12	0	12	12	0
491.	990A	5	5	0	4	5	-1
492.	990 Ext.	13	13	0	4	13	-9
493.	A. Vihar/Gurgon	30	30	0	0	0	0
494.	Airport	11	11	0	11	0	0
495.	Airport (Night)	0	10	0	10	0	0
496.	B.G	12	12	0	10	12	-2
497.	DD	1	1	0	0	1	1
498.	Faridabad	5	5	0	0	5	5
499.	Ghaziabad	18	18	0	11	0	7
500.	GL-23	2	2	0	2	0	0
501.	GL91	8	8	0	8	8	0
502.	GMS (-)	6	6	0	4	6	-2
503.	GMS(+)	6	6	0	4	6	-2
504.	Hapur	5	5	0	0	5	5
505.	KB-GUR	32	32	0	0	32	32
506.	KP/BG	17	17	0	15	17	2

1	2	3	4	5	6	7	8
507.	MRT	18	18	0	0	0	0
508.	N.Duty 072	0	2	0	2	0	0
509.	NCR	12	12	0	0	12	12
510.	ND/BG	15	15	0	15	15	0
511.	Night TMS	0	2	0	2	0	0
512.	OMS (+)	1	1	0	0	1	1
513.	OMS EXP.	3	3	0	0	0	3
514.	OMS EXP+	2	2	0	0	0	2
515.	OMS(-)	12	5	0	4	0	1
516.	OMS(-) EXP.	2	2	0	2	0	0
517.	OMS(+)	10	4	0	3	0	1
518.	OMS (+) EXP.	3	3	0	0	0	3
519.	OMS/AC	6	6	0	2	6	4
520.	RL-75	6	6	0	5	6	1
521.	RL-77	17	16	0	9	17	7
522.	RL-77A	5	5	0	5	5	0
523.	RL-77B	12	12	0	10	12	2

1	2	3	4	5	6	7	8
524.	RL-77Ext.	4	4	0	4	4	0
525.	RL-79	7	7	0	4	7	3
526.	TMS-	10	10	0	1	10	-9
527.	TMS(-)	6	6	0	0	6	6
528.	TMS(+)	5	5	0	0	5	5
529.	TMS(N)	0	4	0	4	0	0
530.	TMS-(Night)	0	1	0	1	0	0
531.	University Ferry	2	2	0	1	2	-1
532.	WDM	1	1	0	0	1	1
533.	WDM(-)	2	2	0	2	2	0
534.	YMS-	7	7	0	6	0	1
535.	YMS+	8	6	0	4	0	2
	Grand Total	3995	3924	0	1939	3112	1042

45. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियाँ नरेला, बवाना और भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में पुर्नस्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन फैक्ट्री मालिकों को इनके फ्री होल्ड अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में फैक्ट्री मालिक एसोसिपेशन के साथ हुई बातचीत का विस्तृत विवरण और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस क्षेत्र का सर्किल रेट क्या चल रहा है और क्या कन्वर्जन चार्जेज निर्धारित करते समय सर्किल रेट को भी दृष्टि में रखा जाएगा;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन क्षेत्रों में सर्किल रेट वर्तमान बाजार दरों से अधिक है;

(च) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इन क्षेत्रों में आधे से अधिक छोटी फैक्ट्रियां सौ वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में चल रही है। और फैक्ट्री मालिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं;

(छ) क्या सरकार कन्वर्जन चार्जिज निर्धारित करने के लिए ऊंचे सर्किल रेट और फैक्ट्री मालिकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखेगी; और

(ज) फ्री होल्ड करने की योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी हां, रिलोकेशन स्कीम के तहत आवंटित प्लॉटधारकों को फ्री होल्ड करने की सिद्धांतः अनुमति का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) फैक्ट्री मालिक एसोशियेशन के साथ बातीचत की शुरूआत की गई है और यह प्रगति पर है।

(घ) एवं (ङ) कन्वर्जन चार्जिज वार्षिक आधार पर डीडीए द्वारा तय की गई दरों पर विचार कर निर्धारित किए जाते हैं।

(च) इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(ज) यह कार्य शुरू कर दिया गया है और शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

49. श्री जगदीश प्रधान : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैट्रो स्टेशनों तक बस कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो मेट्रो स्टेशनों तक बस कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

परिवहन मंत्री : (क) मेट्रो स्टेशन बसों (मेट्रो फीडर, मिनी स्टेज कैरिज, डी. टी. सी., कलस्टर), ग्रामीण सेवा, ई-रिक्शा सेवा, इत्यादि के द्वारा कनेक्टड हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

53. श्री राजेश गुप्ता : क्या **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता विभाग किन-किन वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भ्रष्ट कर्मचारियों एवं राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की दखलंदाजी के कारण सतर्कता विभाग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस दखलंदाजी के कारण भ्रष्टाचार विरोधी एवं सतर्कता प्रयासों में बाधा आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है?

मुख्यमंत्री : (क) सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 तथा पी. ओ. सी. एक्ट, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत सतर्कता निदेशालय सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। चूंकि दिल्ली सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है, इसलिए दिल्ली सरकार, दिल्ली जन लोकपाल कानून लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार में 08 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न विभागों के लिए सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी विभिन्न विभागों में केवल सतर्कता से संबंधित मामले देखेंगे ताकि सतर्कता से संबंधित मामलों पर एक समन्वित एवं केन्द्रित निगरानी रखी जा सके और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिल सके।

59. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-रिक्शा की पालिसी आने से पूर्व दिल्ली में चल रहे ई-रिक्शा को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) ई-रिक्शा की पालिसी आने के बाद दिल्ली में कितने-ई-रिक्शा चल रहे हैं; और

(ग) आज तक कितने पुराने ई-रिक्शा को नियमित किया गया है?

परिवहन मंत्री : (क) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.10.2014 से पूर्व की निर्मित ई-रिक्शाओं को नियमित करते के लिए सुरक्षा मापदण्डों के अनुपालन हेतु इनमें अधिकृत पंजीकृत संगठन द्वारा अपेक्षित सुधार कराना आवश्यक है। तत्पश्चात् उनका पंजीकरण किया जाता है।

(ख) वर्तमान में ऐसे कुल 2055 ई-रिक्शाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

(ग) दिनांक 08-10-2014 से पूर्व के मौजूदा ई-रिक्शाओं में से कुल 395 का पंजीकरण किया जा चुका है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

22. श्री वेद प्रकाश : क्या **परिवहन एवं विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) बवाना विधानसभा में विकास के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या कोई विकास योजना बनाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन एवं विकास मंत्री : (क) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत 04 ग्रामीण विकास योजनाएं वर्तमान में बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में चल रही हैं। (इन योजनाओं की सूची साथ में संलग्न हैं।) अनुबंध (क)

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक दिनांक 20.08.2015 तथा 29.09.2015 में ग्रामीण विकास की 61 योजनाएं बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों के लिए अनुमोदित की गई हैं। इस संबंध में माननीय विधायक बवाना से ग्रामीण विकास बोर्ड की बैठक 29.09.2015 में लिए गए निर्णय के अनुसार मांगी गई अंतिम प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं की सूची संलग्न हैं। अनुबंध (ख)

(घ) लागू नहीं।

कार्य प्रगति पर है।

Sh. Ved Parkash, MLA, A.C. Bawana — Civil Division-VIII

Scheme wise Monthly Physical & Financial Progress Report of Rural Development Works upto Date

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Name of the scheme/ Work	Name of Village	A/A & E/S & Date		Awarded Amt. & Agency	Stipulated date of Start	Stipulated date of completion	Total up to date progress	Total up to date Expen. on scheme	Remarks
1.	Const. of roads between south side Phirni road and Delhi Bawana road at village Pooth Khurd in Distt. North	Pooth Khurd	101	23.09.14	88.43 M/s Kumar Const. Co.	21.12.14	20.04.15	92%	53.36	Work held up due to encrochment in the side
2.	Const. of Sajra road from Balraj farm to Sultanpur minor in extended lal dora at village Poorth Khurd in Distt. North	Pooth Khurd	50.87	01.01.15	37.67 Sh. Jaswant Singh Dabas	27.02.15	26.05.15	90%	13.38	Work in progress
3.	Const. of Sazra road by laying bitumastic sheet connecting Pansali-Begampur road at village Pansali in Distt. (N/W)	Pansali	25.04	31 10.14	20.00 M/s Kumar Const. Co.	20.12.14	19.03.15	20%	0.00	Work held up by the contractor due to demarcation
4.	Development of pond at Kh. No. 34/5, 6 at village Boodanpur Majra in Kanjhawala Block	Boodanpur Majra	43.96	07.09.11	39.35 Sh. Inderjeet Singh	01.12.11	30.04.12	10%	0.20	Work held up due to subsoil water

List of ROB Works Recommended by Mohalla Sabha Samiti for the Execution:-

Sh. Ved Prakash, M. L. A. (A/C Bawana)

Updated: 14.09.2015

Sl. No.	District	Sl. No. at the approved list	Village	Name of work/scheme	Estimated Cost
1	2	3	4	5	6
1.	North	201 (Main Agenda old revised scheme)	Bawana	Construction of streets and side drains in 20 Pt Programme Colony at village Bawana in Distt. (N/W).	671.23
2.	North	208 (Main Agenda old revised scheme)	Mungeshpur	Development of pond in Kh. No. 22/34 at village Mungeshpur in K. Block.	61.21
3.	North	52 (Spot Agenda)	Mungeshpur	Construction of Sajra road in Kh. No. 151 at village Mungeshpur in Distt. North	63.26
4.	North	209 (Main Agenda old revised scheme)	Mungeshpur	Construction of Sajra road in Kh. No. 152 at village Mungeshpur in Distt. (N/W).	130.64
5.	North	228 (Main Agenda old revised scheme)	Shahbad Daulatpur	Construction of sazra road from Kankar Khera road to Culvert of Nangloi Drain at village Shahbad Daulatpur in Distt. North.	85.49

1	2	3	4	5	6
6.	North	229 (Main Agenda old revised scheme)	Shahbad Daulatpur	Improvement of existing Sazra road from Delhi-Bawana road to Phirni of Village Shahbad Daulatpur in Distt. North.	70.87
7.	North	231 (Main Agenda old revised scheme)	Pansali	Construction of Sajra road at village Pansali in Distt. (North)	347.05
8.	North-west	197 (Main Agenda old revised scheme)	Begampur	Improvement of road from Begampur - Barwala road to Dada Mandu Pond, Karala in Distt. (N/W)	173.41
9.	North	36 (Main Agenda new scheme)	Katewara	Construction of Sajra road from Katewara - Bajitpur road to field at village Katewara.	36.94
10.	North-west	37 (Main Agenda new scheme)	Pooth Kalan	Construction of internal road in 20 Pt. Programme Colony at village Pooth Kalan in Distt. (N/W).	25.13
11.	North	38 (Main Agenda new scheme)	Pooth Khurd	Improvement of Sajra road from Sultanpui Minor to Sultanpur Kalan road at village Pooth Khurd in Distt. (North)	135.79
12.	North-west	39 (Main Agenda new scheme)	Khera Garhi	Improvement of damaged Phirni road From conection point of Khera Kalan Siraspur Road to Khera kalan Nangli Poona road (Near Vadic Sanskrit	137.12

				Agriculture Higher Secondary School Society Khera Gharhi Distt. North Delhi.)	
13.	North	54 (Spot Agenda)	Punjab Khore	Widening and Improvement of road Kanjhawala-Qutabgarh main road at village Punjab Khore to Ladrawan (Haryana Border)	104.70
14.	North	55 (Spot-Agenda)	Qutabgarh	Improvement of Sajra road bearing Kh. No. 79 at village Qutabgarh in Distt. North	50.70
15.	North-west	196 (Main Agenda old revised scheme)	Salahpur Majra	Improvement of Phirni road from Jai Narayan House to Samunder House at village Salahpur Majra in Distt. (N/W).	99.15
16.	North	200 (Main Agenda old revised scheme)	Pooth Khurd	Const. of road in extended lal dora at village Pooth Khurd in Distt. (N/W)	194.21
17.	North	205 (Main Agenda old revised scheme)	Pooth Khurd	Construction of link road from Delhi-Bawana road to Ganga Toli road at village Pooth Khurd in Distt. (N/W).	267.94
18.	North-west	212 (Main Agenda old revised scheme)	Chandpur Khurd	Improvement of link road from Prem Piau - Boodhanpur Majra road to Chandpur Khurd upto Phirni road in Distt. (N/W)	95.96

1	2	3	4	5	6
19.	North-west	214 (Main Agenda old revised scheme)	Boodhanpur Majra	Improvement of link road from Govt. Secondary School at Boodhanpur Majra -Chandpur road (Baba Taken Marg) to Prem Piau Majra road in Distt. (N/W).	136.05
20.	North	217 (Main Agenda old revised scheme)	Barwala	Restoration/Construction of Phirni road of village Barwala in Distt. North.	250.41
21.	North-west	218 (Main Agenda old revised scheme)	Prehlad Pur	Restoration/ Construction of gallies in Gram Sabha Colony at village Prehladpur in Distt. N/W	195.44
22.	North	222 (Main Agenda old revised scheme)	Prehlad Pgr	Construction of approch road of Cremation Ground at village Prahladpur in Distt. North.	17.53
23.	North	230 (Main Agenda old revised scheme)	Shahbad Daulatpur	Restoration/Construction of Phirni road of village Shahbad Daulatpur in Distt. North.	315.85
24.	North-west	232 (Main Agenda old revised scheme)	Khera Garhi	Construction of RCC storm water drain from Khera Garhi phirni road to main road and 20 point programme colony to main road at village khera garhi in Distt. N/W	136.53
25.	North-west	235 (Main Agenda old revised scheme)	Harwali	Improvement of existing road from Phimi to Harewali in Kanjhawala Block	78.38

26.	North-west	240 (Main Agenda old revised scheme)	Boodhanpur Majra	Improvement of road and side berm from Chandpur crossing on Kanjhawala - Bawana road to Boodhanpur	338.65
27.	North	199 (Main Agenda old revised scheme)	Sultanpur Dabas	Development of cremation ground on Sultanpur - Karala road at village Sultanpur Dabas in Distt. (N/W).	48.81
28.	North-west	207 (Main Agenda old revised scheme)	Salahpur Majra	Development of Kabristan at village Salahpur Majra. in Distt. (N/W).	48.56
29.	North-west	213 (Main Agenda old revised scheme)	Begampur	Development of cremation ground at village Begampur in Distt. (N/W).	122.37
30.	North-west	233 (Main Agenda old revised scheme)	Khera Garhi	Development of cremation ground at village Khera garhi in Distt. North.	102.43
31.	North-west	239 (Main Agenda old revised scheme)	Khera Garhi	Improvement of internal streets of 20 point programme at village Khera Garhi	131.87
32.	North	194 (Main Agenda old revised scheme)	Sultanpur Dabas	Improvement of road from village Sultanpur Dabas to Dada Mandu Pond at village Karala in Distt. (N/W).	171.62
33.	North-west	202 (Main Agenda old revised scheme)	Salahpur Majra	Development of Park near Panchayat Ghar at village Salahpur Majra in Distt. (N/W).	48.21
					4893.51

23. श्री ओ. पी. शर्मा : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विगत में नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद चुनावों के रिजल्ट का स्टेटिस्टिक्स इन्टरनेट पर डाला जाता था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उसमें फार्म-17 रिजल्ट सीट भी जारी की जाती थी;

(ग) यदि हां, तो विधानसभा चुनाव 2015 के बाद क्यों जारी नहीं किए गए; और

(घ) तो इसे कब तक इन्टरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है कि विधान सभा और लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के स्टेटिसटिक्स मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के कार्यालय द्वारा इंटरनेट पर डाले जाते हैं। जहां तक राज्य चुनाव आयोग का संबंध है नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट का स्टेटिस्टिक्स इंटरनेट पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं डाला जाता है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग विजयी अभ्यार्थियों की सूची दिल्ली राज्य के असाधारण राजपत्र (Extra Ordinary Gazette) में प्रकाशित करता है।

(ख) मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय द्वारा विधानसभा व लोकसभा चुनाव के परिणाम का ब्यौरा (रिजल्ट सीट) फार्म-20 में जारी किया जाता है तथा इंटरनेट पर डाला जाता है। फार्म 17 Tendererd ballot paper से संबंधित है जिसका रिजल्ट शीट से कोई संबंध नहीं हे।

राज्य चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणामों का ब्यौरा फार्म में तैयार करता है परंतु इसे इंटरनेट पर नहीं डाला जाता।

(ग) विधानसभा चुनाव 2015 के रिजल्ट निर्धारित फार्म-20 में जारी किए जा

चुके हैं और मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट www.ceodehhi.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) पहले से ही उपलब्ध है।

24. श्री सोमनाथ भारती : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने विधान सभा क्षेत्रों/वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत प्रक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में संबंधित विधायक से परामर्श किया है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है और यह अभी लंबित नहीं है।

दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(ख) जहां तक दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया का संबंध है, दिल्ली सरकार के आदेश की कापी संलग्नक ''क'' के रूप में संलग्न है।

चूंकि विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया लंबित नहीं है इसलिए इसका विवरण वांछित नहीं है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन में संबंधित विधयक से परामर्श नहीं कया जाता, परंतु इस संदर्भ में आदेश दिल्ली सरकार ने ही जारी किए हैं। (संग्नलक 'क'')।

चूंकि विधान सभा क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया लंबित नहीं है इसलिए इसका विवरण वांछित नहीं है।

(To be published in Part IV of the Delhi Gazette, Extra Ordinary)

Government of National Capital Territory of Delhi

Department of Urban Development

9th floor, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

NO.F.7(55)/DLB/2015/Pt-1/4276-82 Dated: 18/09/2015

ORDER

NO.F.7(55)/DLB/2015/Pt-1/ WHEREAS in pursuance of the provisions of sub-section (6) of section 3 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter called the said 'Act'.) upon the completion of each census, the number of seats in each of the three Municipal Corporations of Delhi, shall be on the basis of the population of a Corporation as ascertained at that census and shall be determined by the Lt. Governor of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.3/6/66-Delhi dated 19.10.1966 and the number of seats to be reserved for the members of the Scheduled Castes shall, as nearly as may be, bear the same ratio to the total number of seats as the population of Scheduled Castes bears to the total population of Delhi in a Corporation;

AND WHEREAS under sub-section (5) of section 3 of the Act, total number of seats of Councillors and the number of seats reserved for the members of Scheduled Castes in each Corporation shall be determined by the State Election Commission (herein called the Commission) under the powers delegated to it by the Government of Delhi vide Department of Urban Development's Notification No.F.13(20)/UD/MB/2012/1103 dated 24.1.2012;

AND WHEREAS under sub-section (7) of section 3 of the Act, seats shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, in each of the three Municipal Corporations from among the seats reserved for the Scheduled Castes, the number of such seats shall be determined by the Commission under the powers delegated to it as mentioned above, which shall not be less than one-half of the total number of seats reserved for the Scheduled Castes in a Corporation;

AND WHEREAS under sub-section (8) of section 3 of the Act, seats shall be

reserved for women by the Commission under the powers delegated to it as mentioned above, in each of the three Municipal Corporations which shall not be less than the one-half of total number of seats other than those reserved for the Scheduled Castes in a Corporation;

AND WHEREAS Municipal Corporation of North Delhi has 104 seats, Municipal Corporation of South Delhi has 104 seats and Municipal Corporation of East Delhi, has 64 seats of the Councillors in pursuance of THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011;

AND WHEREAS boundary of a ward in a Corporation should be carved within the boundary of the relevant Member of Legislative Assembly constituency and shall not cross it;

AND WHEREAS the Census 2011 has since been completed and final population data and the maps required for delimitation of Municipal Corporations Wards are available with the Director of Census Operations, Delhi;

AND WHEREAS it is necessary to take account of the changed situation of population within the wards based on the available Census data and decide the principles on which the number of wards would be decided.

NOW, THEREFORE, the Lt. Governor of Delhi, assigns the work of delimitation of wards for all the three Municipal Corporations of Delhi, as prescribed in sub-sections (5), (6), (7) and (8) of section 3 read with clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 5 of the Act, to be done on the basis of Census 2011, to the State Election Commission with immediate effect, with the following directions:-

1. That for delimitation of Municipal Corporations Wards, the Commission shall adopt the procedure prescribed under the Delimitation Act, 2002 (pertalhing to delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in whole of the country), as far as practicable in relation to the delimitation of wards of a Corporation under the Act.

2. That the Commission shall have the powers to call for population data as per census 2011, Census maps, Census details of E.Bs (Enumeration Blocks) with figures of total population and S.C. population and other allied datas and maps

required for the above purpose, from the Director of Census Operations Delhi, GEOSPATIAL Delhi, and other such authorities, and these authorities shall supply the requisite poputation data and maps to the Commission and cooperate with the Commission to enable it to accomplish the above work within the stipulated period.

3. That the Commission shall first prepare DRAFT DELIMITATION ORDER FOR ALL THE THREE MUNICIPAL CORPORATIONS, showing the number and extent of wards in each Corporation, maps of each ward indicating clear boundaries on the North, West, East and South of a ward in each of the three Corporations.

4. The Commission shall give the matter wide publicity through press media etc. for inviting objections and suggestions to/for the Draft Order, for disposal of objections and suggestions and to prepare the final Delimitation Order as required in the Act. The final proposal shall be sent to the Government for consideration, approval and publication in Delhi Gazette.

5. After the publication of the Delimitation Order in the Gazette, if any question arises as to the interpretation of the Order, as to the boundary or extent of the boundary, the matter shall be referred to the Commission who shall enquire into the issue and decide the matter.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(D.S. Verma)
Dy. Secretary (Urban Development Department)
Govt. of NCT of Delhi

25. श्री ओ. पी. शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल किस-किस औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की है;

(ख) इन क्षेत्रों के विकास पर लगभग कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) क्या यह सत्य है कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो इन विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) दिल्ली सरकार आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र को किस श्रेणी का औद्योगिक क्षेत्र मानती है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली में डीएसआईआईडीसी को अभी तक 21 औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इन 21 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा रहा है।

(ख) इन क्षेत्रों के विकास पर लगभग 350 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग और 350 करोड़ रूपये वित्त वर्ष 2016-17 तक खर्च किए जाएंगे।

(ग) रोड व ड्रैनों के विकास कार्य हेतु 80 प्रतिशत टैंडरों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

(घ) दो नए औद्योगिक क्षेत्र नरेला व बवाना में सारे विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। बाकी अन्य 6 क्षेत्रों में रोड व ड्रेन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 10 क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है एवं 3 क्षेत्रों मे वर्क एवार्ड होने है।

(ङ) मास्टर प्लान 2021 की धारा 7.6.2. के अनुसार आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र को अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के समूह में पुनर्विकास करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

26. श्री ओ. पी. शर्मा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली के कुछ इलाकों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित की थी और इनको कब तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा;

(ग) इसमें कौन-कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया था और इनके पुनर्विकास के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार 23 क्षेत्रों की सूची संलग्न है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 मई 2012 को पुनर्विकास हेतु अधिसूचित विनियम के प्रावधान के अनुसार पुनर्विकास योजना के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष के अंदर पुनर्विकास की कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 मई 2012 को अधिसूचित विनियम के अनुसार इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्य वहां के सोसाइटियों को ही करना है। इन विकास कार्यों को करने हेतु 3 औद्योगिक क्षेत्रों ने अपनी स्वीकृति डी. एस.आई. आई.डी.सी. से कराने हेतु दे दी है। अभी तक किसी भी सोसाइटी ने पुनर्विकास योजना स्थानीय निकाय/दिल्ली नगर निगम से अनुमोदित नहीं कराया है।

संलग्नक

दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित अरांगत/अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में 23 (तेईस) औद्योगिक सघनता वाले समूहों के पुनर्विकास की सूची

1. आनन्द पर्वत
2. शाहदरा
3. समयपुर बादली
4. जवाहर नगर
5. सुलतानपुर माजरा
6. हस्तसाल पॉकेट-ए
7. नरेश पार्क एक्सटेंशन
8. लिबास पुर

9. पीरागढ़ी गांव
10. ख्याला
11. हस्तसाल पॉकेट-डी
12. शालीमार गांव
13. न्यू मंडोली
14. नवादा
15. रिठाला
16. स्वर्ण पार्क मुण्डका
17. हैदर पुर
18. करावल नगर
19. डाबड़ी
20. बसई दारापुर
21. मुण्डका (दक्षिण)
22. मुण्डका (फिरनी)
23. प्रहलाद पुर बांगर

27. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में जन सुविधा कॉम्पलेक्स/टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(ख) दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में कहां-कहां कितने शौचालय बने हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अभी कितने और टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाने की योजना है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में शौचालय बनाने की योजना है। ओखला औद्योगिक फेस-II में 100 सीटों वाली जनसुविधा कॉम्पलेक्स बनाने की योजना तैयार की गई है।

(ख) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा बवाना औद्योगिक क्षेत्र में दस शौचालय कॉम्पलैक्स बना दिए गए हैं और ओखला औद्योगिक क्षेत्र में तीन सुविधा कॉम्पलैक्स

उपलब्ध है। इसके अलावा ओखला फेस-II में डूसिब के द्वारा 203 डब्ल्यू.सी (WC) की सुविधा दी गई है।

उद्योग विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के अन्तर्गत हथकरघा अनुभाग द्वारा संचालित 02 औद्योगिक परिसर हैं जिसमें 01 बुनकर परिसर, भारत नगर, अशोक विहार, दिल्ली-52 में 28 औद्योगिक शेड्स है जिनके प्रत्येक शेडस के साथ एक-एक बना हुआ शौचालय उपलब्ध है तथा 02 पुराना बुनकर परिसर, सुन्दर नगरी, नंद नगरी दिल्ली-92 में 08 औद्योगिक शेड्स हैं जिनके प्रत्येक शेड के साथ एक-एक बना हुआ शौचालय उपलब्ध है।

(ग) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में शौचालय ब्लॉक बनाए जाने की योजना है एवं 3 औद्योगिक क्षेत्रों में शौचालय कॉम्पलैक्स बनाने हेतु टैंडर किए जा रहे हैं।

28. चौ. फतेह सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आधुनिक तरीके से प्राथमिक चिकित्सा सहायता का प्रशिक्षण देने के लिए डी. एस. आई. आर. द्वारा वर्ष 2012 में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में अधिसूचना जारी न करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

29. चौ. फतेह सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डी.एस.आई.आर. को जी.टी.बी. नगर से पूठ कलां स्थानांतरित करने के लिए वर्ष 2013 में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नियमानुसार निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसे स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) डी. एस. आई. आर. को कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

30. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ख) रिठाला विधानसभा में विकास के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मुख्यमंत्री : (क) से (घ) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बनाई गई योजनाएं विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं होती हैं। दिल्ली की समस्त योजनाएं दिल्ली के सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बनाई जाती है। दिल्ली में प्रत्येक विधायक को एक करोड़ रुपये जल बोर्ड के कार्यों हेतु एवं तीन करोड़ रुपये विधायक द्वारा अपने क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए दिए जाते हैं। रिठाला विधानसभा के विधायक निधि कोष के लिए तीन करोड़ रुपये वर्ष 2015-16 के लिए जिला शहरी विकास एजेंसी को दे दिए गए हैं।

31. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निरंतर बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम की भयावह परिस्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की क्या योजना है; और

(ख) सरकार ने दिल्ली के किस-किस क्षेत्र में फ्लाई ओवर, ऐलीवेटेड रोड और अंडर पास बनाने के लिए केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है; और कब तक?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली में निरंतर बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम की भयावह परिस्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है–

1. सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

2. मैट्रो के विस्तार की भी योजना है।

3. इन सभी व्यवस्थाओं के अलावा प्रयोग करने व प्राईवट वाहनों को कम से कम प्रयोग करने के लिए दिल्ली के नागरिकों को कार फ्री डे व साईकल रैली के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) केंद्रीय सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अर्बन डवलपमेंट फाईनेंस द्वारा दिल्ली सरकार की दो निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है :

1. बारापूला फेज-3 परियोजना निर्माण के लिए।

2. प्रस्तावित पूर्व पश्चिम कोरिडोर के लिए।

इसके अतिरिक्त ट्रैफिक जाम के नियंत्रण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा एक नए कोरीडोर (विकासपुरी से वजीराबाद चौक, तीन नए एलीवेटेड कोरीडोर तथा एक फ्लाईओवर परियोजना पर कार्य चल रहा है एवं 23 अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

32. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा बी. आर. टी. कॉरिडोर हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इसे बनाने की क्या कोई योजना है;

(ग) उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) इसको बनाने में कुल कितनी लागत आई थी और अब इसे तोड़ने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ङ) इसे तोड़ने पर ट्रैफिक की व्यवस्था किस प्रकार होगी;

(च) यदि यह योजना ठीक नहीं थी तो इसे तोड़ने में 8 महीने की देरी क्यों की गई; और

(छ) इसकी विफलता के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की गई है। बिन्दुओं का क्रमानुसार विवरण दें ?

परिवहन मंत्री : (क) दिल्ली सरकार ने बी. आर. टी. कॉरिडोर अम्बेडकर नगर से मूलचंद (दिल्ली गेट) तक को समाप्त करने का कैबिनेट निर्णय संख्या 2182 दिनांक 21.07.2015 के तहत लिया गया है।

(ख) वर्तमान में इसको बनाने की कोई योजना परिवहन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) इसको बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत आई थी। इसे तोड़ने की प्रस्तावित लागत (estimated cost) 10.98 करोड़ रुपये है।

(ङ) चूंकि इसे तोड़ने का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. को दिया गया है, इसलिए पी. डब्ल्यू. डी. अपने स्तर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से यातायात की व्यवस्था करेगी।

(च) इसे तोड़ने का कैबिनेट निर्णय संख्या 2182 दिनांक 21.07.2015 को लिया गया है तथा यह कार्य कैबिनेट निर्णय संख्या 2240 दिनांक 03.11.2015 के तहत पी.डब्ल्यू.डी. को दिया गया है।

(छ) यह एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था।

33. श्री सोमनाथ भारती : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार मैट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए मैट्रो स्टेशनों तक कनेक्टिविटी के लिए फीडर बसों की व्यवस्था कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों मैट्रो स्टेशनों के लिए भी यह सुविधा प्रदान करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) दिल्ली मैट्रो रेल कोरपोरेशन द्वारा इस समय 34 रूटों पर 269 फीडर बसें परिचालन में हैं। इसके अलावा 248 बसें अभी और आनी हैं।

(ग) और (घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के तीनों मैट्रो स्टेशन के लिए इस सुविधा के अंतर्गत पांच रूटों पर 37 फीडर बसें चल रही हैं। इन की सूची संलग्न है।

Annexure A

Name of Metro Station	Operational Feeder route no. (ML)	From (Metro Station)	To	Via	No. of Buses
1	2	3	4	5	6
Green Park	ML-80	Hauz Khas MS	Okhla Dam	Hauz Khas MS, Green Park, AIIMS, Lajpat Nagar, Iswar Nagar, Jamia Milla College, Okhala Main (DAM)	9
Hauz Khas	ML-73	Hauz Khas MS	Badarpur	Hauz Khas MS, Panchsheel, SAVITRI NAGAR , Swami Nagar, CHIRAG DELHI, Savitri Cinema, Chitranjan Park, DDA flat, Tara Apptt, Sangam Vihar, Prahaladpur, Badarpur MS	3
	ML-80	Hauz Khas MS	Okhla Dam	Hauz Khas MS, Green Park, AIIMS, Lajpat Nagar, Iswar Nagar, Jamia Milla College, Okhala Main (DAM)	9
	ML-87	Nehru Place	Malai Mandir	Nehru Place MS, Savitri Cinema Mor, Maszid Mor, Chirag	9

1	2	3	4	5	6
				Delhi, Hauz Khas MS, Jia Sarai, Munirka, Malai Mandir	
Malviya Nagar	ML-70	Malviya Nagar	Dhaula Kuan	Malviya Nagar MS, Qutub Hotel, Katwaria Sarai, Ber Sarai, Munirka Ring Road, R. K. Puram Sec-1 & 12 , South Moti Bagh, Moti Bagh, Dhaula Kuan	7

34. श्री ओ. पी. शर्मा : क्या **उप-मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के करते हए 35 गिरफ्तारियां और 152 के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इनके विभागों और नामों की सूची प्रदान की जाए; और

(ग) दिनांक 30.06.2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक भ्रष्टाचार के कितने मामलों में कार्रवाही की गई और कितने मामलों में रेड की गई?

उप-मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) उन कर्मचारियों की सूची जिन्हें उनके विभाग द्वारा विभिन्न कारणों से निलंबित किया गया था, संलग्न है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया उनकी सूची भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 6 केस दर्ज किए गए हैं जिनमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सतर्कता विभाग द्वारा जांच के आधार पर 11 अन्य कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।

Details of Officials Under Suspension After 14.02.2015

S.No.	Department	Name and Designation	Date of Suspension	Major Grounds, such as Dereliction of Duty, Gross Negligence, Criminal Case etc.
1	2	3	4	5
1.	DCO	Baig Raj, Naib Tehsildar	25/03/2015	Suspended on the basis of complaint made alongwith audio cd as an evidence
2.	Excise	Pradeep Suri, Grade-II (Dass)/ Excise Inspector	16/02/2015	A FIR No. 02/2015 has been lodged by ACB and investigation is going on
3.	Excise	K.N. Kandpal, Grade-III (Dass)/Excise Inspector	16/02/2015	A FIR No. 02/2015 has been lodged by ACB and investigation is going on
4.	Excise	Rampal Sharma, Constable	16/02/2015	A FIR No. 02/2015 has been lodged by ACB and investigation is going on
5.	Excise	Shardanand, Constable	16/02/2015	A FIR No. 02/2015 has been lodged by ACB and investigation is going on
6.	H&FW	Bikas Sharma, MO.	20/04/2015	As per report of ACB the official was running a private clinic despite being in Govt. Service
7.	H&FW	Anil Kumar Lohar, Staff Nurse	17/04/2015	Sending obscene message to superiors
8.	Industries	Prem Chand Ram, Junior Gestetner Operator	22/04/2015	The official gave his mobile number to smt. Sunita palita who had come for an official work and asked her to contact a tout for expediting her official work for amendments in memornadum of association

1	2	3	4	5
9.	DAM	Sunil Kumar. S.I.	29/04/2015	On inspection report of Sr. Officers dated 22/04/2015 for releasing vehicles without gate pass
10.	DAM	Vijay Singh Joon, Security Guard	18/04/2015	Detained in custody on 18/04/2015 for a period exceeding 48 hours by ACB Delhi
11.	DAM	Prem Singh, Secuirty Guard	18/04/2015	Detained in custody on 18/04/2015 for a period exceeding 48 hours by ACB Delhi
12.	North Delhi Municipal Corporation	Sunil Kumar, Chowkidar	19/02/2015	Criminal case (deemed suspension)
13.	North Delhi Municipal Corporation	Ram Prakash, Beldar	7/4/2015	Criminal case (deemed suspension)
14.	North Delhi Municipal Corporation	Ashwani Rana, Jr.Engineer	1/5/2015	Dereliction of duty and gross negligence (unauthorised construction)
15.	North Delhi Municipal Corporation	P.K.Chauhan. AE	1/5/2015	Dereliction of duty and gross negligence (unauthorised construction)
16.	TPT	Vijay Kumar-II, ASI (ENF)	5/5/2015	Suspected involvement in illegal practices as team member
17.	TPT	Babu Ram, ASI (ENF)	5/5/2015	Suspected involvement in illegal practices as team member
18.	TPT	Jaibir Singh, Head Constable (ENF)	5/5/2015	5/5/2015 Suspected involvement in illegal practices as team member

19.	TPT	Parmod Kumar, Head Constable (ENF)	5/5/2015	Suspected involvement in illegal practices as team member
20.	TPT	Jitender Kumar, Head Constable (ENF)	5/5/2015	Suspected involvement in illegal practices as team member
21.	F&S	Kanwal Jit Singh Chattha, Grade-II (Dass)/Insp	21/03/2015	The official misbehaved with minister F&S over the phone. The official was suspended by CFS vide order dated 21/03/2015
22.	F&S	Roshan Lal Verma, Grade-II (Dass)/Insp	31/03/2015	The official was caught watching porn video in the office. The official was suspended by the CFS vide order dated 31/03/2015
23.	F&S	Ishwar Singh, Grade-III (Dass)/UDC	31/03/2015	The official was caught watching porn video in the office. The official was suspended by the CFS vide order dated 31/03/2015
24.	F&S	Ved Prakash Singh, Grade-II (Dass)/Insp	6/5/2015	Pr. Secy (Finance/Planning), GNCT of Delhi has reported that Ved Prakash Singh used unparlimentary language and behaved in an undisciplined manner on 20/04/2015.
25.	EDN	Hari Shankar, Lab Assistant	21/02/2015	Forgery case, FIR lodged u/s 420 IPC
26.	EDN	Karan Singh Yadav, PGT (Comm)	8/4/2015	Criminal case FIR lodged u/s 335/506/34 IPC & 3(1)(x) SC/ST Act, 1989.

1	2	3	4	5
27.	EDN	A. S Dhauni, Lab. Asstt	25/04/2015	Criminal case u/s 354a/509 sexual harassment
28.	DTC	Gian Singh	27/03/2015	Found taking liquor in his office during his duty hours
29.	Prison	Karamvir, W-1330	11/4/2015	Dereliction of duty (murder of prisoner in his ward)
30.	Prison	Deepak Sharma, A.S.	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
31.	Prison	Manmohan, A.S.	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
32.	Prison	Rohit Mann, A.S.	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
33.	Prison	Devender, W-719	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
34.	Prison	Anil, W-719	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
35.	Prison	Uttam, W-1328	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
36.	Prison	Rajesh, W-200	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward
37.	Prison	Virender, HW-506	2/5/2015	Recovery of mobile and other prohibited articles in his ward

38.	Prison	Roshan Lal, HW-815	5/5/2015	Dereliction of duty (murder of prisoner in his ward)
39.	Prison	Ramesh, W-1385	12/5/2015	Recovery of charas like sustances in possession of convict in his ward
40.	Prison	Dilbag, HW-710	12/5/2015	Dereliction of duty (inmate murdered by co inmate in hisward)
41.	Delhi Jal Board	Ram Niwas, P.D.	18/02/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f. 01/10/2014)
42.	Delhi Jal Board	Dinesh Kumar, Beldar-Cum-Driver	19/02/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.17/04/2014)
43.	Delhi Jal Board	Sunder Lal, Beldar	20/02/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f. 15/07/2014)
44.	Delhi Jal Board	Virender Kumar, Beldar	27/02/2015	Discplinary proceedings for derilection of duty
45.	Delhi Jal Board	Kuldeep Singh, Beldar	5/3/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police(deemed suspension w.e.f. 08/08/2014)
46.	Delhi Jal Board	Raj Bali Rai, Beldar	9/3/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.01/08/2014)

1	2	3	4	5
47.	Delhi Jal Board	Satish Chand Sharma, Beldar	20/03/2015	Disciplinary proceedings for serious irregularities while working with ZRO (W) East-1, Mayur Vihar
48.	Delhi Jal Board	Umesh Kumar, Beldar	20/03/2015	Disciplinary proceedings for serious irregularities while working with ZRO (W) East-1, Mayur Vihar
49.	Delhi Jal Board	Vinod Kumar, UDC	20/03/2015	Disciplinary proceedings for serious irregularities while working with ZRO (W) East-1, Mayur Vihar
50.	Delhi Jal Board	Jaipal Sharma, Accounts Officer	24/03/2015	Disciplinary proceedings for negligence in release of payments while working as AAO (SDW)-V in 2012-13 & 2013-14
51.	Delhi Jal Board	Surender Pal Singh Rana, AE	24/03/2015	Disciplinary proceedings for serious irregularities in execution of works while working as AE with EE (SDW) V in 2012-13 & 2013-14
52.	Delhi Jal Board	S.P. Singh, Executive Engineer	24/03/2015 and 01/05/2015	Disciplinary proceedings for serious irregularities in execution of works while working as EE (SDW) V in 2013-2014 and custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.21/04/2015.
53.	Delhi Jal Board	Teerath Ram, Beldar	31/03/2015	Custody of more than 48 hours in a

				criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.31/01/2014)
54.	Delhi Jal Board	Bhanu Prakash Singh, Asst. Fitter	20/04/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.12/10/2014)
55.	Delhi Jal Board	Omkar Sharma, ZRO	27/04/2015	Disciplinary proceedings for not resolving the PMS case within time
56.	Delhi Jal Board	Vijay Prakash Gunjiyal, Chief Engineer	1/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.21/04/2015.)
57.	Delhi Jal Board	Javed Ali Khan, Jr. Engineer	1/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.21/04/2015.)
58.	Delhi Jal Board	Lokesh Kumar Sharma, Asst. Engineer	1/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.21/04/2015.)
59.	Delhi Jal Board	Anil Gupta, Asst. Engineer	1/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.21/04/2015.)

1	2	3	4	5
60.	Delhi Jal Board	Jitesh Kumar Srivastav, Jr.Engineer	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties at water emergency I.P. Extn where one room was being found used as a store by nearby dhabawala
61.	Delhi Jal Board	Nagendra Prasad, Fitter	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties at water emergency I.P. Extn where one room was being found used as a store by nearby dhabawala
62.	Delhi Jal Board	Raj Kumar, Chowkidar	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties at water emergency I.P. Extn where one room was being found used as a store by nearby dhabawala
63.	Delhi Jal Board	Shyam Kumar, SG Beldar	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties at water emergency I.P. Extn where one room was being found used as a store by nearby dhabawala
64.	Delhi Jal Board	Pardeep Kumar, J.E.	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties by allowing the parking of rickshaw containing helmets in the water emergency, Giri Nagar
65.	Delhi Jal Board	Davender Singh, APD	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties by allowing the parking of rickshaw containing helmets in the water emergency, Giri Nagar

66.	Delhi Jal Board	Rajesh Kumar Sharma, J.E.	4/5/2015	Disciplinary proceedings for negligence in performing duties by allowing the parking of rickshaw containing helmets in the water emergency, Giri Nagar
67.	Delhi Jal Board	Harish Sharma, Beldar	11/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.07/05/2015.)
68.	Delhi Jal Board	Umesh Sharma, Beldar	11/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.07/05/2015.)
69.	Delhi Jal Board	Ramesh Chand Sharma, Beldar	11/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.07/05/2015.)
70.	Delhi Jal Board	Qamar Raza, Beldar	11/5/2015	Custody of more than 48 hours in a criminal case registered by local police (deemed suspension w.e.f.08/05/2015.)
71.	DTC	Balraj, Driver	12/3/2015	Misbehave with officials
72.	DTC	Parvesh Shah, Driver	15/03/2015	Misbehave with officials
73.	DTC	Brahm Parkash. Cond.	7/5/2015	Pass not mentioned in waybill (cheating case)
74.	DTC	Subhash Chand, Cond.	13/03/2015	Negligence towards performing duty
75.	DTC	Sushil Kumar, Cond.	13/03/2015	Did not deposit his way bill and cash
76.	DTC	Bharat Bhushan, Cond.	13/03/2015	Misbehaved with duty officer and broker charger of bas machine

1	2	3	4	5
77.	DTC	Ved Pal Singh, Driver	30/03/2015	Misguide the dpeartment by giving wrong statement
78.	DTC	Parveen Kumar, Driver	30/04/2015	Taking money from goods vehicle and threw the money on the road while working with enforcement staff of STA
79.	DTC	Brahm Parkash, Cond. 20663 (EVND)	11/3/2015	Misbehave with official (AI) in drunken position
80.	DTC	Radha Krishan T.I.	24/03/2015	Allowed short leave to conductors without any approval of competent officer
81.	DTC	Nitin Kumar, Driver	10/4/2015	Break down bus was not taken to depot
82.	DTC	Chander Bhan, Driver	13/04/2015	Operating the bus over the flyover
83.	DTC	Bijender Singh, Ati	17/04/2015	Not making efforts to take break down bus to depot
84.	DTC	Naresh Kumar, Driver	30/04/2015 (Suspended from retrospective date i.e19/03/2013 as per court order)	Medically unfit (colour blind)
85.	DTC	Mahale Ram, Driver	30/04/2015(Suspended from retrospective date i.e.19/03/2013 as per court order)	Medically unfit (colour blind)

86.	DTC	Shish Pal, Driver	21/03/2015	Displayed the B/down board but not lodged the breakdown report in depot while checked by the checking staff
87.	DTC	Inderjit Singh, Driver	21/03/2015	Found on wrong route & misbehaved with checking staff while checked by the checking staff
88.	DTC	Karam Chand. TTC	8/4/2015	Tickets were taken from the locker and were kept in his custody without giving any information to the competent authority.
89.	DTC	Krishan Kumar/Driver B.No. 24422 (DWS-8)	26/03/2015 (Suspended from retrospective date i.e. 19/03/2013 as per court order)	Declared medically unfit in eye vision by the Govt. hospital
90.	DTC	Krishan Kumar, Driver, B.No. 25087 (DWS-8)	26/03/2015 (Suspended from retrospective date i.e. 19/03/2013 as per court order)	Declared medically unfit in eye vision by the Govt. hospital
91.	DTC	Sandeep Kumar, Driver	9/4/2015	Mis behavior with Tata Motor officials
92.	DTC	Kuldeep Singh, Driver	9/4/2015	Mis behavior with Tata Motor officials
93.	DTC	Joginder Singh, Driver, B.No. 23883	26/03/2015 (Suspended from retrospective date i.e. 19/03/2013 as per court order)	Eye defect
94.	DTC	Stephan Mayar, Driver	10/4/2015	Dereliction of duty
95.	DTC	Joginder Singh, Driver, (RHND-II)	17/03/2015	On duty bus left in CRPF camp bawana and came to depot and quarelled with other driver

1	2	3	4	5
96.	DTC	Sunil Kumar, Driver	16/03/2015	On duty bus left in CRPF camp bawana and came to depot and quarelled with other driver
97.	DTC	Jai Parkash, Driver	1/4/2015	Gross negligence, fatal accident
98.	DTC	Shri Bhagwan, Condcutor	1/4/2015	Gross negligence, fatal accident
99.	DTC	Rishi Pal, Driver	10/4/2015	Dereliction of duty
100.	DTC	Sanjay Kumar Chaudhary, Driver	24/04/2015	Misbehaved with incharge schedule of YVD
101.	DTC	Pramod Kumar, Driver	6/3/2015	Assaulted another conductor by sharp weapon in the night. F.I.R. No. 238 u/s 324/34 registered against him
102.	DTC	Surender Singh, Driver	6/3/2015	Assaulted another conductor by sharp weapon in the night. F.I.R. No. 238 u/s 324/34 registered against him
103.	DTC	Sukhbir Rathi, Driver	6/3/2015	Assaulted another conductor by sharp weapon in the night. F.I.R. No. 238 u/s 324/34 registered against him
104.	DTC	Bijender Kumar, Cond.	6/3/2015	Assaulted another conductor by sharp weapon in the night F.I.R. no. 238 u/s 324/34 registered against him
105.	DTC	Manoj Kumar, Driver	27/04/2015	Marked bogus attendance by way of overwriting in fleet registers. Failed to mark in bio metric machine

106.	DTC	Anil Kumar, Driver	27/04/2015	Marked bogus attendance by way of overwriting in fleet registers. Failed to mark in bio metric machine
107.	DTC	Krishan Kumar, Driver	20/02/2015	Fast inshedding of bus before scheduled time
108.	DTC	Vijay Singh, Cond	20/02/2015	Fast inshedding of bus before scheduled time
109.	DTC	Narender Kumar, Driver, B.No. 27009	18/04/2015	Quarrel case
110.	DTC	Narender Kumar, Driver, B.No. 25338	25/03/2015	After direction of hon'ble supreme court declared medically unfit by DTC Medical Board
111.	DTC	Parmanand, ATI	8/5/2015	Dereliction of duty
112.	DTC	Rajesh Kumar, Driver	7/5/2015	Gross negligence
113.	DTC	Parveen Kumar, Driver	14/05/2015	Dereliction of duty and gross negligence
114.	DTC	Rakesh Kumar, Driver	13/05/2015	Dereliction of duty and gross negligence
115.	DTC	Hari Kumar, Driver	10/4/2015	Misbehaved with Sch. Section staff anc took away fleet from Sch. Section
116.	DTC	Ishwar Singh, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
117.	DTC	Ran Bir Singh, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
118.	DTC	Tyranc, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
119.	DTC	Kaptan Singh, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015

1	2	3	4	5
120.	DTC	Dushyant, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
121.	DTC	Sunil Sharma, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
122.	DTC	Raju Mann, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
123.	DTC	Anil Kumar, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
124.	DTC	Satish Kumar, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
125.	DTC	Sanjeet Singh, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
126.	DTC	Anshuman , Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
127.	DTC	Devender Singh, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
128.	DTC	Rajesh Kumar, Driver, B.No. 26115	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
129.	DTC	Jai Kumar, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
130.	DTC	Narinder Kumar, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
131.	DTC	Rajesh Kumar, Driver, B.No. 26725	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
132.	DTC	Arun Kumar, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
133.	DTC	Ravinder, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
134.	DTC	Narinder Singh, Driver	3/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
135.	DTC	Vijender Singh, Driver	2/5/2015	Absent from duty on 29/04/2015
136.	DTC	Hari Pal, Driver	24/03/2015 (Suspended from restrospective date i.e. 20/09/2013 as per court order)	Unfit to drive vehicle due to eye vision problem

137.	DTC	Jitender Kumar, Driver (NLD)	24/04/2015	He was wasting the time inside the bus
138.	DTC	Parveen Kumar, Driver, B.No. 24671	25/03/2015	Minor
139.	DTC	Rohtash, Cond	25/03/2015	Minor
140.	DTC	Sushil Kumar, Driver	27/03/2015	Minor
141.	DTC	Ravender Kumar, Driver	5/5/2015	Minor
142.	DTC	Saty Parkash. Cond	5/5/2015	Minor
143.	DTC	Ram Chander. Fitter	24/04/2015	Criminal case
144.	PWD	Kishore Kumar Gupta, Mate	20/02/2015	Caught red handed by ACB for demanding and accepting bribe of Rs. 1000/- from Sh. Rajinder Singh Khari
145.	PWD	Mahesh Chandra Sharma, AE (Elect.)	30/03/2015	Caught red handed by ACB for demanding and accepting bribe of Rs. 25000/- from complainant for passing the bill of Rs. 245450
146.	PWD	Chandra Prakash Sahu, JE (E)	30/03/2015	Caught red handed by ACB for demanding and accepting bribe of Rs. 25000/- from complainant for passing the bill of Rs. 245450
147.	PWD	Vivek Kumar Verma, AE	29/04/2015	Due to lapses in maintenance of LBSH as found during inspection hon'ble Minister, Health and PWD on 24/03/2015

Details of gazetted officers placed under suspension on and after 14/02/2015 till date

Sl. No.	Department	Name and designation	Date of suspension	Major grounds, such as dereliction of duty, gross negligence, criminal case etc.
1.	DFS	Ranjan Wadhera, Assistant Divisional Officer	23/04/2015 (Deemed Suspspension)	He has been convicted in a CBI RC No. DAI 2013 (A)/2007 u/s13(2)- R/ W Section 13(1)(d) of PC Act vide order dated 24/11/2014 and sentenced vide order dated 28/11/2014.
2.	DCO	Mahesh Chand Sharma, Grade-I (Dass)/ the then SR (Preet Vihar)	7/5/2015	Irregularities in the form of presence of touts and their free entry within the premises of the Sr office in connivance with the staff were found during the surveillance by the ACB
3.	DCO	Rakesh Pandey, Grade-I (Dass)/ the then SR (Geeta Colony)	7/5/2015	Irregularities in the form of presence of touts and their free entry within the premises of the Sr office in connivance with the staff were found during the surveillance by the ACB
4.	DCO	Virender Kumar, Grade-I (Dass) /the then SR (Kapashera)	7/5/2015	Irregularities in the form of presence of touts and their free entry within the premises of the Sr office in

				connivance with the staff were found during the surveillance by the ACB
5	DPCC	Ajeeta Dayal Aggarwal, Environmental Engineer	23/04/2015	She did not comply with the directions of the chairman DPCC for finding out and closing the polluting units/bodies
6	EDN	Bishan Lal, Principal	15/04/2015	Found involved in financial irregularities and embezzlement of government money
7	EDN	Fakir Chand Sharma, Prinicipal	19/03/2015	Corruption/criminal case registered by CBI

अध्यक्ष महोदय : चलिए। नहीं अब नहीं राजेंद्र जी प्लीज। नहीं अब बिल्कुल कुछ नहीं प्लीज। नियम 280 के अंतर्गत पहला श्री सोमनाथ भारती जी। केवल जो लिखा गया है उसी को पढ़कर माननीय सदस्य रखेंगे तो जरा उचित रहेगा। सोमनाथ भारती जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो decongestion की हमने बात की, उसमें आज की तारीख में करीब-करीब दिल्ली के हर रोड पर चाहे वह पीडब्ल्यूडी का रोड हो या एमसीडी का रोड हो। सारे मार्ग इतने कंजेस्टेड हैं वहां पर traffic inch by inch move करती है। क्यों कंजेस्टेड है और ये कंजेशन और दिनों दिन होता जा रहा है। हमारी जानकारी में, हमारी नजर में ये लाया गया कि हमारी सरकार आने के बाद जो फुटपाथ हैं, उनके ऊपर जानबूझकर के लोगों को बैठाया जा रहा है। आज की तारीख में एमसीडी भी पैसा वसूल रही है, आज की तारीख में पुलिस पैसा वसूल रही है और सारा का सारा इल्जाम हम क्षेत्र के विधायकों पर लगता है। सारा का सारा इल्जाम हमारी सरकार पर लगता है। तो हमने Traffic Police को भी लिखा है कि भई क्या हम एक ज्वाइंट सर्वे कर सकते हैं क्षेत्रों का उनका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। ट्रैफिक पोलिस हो दिल्ली पुलिस हो कोई भी जवाबदेह है ही नहीं। क्षेत्र का विधायक क्या काम करे, कैसे काम करे क्षेत्र को डिकंजेस्टेड कैसे रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें? क्षेत्र में केऑस मचा हुआ है चारों तरफ। चारों तरफ फुटपाथ पर दिनोंदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं सरकार की तरफ से भी कि इस पर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और कब होगा? हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमैंट ने भी काफी चिट्ठियां लिखीं ट्रैफिक पुलिस को। आज तक एक का जवाब नहीं आया। जब कि सरकारी नियमों के अनुसार 15 दिन में जवाब आ जाना चाहिए लेकिन ना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एकाउन्टैबल है ना दिल्ली पुलिस एकाउंटेबल है और हम लोग

बिल्कुल बैचेन हैं। क्षेत्रों के अंदर कंजेशन बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। मैं आपके जरिए सदन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बहुत बड़े मुद्दे पर कृपया करके कुछ कार्रवाई करें नहीं तो ये कंजेशन ऐसा बढ़ जाएगा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और बदनामी सरकार की खूब हो रही है। आज जब हम बात करते हैं दिल्ली की और 21 सैंचुरी या स्मार्ट सिटी की तो पता नहीं स्मार्टसिटी कब बनेगा, कम से कम सिटी तो बना दो इसको। फुटपाथ अवेलेबल नहीं है। महिलाएं कैसे जाएं? बच्चे कैसे जाएं? सब पे इनक्रोचमेंट भरा पड़ा है और इनक्रोचमेंट बहुत बड़ा कारण है एमसीडी के भ्रष्टाचार का, पुलिस के भ्रष्टाचार का।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री भावना गौड़।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत दिल्ली सरकार के कर्मचारियों द्वारा पैनल एवं सरकारी अस्पतालों से प्रैस्क्राइव्ड दवाईयां खरीदने से पूर्व दिल्ली सरकार के औषधालयों से एन.ए. सर्टिफिकेट अर्थात अनउपलब्धता प्रमाण पत्र लेने के संदर्भ में दिलाना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के समस्त कर्मचारियों के लिए रैफरल सिस्टम को समाप्त कर दिया परंतु अभी भी कर्मचारियों को एन. ए. सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य रखा गया है जिसके कारण कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भांति सरकार समस्त कर्मचारियों के लिए एन. ए. सर्टिफिकेट अर्थात अनउपलब्धता प्रमाण पत्र लेने

की बाध्यता को भी समाप्त करे, ताकि सरकार के समस्त कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों की भांति इस सुविधा का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष जी शुक्रिया। मुझे 280 में बोलने का आपने मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं एमसीडी पर कुछ बोलना चाहता हूं। ओखला विधानसभा में तकरीबन 70 से 80 परसेंट इलाका अनआथोराइज्ड है। अनअथोराइज्ड में जो सफाई का काम है, उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की है और दिल्ली सरकार क्योंकि सारी चीजों को अनओथराईज्ड कालोनियों को पूरी तरह से दिल्ली सरकार मेनटेन करती है तो दिल्ली सरकार एमसीडी को सफाई कर्मचारी के लिए या सफाई करने के लिए पैसा देती है लेकिन अनओथराईज कालोनी में कतई दो रुपये काम करने को तैयार नहीं है। जो सफाई कर्मचारी हैं, वह बिल्कुल नहीं आते। जो ड्रेनेज सिस्टम साफ करने वाले हैं। वह नहीं आते और जो उनके पास काउंसलर के पास अगर किसी अधिकारी के पास अगर लोग जाते हैं तो वह यह कहते हैं कि ये काम एमएलए का है ये तो अनअथोराइज्ड है। ये काम हमारा नहीं है या ये जल बोर्ड करेगा। जब कि पैसा अनअथोराइज्ड कालोनी के लिए सफाई का एमसीडी हम से वसूल रही है और इस वजह से आज हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गंदगी का हाल ये है कि सड़कों पर धूल के अलावा दूसरी मिट्टी के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं मिलती, कूड़ा करकट बेपनाह है। कोई सफाई करने वाला नहीं है। ड्रेनेज अगर हो जाए तो हमें अपने जो flood control है या दूसरे डिपार्टमेंट से उनके पास कर्मचारियों की पहले से ही कमी है हमें उनसे कराना पड़ता है। तो मेरे यहां मोहल्ला सभा हुई। मेरे 11 विधानसभाओं में मेरी भी एक विधानसभा है। तो हर मोहल्ले में ये बात आई कि भई, दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारी अपने रखे जिस तरह से सारी चीजों को unauthorized कालोनी में हम लोग मेन्टेन करते हैं तो

हम लोगों ने ये किया कि उसमें से हम लोगों ने छह करोड़ रुपया हिसाब लगाकर पांच सौ कर्मचारी हमने अपनी पूरी विधानसभा में तय किया लेकिन उसमें ये है कि हम लोग अपनी किसी एजेंसी से इस काम को कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा शायद नहीं है कि शायद एमसीडी की ये जिम्मेदारी है तो कोई ऐसा कानून बनाकर के कि हम वाल्मीकि समाज से ही हम लोग कराएंगे अपने विधानसभा से हम पांच सौ लोग रखेंगे। पांच सौ साढ़े चार सौ या चार सौ लेकिन अगर जब सारे काम दिल्ली सरकार करती है तो क्या सफाई हम लोग अपने किसी विभाग से फल्ड कंट्रोल से या किसी और को कान्ट्रेक्ट देकर के हम नहीं करा सकते? अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा कोई कानून जरूर बनना चाहिए कि विधानसभा के अंदर जो काम एमसीडी की जिम्मेदारी है, अगर वो पूरी तरह से नहीं कर रही है तो उसको हम लोग करा सकें। ऐसा कोई कानून बनाया जाए विधानसभा में। चाहे उसके लिए कोई एक दिन रखा जाए। सत्र रखा जाए ताकि ये जो परेशानी आज हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एमसीडी वाले बिल्कुल नहीं सुनते, तो ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे लोगों को राहत हो। दूसरा अनअथरोइज्ड कालोनी या अथोराइज्ड कालोनी में जैसे रेगुलाईज कालोनियां हैं जो 1978 या 79 में पास हुई थी उनके अंदर उनके मकान पुराने हो गए हैं। काफी लोग तोड़कर नया मकान बनाना चाहते हैं तो ये लोग उनके नक्शे पास नहीं करते। पहले से वह रह रहे हैं। बीस साल पच्चीस साल से या तीस साल से उसका मकान है औथराइज्ड है जैसे ही वह नया बनाने जाता है तो वह अनअथोराइज्ड हो जाता है। एमसीडी उसमें नक्शा पास नहीं करती। लाल डोरे के अंदर एमसीडी नक्शा पास नहीं करती। कहते जरूर हैं। जब हमारी बात होती है, कहते हैं, ''हां जी। हम करते हैं।'' लेकिन अगर कोई कराना चाहे तो उसको छह साल लग जाएंगे, नक्शा पास नहीं करेगा। उस आदमी को मजबूरन मकान बनाना पड़ता है उसमें दूसरा नुकसान इलाके का यह होता है कि वो कमर्शियल दुकानें बनाता है, वह पांच

मंजिल मकान भी बनाता है, वह छज्जा भी निकालता है, वह पार्किंग भी नहीं है। अगर यह वहां नक्शा पास करने लगें तो शायद एमसीडी के पास एक तो पैसे की आज कमी है, वह पैसा भी उनके पास आने लगेगा और इलाके को जो आज दुर्दशा हुई है कि पूरा कमर्शियलाइज्ड हो गया पांच-पांच मंजिलें बन रही हैं, छज्जे बाहर निकले। ये भी ना निकले और मैं तो यह कहता हूं जो 1639 कालोनियां हैं, जो अनअथोराइज्ड हैं, अगर उसके अंदर भी ये नक्शा पास करने का काम शुरू कर दें तो शायद जो आज पैसे की इनके पास कमी है और जो अनअथोराइज्ड कालोनी की दशा खराब हो रही है, ये भी ना हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर एमसीडी अपना काम करे और एक सबसे बड़ी प्राब्लम ये आती है कि जिन कालोनी जैसे हमारी कालोनी, जलबोर्ड द्वारा मेरी कालोनी में सीवर का काम पड़ रहा है जहां अनअथोराइज्ड कालोनी है, वहां हम लोग आसानी से अपनी सड़क को रिपेयर करा लेते हैं फ्लड विभाग से या डीएसआईडीसी से लेकिन जिन कालोनियों में जो लाल डोरा है या जो ओथराईज कालोनी है, अगर हम वहां सीवर डालते हैं तो सीवर डाल दिए हमने और छह-छह साल-साल भर हो गए पैसे लेने के बावजूद भी एमसीडी वहां पर अपना काम नहीं करती और जो करती है इतनी गंदी क्वालिटी से करती है कि वहां पर वह चार महीने भी नहीं चल पाती, तीन महीने भी नहीं चल पाती। सालों से पड़ा हुआ है डेढ़-डेढ़ साल हो गए, दो-दो साल हो गए। खुदा पड़ा है और वो यह कहकर कि हमारे पास फंड नहीं है जब कि हमसे पैसे ले लिए और अगर कहीं परमिशन की बात करते हैं तो ऐसा कोई कानून बने कि जो एजेंसी सीधी चाहे वह अनअथोराइज्ड हो चाहे अनअथोराइज्ड हो, जो एजेंसी काम करे उसी को वह रिपेयर का काम भी वही करे। अगर वह सीवर डाल रही है, जल बोर्ड सीवर डाल रहा है तो अगर वो सड़क तोड़ कर सीवर डाला है तो उसको रिपेयर करने काम भी वही एजेंसी करे उसे, के अंदर ही ये इन्क्लूड हो। ठीक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 में अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मैं उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहती हूं। पिछली बार जब हमारी 49 दिन की सरकार आई थी उस समय भी सर्दियों का समय था और बहुत गंभीर मामला सबके सामने आया कि सर्दी से लोगों की मौतें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ज्यादा से ज्यादा रैन बसेरे बनाए जाने की जरूरत है क्योंकि लोगों के पास घर और छत नहीं है। मैं इस बात की तारीफ करती हूं कि 49 दिन के बहुत कम समय में भी सरकार ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए रैन बसेरे बनाए। इतना ही नहीं, रात भर में जो सुविधाएं उनको दी जानी थी, कम्बल या गरम कपड़े, वो देने का काम शुरू किया गया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं जब से विधायक बनी हूं, हकीकत में मैंने यह देखा है कि वहां जो लोग मरे, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, मेरा मानना है कि वो मौतें ठंड की वजह से नहीं थी, राजनीति हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी आपका सब्जेक्ट देख रहा हूं जो लिखा है, उसमें ये नहीं है।

सुश्री अलका लाम्बा : सर, में ये नशे की तरफ ही आ रही हूं मैं आधार बना रही हूं इसको ये जो एफआईआर है, पुलिस का लॉ एण्ड आर्डर की बात है, वह मौतें नशे से होती हैं। आज आप डिटेल मंगाइए। एफआईआर नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय है Delhi police claims that FIR registration is done whenever a complaint is received.

सुश्री अलका लाम्बा : ये जो मौतें हो रही हैं, उसकी एफआईआर नहीं हो

रही है। मैं वही आपसे कह रही हूं रोजाना लगभग दो लाशें प्राचीन हनुमान मंदिर यमुना बाजार, कश्मीरी गेट से उठाई जा रही हैं। यह डाटा मंगवाइए। आपको हकीकत पता लगेगी कि ये लोग ठंड से नहीं, नशे में मर रहे हैं और महीने में साठ लाशें सिर्फ उसी जगह से उठाई जाती हैं जो नशे का सरेआम वहां पर धंधा हो रहा है। नशा लिया जा रहा है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर्दियों का समय आ गया है फिर राजनीति होगी फिर ये कहा जाएगा कि सरकार मानवता के आधार पर इनको मदद नहीं दे रही, लोगों की ठंड से जो जानें जा रही हैं, हकीकत ये है कि वहां ठंड से जान नहीं जा रहीं, मेरी अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर दिल्ली में देखा जाए तो मेरी ही अपनी विधानसभा में 52 रैन बसेरे हैं और अभी कुदेसिया घाट में भी दिल्ली सरकार ने तीन सौ लोगों की रहने की व्यवस्था आज से ही कर दी है कि अगर ऐसा मामला आए, लेकिन मैं यह कह रही हूं कि आपके ये बनाने से कुछ नहीं होगा। मौतें होंगी, क्योंकि मोतें नशे से हो रही हैं और पुलिस इसको नजरअंदाज कर रही है। अगर आप डाटा मंगाएंगे तो हकीकत में इस समस्या से जूझ पाएंगे। मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर रही हूं कि पुलिस से कहिए कि इन मौतों का आंकड़ा अभी क्या है आगे जब गर्मियां थी छह आठ महीनों में इसका दोनों का डाटा जारी करेंगे तो हकीकत सामने आएगी और पुलिस मैं साफ कह रही हूं इसमें बहुत बड़ा ड्रग माफिया है जो काम कर रहा है और मैं फिर वो बात दोहराऊंगी जो शायद किसी को बुरी लगेगी क्योंकि वहां पर जो प्रसाद के नाम पर लोगों को...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, अलका जी, नहीं प्लीज।

....व्यवधान

सुश्री अलका लाम्बा : वो भी एक मौत का कारण है अध्यक्ष जी वो भी

मौत का कारण है। जांच होगी तो रिपोर्ट आएगी आपके सामने। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज एक प्रश्न आपसे भी करना चाहूंगा कि इस विधानसभा के अंदर जो व्यक्ति नियम-280 या किसी भी सदस्य के लिए प्रश्न उठाता है, और उसका श्रेय कोई और व्यक्ति अखबारों के माध्यम से,

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयल : आज लोकतंत्र की हत्या की बात है एक व्यक्ति जिसको जनता ने चुनकर यहां पर भेजा है, उस जनता के द्वारा जो भेजा गया व्यक्ति है वो जनता के हित की बात करता है। और किसी भी प्रश्न को उठाने के बाद सरकार इसको इम्पलीमैंट करती है।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी मेरी बात सुनिए। एक सैकिण्ड।

श्री महेन्द्र गोयल : कोई भी व्यक्ति अखबारों के माध्यम से, अपने सदन के माध्यम से....

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी एक बार प्लीज,

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी प्लीज आज इस बात को आज आप रोकने की कोशिश न करें। दिल की बात है तो आज सभी के सामने हो जाने दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसको आप नियम-280 के बाद रखिए।

श्री महेन्द्र गोयल : बात को सुनने का माद्दा चाहिए। इसी सदन के अंदर आपके समक्ष नियम-280 के अंदर कोआपरेटिव सोसायटी का मुद्दा उठाया गया

था। श्रेय कौन ले रहा है वहां पर विजेन्द्र गुप्ता जी, यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। यदि यहां पर इस सदन के अंदर क्वैश्चन उठाया जाएगा, तो उसका श्रेय भी उसी व्यक्ति को जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। चलिए नियम-280 आइए।

श्री महेन्द्र गोयल : मैं न हिन्दू की बात करता हूं न मुसलमान की बात करता हूं। मैं बात करता हूं तो सिर्फ इन्सानियत की बात करता हूं।×××[1] ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, नियम 280 पर आइए। प्लीज। यह×××[1] शब्द को निकाल दीजिए।....(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयल : नेता प्रतिपक्ष ने यही रवैया अपनाया तो हमारे साथ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : xxx शब्द को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री महेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी मैं यह क्वैश्चन तभी उठाऊंगा जब आप यह कहोगे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। आप आज आश्वस्त करेंगे। मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने क्वैश्चन को वापिस ले लेता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज से सदन के अंदर मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। दो मिनट बैठिए।

श्री महेन्द्र गोयल : मुझे न्याय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, मैं अपना वक्तव्य दूं।

(×××[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन कार्यवाही से निकाला गया।)

श्री महेन्द्र गोयल : मुझे न्याय चाहिए। आपके माध्यम से न्याय चाहिए। सदन के अंदर न्याय चाहिए। यदि मैं यहां पर गलत हूं तो सदन मेरा बहिष्कार करे। आप बहिष्कार करें। मैं जो बात करूंगा, बिल्कुल सच्ची बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, आप मेरी बात सुनिए। विजेन्द्र जी, दो मिनट रुकिए प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयल : आपके इसी सदन में आपके समक्ष मैंने क्वैश्चन उठाया था। आप अखबारों के माध्यम से क्या देखते हैं ? कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज का काम विजेन्द्र गुप्ता ने करवाया लेकिन हमारी सरकार इतनी उदारवादी है, उसका भी खंडन नहीं करती। मैं सरकार से भी पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी आपका विषय हो गया। एक मिनट मुझे मौका देंगे ?

श्री महेन्द्र गोयल : हां बिल्कुल।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। यह बात ठीक है। आप दो मिनट बैठ जाइए। यह विषय उस दिन आपने उठाया भी था। यह बात ठीक है मिनिमम 280 के अंतर्गत छठे महीने में आपने यह विषय सदन में उठाया था। एक सैकेंड। मैं सदन की बात कर रहा हूं। विजेन्द्र जी, दो मिनट रुक जाइए। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।....(व्यवधान) विजेन्द्र जी बैठ जाइए, अब बीच में मत टोकिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। फिर उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। बैठिए ओम प्रकाश जी। नितिन जी, विजेन्द्र जी ने भी बात कही है। तीसरे महीने में या चौथे महीने में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग नियमित रूप से या उप मुख्यमंत्री जी से या अन्य मंत्रियों से अपनी विधान सभा से संबंधित कार्यों से मिलते रहते हैं और लिख

कर भी दे कर आते हैं। लेकिन सदन में उठाना और व्यक्तिगत मिलना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसको समझिए। एक सैकेंड मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। आप दो मिनट बैठ जाइए।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, प्लीज। यह बात ठीक है नियम-280 में आया था। उस दिन विजेन्द्र जी ने उसको चर्चा में लिया। चर्चा हुई नितिन जी ने उस पर अपना अमेंडमैंट प्रस्तुत किया और विजेन्द्र जी को दिखाया। 16 तारीख को नोटिफिकेशन हो चुका था। उस नोटिफिकेशन में, एक मिनट रुक जाइए ओम प्रकाशजी। उस नोटिफिकेशन को लाने में, चर्चा करने में दो-तीन महीने लगे होंगे और मैं एक बात कह रहा हूं कि इस ढंग के विषय अनेकों बार आएंगे, अनेकों बार होंगे। कहीं से अधिकारियों द्वारा कोई विषय लीक हो गया तो तुरंत क्वैश्चन लगाया जा सकता है। मैंने किया या कई और भी विषय आ सकते हैं, इसमें इतना भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन में यह बात रख रहा हूं कि कुछ भी नहीं आपने नियम 280 में लगाया, विजेंद्र जी लेकर आए लेकिन क्या यह हमारे लिए इस सरकार के लिए सीना ठोकने की बात नहीं है कि 20 साल के इतिहास में दिल्ली सरकार जब से बनी, यह पहली बार इस सरकार ने किया है हां मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिल्ली की जनता के हित में मुझे बोलना पड़ेगा। रुक जाइए दो मिनट। महेन्द्र जी बैठ जाइए। मुझ पर बार-बार नेता विपक्ष के लोग यह आरोप लगाते हैं। मैं भी सदन का सदस्य पांच साल रहा हूं। नितिन जी दो मिनट रुक जाइए। प्लीज। ओम प्रकाश जी आप दो मिनट बैठ जाइए। जब स्पीकर बोले तो आपको चुप रहना चाहिए। इस मर्यादा को समझिए। बैठिए, दो मिनट। आपको परेशानी क्यों हो रही है? सत्य सामने आ रहा है आपको परेशानी क्यों हो रही है? मैं सत्य बोल रहा हूं। मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं। जब मैं सदन का विधायक था तब भी हमने मांगें रखी थीं, फतेह सिंह

जी इस चीज के गवाह हैं। अनेकों बार मैंने उस दिन टिप्पणी की है इस बात पर कि 25-25 सदस्य थे 20 साल बीत गए। एमएलए फंड आज तक सोसायटी में नहीं लग सका। इस सरकार ने पहली बार ऐसा निर्णय हुआ है। यह सरकार बधाई की पात्र है। महेन्द्र जी किसी और विषय पर नहीं, आप सीधा अपना विषय पढ़िए।

श्री महेन्द्र गोयल : ठीक है, अध्यक्ष जी, आपकी बात को मानते हुए,

अध्यक्ष महोदय : अब उस विषय को मत छोड़िये।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड।

अध्यक्ष महोदय : महेन्द्र जी, प्लीज। नहीं तो रोक दीजिए आप। मत पढ़िए। आप सीधा नियम 280 पर आइए। महेन्द्र जी, 280 पर आइए। मेरे बोलने के बाद कोई विषय नहीं रह जाता।

श्री महेन्द्र गोयल : ठीक है, अध्यक्ष जी। एक सभ्य सदस्य होने के नाते मैं आपकी बात मान लेता हूं। क्योंकि मैंने असभ्यता नहीं सीखी है, मैंने सम्मान करना सीखा है। मैं सदन का सम्मान करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री महेन्द्र गोयल : लेकिन एक चीज कहता हूं मेरी यह रिकॉर्डिंग प्राप्त करवा देना चौबीस छः की और उस दिन की। यह मैं सदन से चाहता हूं। यह आपसे गुजारिश है।

अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्य अध्यक्ष जी, मैं आज सदन में आपके माध्यम से जो प्रश्न रखने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरी दिल्ली का है क्योंकि मैं पूरी दिल्ली

का नागरिक हूं, विधानसभा को प्रतिनिधित्व देता हूं इसलिए जो भी समस्या होती है, मैं इस समय कामन बात कर रहा हूं। जिससे कि मेरी विधानसभा भी उससे ठीक रहेगी। काफी समय से स्लमवेल बनाए जा रहे हैं। जिन्हें साधारण भाषा में अंदर कुएं कहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से यह पता करना चाहता हूं कि इनके बनाने की तय सीमा क्या है। क्योंकि यह लगभग सब मुख्य रोड के मध्य में बनाए जा रहे हैं जिससे कि यातायात में असुविधा हो रही है और कुछ क्षेत्रों में इसकी वजह से सीवरों व नालियों के पानी की निकासी काफी प्रभावित हो रही है और वो सारे सीवर सारे के सारे बैक मार रहे हैं, काफी सोसायटी तो गिरने के लिए तैयार हो रही हैं जिसके अंदर मैं देख रहा हूं राखी जी की एक सोसायटी भी गिरने के लिए तैयार है। मेरी यहां पर दो सोसायटी हैं, वो भी गिरने के लिए तैयार हैं। उनकी पानी को निकालने की जो व्यवस्था है, यह प्लीज आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि जल बोर्ड उस कार्य को करने में अपने-आप सक्षम है, लेकिन कर नहीं रहा है। पहले किया था, लेकिन अब कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक भी काफी अवरूद्ध है और यह समस्या बनी हुई है तो इस ओर ध्यान दिलाया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज जो यहां पर मैं प्रश्न उठाने जा रहा हूं यह सिर्फ मेरे क्षेत्र का ही नहीं, पूरी दिल्ली और पूरी दिल्ली और दिल्ली वासियों का है स्पेशियली महिलाएं इस इश्यू से बहुत ज्यादा एफेक्टेड हैं क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में शराब के ठेकों की लोकेशन तय की जाती है वो बहुत ही चिन्तनीय है। मेरे क्षेत्र में एक सनलाईट कालोनी है जहां पर एक शराब का ठेका खुला हुआ है

उसके सामने एक पूरी झुग्गी बस्ती है और पीछे मिडिल क्लास फेमिली और मिडिल क्लास सोसायटी और उसके बगल में जहां मैं भी रहता हूं और उसके बगल में एक एमसीडी का स्कूल है और एक सर्वोदय कन्या बालिका स्कूल है। जिसकी बाउण्डरी शराब के ठेके से टच है। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की अगर शराब के ठेके की लोकेशन तय की जाएगी तो मुझे लगता है कि कहीं भी शराब से बच पाना या बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए शराब से बच पाना बहुत नामुमकिन हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने अपने मैनिफेस्टो में पहले यह बात रखी थी कि महिलाओं द्वारा यह तय किया जाएग कि या उनका कन्सेन्सस लिया जाएगा कि शराब के ठेके खुलने से पहले महिलाएं पहले वहां पर इस बात का आश्वास्त करें कि वहां पर शराब का ठेका खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में जरूर सोचें और इसको लाएं। इसके अलावा एक इश्यू मैं दोबारा रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी नियम 280 में एक क्वैश्चन हो गया रिलेटिड।

श्री प्रवीण कुमार : एक छोटी सी बात...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा नियम 280 में लगा लीजिए। प्लीज। अन्यथा बाकी सबके रह जाएंगे।

श्री प्रवीण कुमार : प्लीज। एक छोटी सी बात। वैसे तो सर, इस प्रश्न का विषय जो लापता हो चुके हैं, हमारे एम. पी. साहब, को उनको उठाना चाहिए क्योंकि यह सैंट्रल गवर्नमैंट से रिलेटिड है और रेल मंत्रालय के अंदर आता है जो कि हमारे सराय कालेखां रेलवे स्टेशन यहां पर पार्सल आफिस बना हुआ है जिसमें कि रेलवे की लगेज की गाड़ियां आती हैं, बड़े-बड़े ट्रक आते हैं, जिसके कारण

हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा जाम लगा रहता है। उस जाम के कारण कई सारी मौतें सड़क पर ही हो जाती हैं तो इस सदन के माध्यम से मैं रेल मंत्रालय को आपके द्वारा एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो वहां से पार्सल आफिस या तो शिफ्ट कर दें या तो वहां से एक एल्टरनेट रोड जो कि वहां के रेजीडेंटस को दे दें ताकि वहां के रेजीडेंटस की प्राब्लम सॉल्व हो सके। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं सोमनाथ भारती जी ने जो गांव की समस्या और रेहड़ी-पटरी की बात कही, उसके लिए मैं सिर्फ आपसे एक मिनट का समय चाहता हूं कि दिल्ली में आज अराजकता का माहौल है। पहले दुकान के आगे एक रेहड़ी खड़ी होती थी, अब उसके आगे एक रेहड़ी और लगने लगी है। खड़ी होती है। पूरी रोड पर यह हाल है। लोगों का घर से निकलना दूभर है। तो मेरा डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध है कि इस पर कोई पार्टी राजनीति न करके दिल्ली के हित में, क्योंकि इतनी विकट समस्या बन जाएगी आने वाले दो-चार सालों में कि आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसमें चाहे दिल्ली पुलिस का भी सहयोग लेना पड़े, गुप्ता जी में आपसे भी आग्रह करूंगा कि इसमें दिल्ली पुलिस सहयोग करे, दिल्ली सरकार सहयोग करे क्योंकि दिल्ली में आज बहुत ही माहौल खराब है। चाहे आटो वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे रेहड़ी-पटरी वाला हो, उसके लिए मैं आपसे और सिसोदिया साहब आपसे भी आग्रह है कि जहां कहीं भी चलना पड़े तो हम आपके साथ चलेंगे और दिल्ली की जो समस्या है, उसका समाधान हमें कहीं से भी खोजना पड़ेगा। दूसरा अभी अमानतुल्लाह साहब ने, हमने अनआथोराइज्ड कालोनी और सफाई की बात कही है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी बोल रहे हैं, उनको तो बोलने दो।

श्री जगदीश प्रधान : दूसरा अमानतुल्लाह साहब ने, अनआथरोइज्ड कालोनी में सफाई का मुद्दा उठाया। यह दिल्ली की जेन्युइन समस्या है और मैं डिप्टी सीएम से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में हमारे होर्डिंग्स लगते हैं, कहीं कूड़ा वगैरह पड़ा हो, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक पोलिथिन के ऊपर पूर्ण तरीके से बैन नहीं लगेगा, आप दिल्ली में सफाई नहीं कर सकते। तो मेरा आग्रह है कि पोलिथिन पर पूरे तरीके से बैन होना चाहिए तब जाकर दिल्ली स्वच्छ रह सकती है। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आइए, आइए।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय, जमुना पार विकास रोड। सर, जमुना पार में जो विकास के कार्य होते थे, वो काफी कामों से होते थे। आज नौ महीने बीतने के बाद पता यह लगा था कि जमुना पार विकास रोड का गठन कर दिया गया। परन्तु आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जमुना पार विकास रोड के माध्यम से जो काम हुआ करते थे, नौ महीने के अंदर मेरे विचार से एक भी काम नहीं हुआ है। अभी पांच महीने पहले अपने मंत्री मिश्रा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज यहां कुछ स्कीम थी, हमने वो पास कर दी है। हमने उनका धन्यवाद किया बाहर। सदन के बाहर की बात है। लेकिन आज नौ महीने बीतने के बाद उन स्कीमों में से एक भी स्कीम किसी भी क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की पास नहीं हुई है। अब यह मुझे पता लगा कि केवल दो स्कीमें पास हुई। एक मान्यवर गोपाल राय जी के विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर में पुल बनना है उसकी हुई है और कपिल मिश्रा जी के विधानसभा क्षेत्र की हुई है। क्या और विधायक हम

दिल्ली के विधायक नहीं हैं? हमारे यहां समस्याएं नहीं हैं। केवल मंत्रियों के यहां, जमुना पार विकास रोड से हो रहा है, फ्लड के माध्यम से हो रहा है। सरकार के माध्यम से काम हुआ हो। तो हमारे लिए क्यों नहीं? हमारी इतनी हालत खराब है, निकलने के रास्ते नहीं हैं। तो मेरा डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध है कि बहुत ही हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है कि दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जितनी भी स्कीम बनाई है, नौ महीने के अंदर, उन स्कीमों में से मंत्रियों की, स्कीम छोड़कर एक भी स्कीम आज तक पास नहीं हुई है। मुझे पता लगा और मैंने पूछा कि स्कीम पास क्यों नहीं हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई डीसीए की पोस्ट है। पांच, श्यामनाथ मार्ग पर बैठते हैं वहां डी. एस. रावत साहब बैठे हैं जितनी भी फाइलें वहां जाती हैं, किसी भी फाईल को वहां रिसीव नहीं किया जाता वापिस भेज दिया जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं अगर इस तरह का अधिकारी है, तो उस अधिकारी को वहां से हटाया जाए। जमुना पार विकास रोड के माध्यम से या फ्लड के माध्यम से जो विकास कार्य होने हैं, उनको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय परिवहन मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि कल जो द्वारका में 'कार फ्री डे' हुआ, पहले 'कार फ्री डे' से कम से कम दस गुना साईकिलें थीं और पूरी दिल्ली से लोग वहां पर शामिल हुए और लोगों ने इस पूरे कदम का बहुत ही सम्मान किया। इसके लिए पूरी दिल्ली सरकार को और परिवहन मंत्री जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1972-73 में किसानों को जमीनें दी गई थीं। भूमिहीन किसानों को जमीनें दी गई थीं इसमें 120 वर्ग गज के प्लॉट भी थे और एक एकड़ जमीन थी और लगातार इसकी गिरदावरी पटवारी के रिकार्ड में जमा होती रही।

इसकी काश्तकारी जमा होती रही। लेकिन पिछले कई सालों से उनकी गिरदावरी होनी बंद हो चुकी है और यह जो मुद्दा है, यह सदन में समय-समय पर लगभग हर विधानसभा सत्र में यह उठता रहा है और अप्रैल 2012 में कैबिनेट ने यह डिसीजन भी दिया था और फाईल माननीय राष्ट्रपति तक पहुंची थी। लेकिन इसमें अब सरकार जो कर सकती है, वो यह कर सकती है कि जो यह गिरदावरी पटवारी तहसीलदार ने खत्म कर दी है, काश्तकारी जो खत्म कर दी है, उसको पुनः शुरू करवाया जाए और खाली गिरदावरी खत्म नहीं की बल्कि उनकी जमीनें छीन कर उनको ग्राम सभा में मर्ज कर दिया गया है यानी कि वो किसान आज बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और डर है कि कहीं मास्टर प्लान 2021 में उसकी जमीन बड़े-बड़े बिल्डरों को भू माफियाओं के पास न चली जाए इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मेरा डिप्टी सीएम साहब से भी अनुरोध है कि डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को बुलाकर और हमारे जो देहात क्षेत्र के कुछ विधायक हैं, उनको उस मीटिंग में बुलाएं और इसके ऊपर कोई न कोई एक ठोस निर्णय लें और निर्णय यह हो सकता है कि इसमें आप यह मालिकाना हक देने के लिए, मुझे पता है कि सैंटर की जरूरत पड़ेगी और एलजी साहब के माध्यम से फाईल राष्ट्रपति तक पहुंचेगी लेकिन इसमें हम भूमिधर बना सकते हैं और भूमिधर बनाने का फायदा यह होगा कि जमीन टोटल करीबन 6800 एकड़ जमीन है जिसमें से 2000 एकड़ जमीन को भूमिधर आलरेडी बनाया गया है तो यह पूरे डिपार्टमैंट से पूछने का विषय है कि वो कैसे बन गए जबकि 4800 एकड़ वाले नहीं बने क्योंकि जब सरकार ने जब 50,000 रुपया प्रति हैक्टेयर का मुआवजा बांटा तो जो 4800 हैक्टेयर वाले हैं उनको एक चवन्नी नहीं मिली और जिन 2000 एकड़ वाले को भूमिधर बनाया गया, उनको वो पैसा मिल गया यानी कि एक ही दिन, एक ही वर्ष में प्रावधान पास हुआ लेकिन आज वो 4800 एकड़ वालों की जमीन छीन ली जा रही है। इसलिए मेरा माननीय उप

मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए इसके ऊपर संज्ञान लें और अन्त में जगदीश प्रधान जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने गम्भीर विषय में कई बार दिल्ली पुलिस चाहे डीडीए हो, उसको भी लपेट लेते हैं। कहीं हैड लाईन यह न चल रही हो कि कहीं जगदीश प्रधान हो सकता है, आप में शामिल हों। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री कैलाश गहलोत : ये जो गुलाब भाई ने मुद्दा उठाया है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : ये नियम 280 का विषय है...व्यवधान

श्री कैलाश गहलोत : Sir I understand but I just want to, Sir, not more than one minute I take सर मैं इसमें ये बात कहना चाह रहा हूं कि जब जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको सरकार ने जमीन दी और वो लोग कब्जे में बैठे हुए हैं तो क्या ये अधिकार है सरकार के पास कि उनको बिना नोटिस दिए उनकी जमीन की मल्कियत को खत्म कर दिया जाए। ये सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस है और वे लोग जो हैं, वो बिल्कुल गरीब लोग हैं सर। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका अधिकार, आपका राइट सिर्फ किताबों में है? आपका अधिकार, आपका राइट्स जो पैसे...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : गुलाब सिंह जी ऐसा है, जिन-जिन गांवों में जहां-जहां हुआ है एक बार लिखित में माननीय उप-मुख्यमंत्री को दे दे।

श्री गुलाब सिंह : नहीं-नहीं सर ये सीएम साहब गए थे वहां, तो उनके सामने भी ये बात आई थी। वहां पर किसानों ने खुद मन से ये बातें बताई थी। हम मिले भी है मुख्यमंत्री साहब से।...व्यवधान

श्री कैलाश गहलोत : ये सारी चीजें सरकार की नालेज में है। डीसी से लेकर ऊपर के जो अधिकारी है, उनकी नालेज में है तो मैं सर जानना चाहता हूं, क्या हमारा अधिकार है, हमारा Constitutional right, fundamental right या कोई भी right, क्या सिर्फ पेपर पर है आज के दिन?

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिए अब। श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं आज आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, द्वारका में एक मातृ-शिशु अस्पताल है दादा देव के नाम से, उसके बारे में जो कि 80 बैड का हास्पिटल है और ये पूरे दक्षिणी-पश्चिमी दिल्ली में एकमात्र माता-शिशु अपस्पताल है जहां पर द्वारका, सागरपुर, सीतापुरी, पालम, डाबड़ी, महावीर एंकलेव, मटियाला हर जगह से अलग-अलग पेंशट्स आते हैं। यहां पर हर साल सात लगभग हजार बच्चों का जन्म होता है। रोज लगभग 25 बच्चों का वहां जन्म होता है और सीजेरियन, जो एक बड़ी सर्जरी होती है वो भी लगभग हर महीने सौ के न्यूनतम एवरेज सौ सर्जरी होती हैं वहां पर और तीन सौ-साढ़े तीन सौ पेंशट वहां पर ओ. पी. डी. के लिए हर रोज आते हैं। ये अस्पताल केवल 80 बैड का है मगर बच्चे के और माता के इलाज के लिए दीन दयाल के मुकाबले लगभग आधा 50 प्रतिशत यहां पर पेंशट्स आते हैं। मगर जो सुविधाएं यहां पर हैं, ये दीन दयाल उपाध्याय के मुकाबले दस परसेंट भी नहीं हैं तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस अस्पताल को, क्योंकि ये माता-शिशु के लिए बना है और पश्चिमी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में इकलौता ऐसा अस्पताल है जहां केवल Specialized Care Mother & Child के लिए प्रोवाइड की जाती है तो इसके लिए सरकार इंवेस्टमेंट करे और जो कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहां जरूरत है, यहां कोई भी आईसीयू की फैसिलीटी नहीं है। अस्पताल है मगर इसमें

आईसीयू नहीं है। नियोनेटल केयर जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनकी केयर के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। यहां तक कि यहां पर सीनियर रेजीडेंट्स, रेडियालोजिस्ट एंड डाक्टर्स तक नहीं हैं। इसकी वहां पर सुविधा कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा में लगाए हुए सीसीटीवी कैमरों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हमारे पूर्व विधायक-तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक को एमएलए-पीडी योजना के तहत 2013-14 का फंड का आबंटन हुआ था। आर.के.पुरम में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए एमएलए-पीडी योजना के तहत 42 लाख रूपए में इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, एडमिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फस्ट फ्लोर, फेज-3 ओखला को यह कार्य सौंपा गया था। आर.के.पुरम विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे उपयुक्त कंपनी द्वारा कहीं भी नहीं लगाए गए हैं। कंपनी द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से भी सीसीटीवी कैमरे से संबंधित सूचना मांगने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। फंड की राशि का दुरुपयोग किया गया है, आज तक कंपनी पूर्व विधायक-तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक या कंपनी या जो भी इसके उचित अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सीपीडब्यलूडी विभाग को एमएलए पीडी योजना के तहत...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अरे! भ्रष्टाचार का मामला दे रहे हैं, पूर्व विधायक का? ...व्यवधान... ये सरकार का पैसा है, चलिए आप चलिए...व्यवधान... प्रमिला जी पूरा करिए, पूरा करिए।

श्रीमती प्रमिला टोकस : सीपीडब्ल्यूडी विभाग को एएमएल-पीडी योजना के तहत 2013-14 में 45 लाख रुपए आबंटन, सीपीडब्ल्यूडी पार्कों में झूले व कैनॉपी

आदि लगाने के लिए दिया गया था। आर.के. पुरम क्षेत्र में किसी भी सीपीडब्ल्यूडी पार्क में विभाग द्वारा झूले व कैनॉपी आदि नहीं लगाए गए हैं। ये फंड की राशि का दुरुपयोग है। मैं सदन के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जांच की अपील करती हूं जो भी दोष है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और ये साहस न कर पाए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें एक थोड़ा-सा संशोधन कर लें, तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक कर दे, जहां विधायक का नाम आया है, तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक। धन्यवाद, नियम 280 के सभी पूरे हो गए हैं, अब पौने चार बजे है सवा चार बजे पुनः मिलेंगे आधे घंटे के लिए टी ब्रेक।

(सदन की कार्यवाही 4.15 बजे तक चाय काल के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4.20 बजे पुनः समवेत हुआ।

***अध्यक्ष महोदय* (श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विनती करनी है... .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड के लिए बैठिए। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि बैल दस मिनट तक बजती रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। हमको समय का ध्यान रखकर सदन में आ जाना चाहिए। एक जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसा कि सदन को विदित है कि शुक्रवार, दिनांक 20.11.2015 को सदन की बैठक के दौरान माननीय सदस्यों ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन के कारण पुलिस ने अप्रत्याशित ढंग से ट्रैफिक को डायवर्ट किया था, जिसके परिणामस्वरूप सदस्यों को सदन की बैठक में भाग लेने के लिए विधान सभा पहुंचने में परेशानी का सामना

करना पड़ा था। स्वयं मुझे भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पहुंचने में देरी हुई थी। सदस्यों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मैंने आज दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त श्री दीपक मिश्रा जी को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया और उनको सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराया तथा बताया कि क्योंकि सदस्य अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विधान सभा आ रहे हैं भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विशेष आयुक्त ने भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को इस विषय में मेरे समक्ष निर्देश दिया। विशेष पुलिस आयुक्त के साथ आज की बैठक के बाद भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री अमानतुल्लाह खान पर कथित हमले के संबंध में शुक्रवार, दिनांक 20.11.2015 को, उनसे जो पत्र प्राप्त हुआ था, वह भी पुलिस आयुक्त को अग्रेषित करके, उनसे इस संबंध में समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। आज माननीय सदस्या सुश्री सरिता सिंह ने भी दिल्ली पुलिस के संबंध में शिकायत दी थी, उसे भी विशेष आयुक्त को सौंप दिया गया और समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त दीपक मिश्रा जी मिले बड़ी सज्जनता से, उन्होंने तुरंत आदेश दिया है मेरे सामने कि चंदगीराम अखाड़े से आगे किसी भी प्रदर्शन को ड्यूरिंग दि सैशन अलाउ न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हां, सोमनाथ जी, क्या कहना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्यों को चिंता है कि जो नियम 280 में हम मामले उठा रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके आप इस पर कुछ कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, अमानत भाई पर जो हमला हुआ, वो

शुक्रवार की घटना है कि यहीं पर गरमागर्मी हुई, जिन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद धमकाया भी गया बाहर आकर, देखिए यह हमला उसके बाद हुआ है। पुलिस जो कार्रवाई करेगी, वो करेगी पर इस सदन को भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अध्यक्ष जी, मैं आपसे जांच के लिए जरूर कहूंगी। यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : वो मैंने अभी दिया है, दीपक मिश्रा जी को। अमानतुल्लाह जी, प्लीज बैठिए....(व्यवधान)

श्री अमानतुल्लाह खान : जिस तरह से इन्होंने गुंडा कहा था, आतंकवादी कहा था, इन्हीं लोगों ने हमला कराया है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, मेरा यह कहना है...

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, वो मैंने जांच के लिए दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। वो पूरा उत्तर देंगे। अब प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : एक-दूसरे पर आरोप न लगाए।

...व्यवधान...

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, यह जो वीडियो रिकार्डिंग है, मैं आपसे निवेदन करूंगी, अमानत भाई को वो वीडियो रिकार्डिंग उपलब्ध करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके कि किस तरीके से उन्हें बाहर अंजाम भुगतने के लिए यहां पर...

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, प्लीज बैठिए। अमानतुल्लाह जी, बैठिए।

...व्यवधान...

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, मैं एक मिनट अपनी बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिए।

श्री अमानतुल्लाह खान : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट के अंदर और विधान सभा के अंदर जो मैम्बर हैं उनको पूरी आजादी से अपनी बात रखने का हक है और यह संविधान ने हक दिया है। अगर हम कोई बात यहां रखते हैं और उसके बाद हम पर अटैक होता है तो उसके लिए तो आप हैं। अगर हमारी बात किसी को पसंद नहीं आई है, कोई अभद्र भाषा हमने इस्तेमाल की है, तो उसके लिए तो अध्यक्ष जी हैं। लेकिन अगर कोई बात हम यहां रखते हैं और हम पर उसके बाद अटैक होता है और यहां खुलेआम जिस तरह से धमकी दी, कहा कि हम आपको बाहर देख लेंगे, गुंडा कहा, आतंकवादी कहा और उसके बाद फिर कैसे, अगली बार हम कैसे कोई बात करेंगे? ऐसे तो लोग डरने लगेंगे बात करने से। हम बात रख ही नहीं पाएंगे, हम बात कर ही नहीं पाएंगे। अगर बात करने पर हम पर हमला होगा, अटैक होगा।

...व्यवधान...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप एफआईआर क्यों नहीं लिखते?

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी, इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और मैं इसको पर्सनली टेकअप कर रहा हूं बैठिए प्लीज भावनाओं को समझें में इसको पर्सनली टैकअप कर रहा हूं...व्यवधान

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं को समझकर मैं इसकी पर्सनली टैकअप कर रहा हूं अब नहीं। बहुत महत्वपूर्ण विषय रह जाएंगे प्लीज-प्लीज...व्यवधान...

श्री अमानतुल्लाह खान : इसी सदन में नेता विपक्ष ने कहा आतंकवादी ...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंद : xxx[1]

अध्यक्ष महोदय : अब छोड़िए उस विषय को। अब बार-बार ये विषय भई कहना चाह रहे हैं आप...व्यवधान...ये निकाल दीजिए सारी चीजें ये कार्यवाही से निकाल दीजिए सब...व्यवधान...सोमनाथ जी आपको सदन चलाना है कि नहीं चलाना? मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हमको सदन चलाना है ना। बैठिए ओम प्रकाश जी, अब इधर से कोई नहीं बोलेगा प्लीज सोमनाथ जी बैठ जाइए...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी बैठिए, अलका जी बिरला जी, अलका जी बैठ जाइए प्लीज, राखी जी अच्छा अब बैठ जाइए, दो मिनट बैठ जाइए, राजेश जी दो मिनट तो बैठ जाइए प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : अध्यक्ष जी मेरा आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि ये इधर देखकर क्यों बात करते हैं? ये देखिए। आप देखिए। सदन इस तरफ चल रहा है या इस तरफ चल रहा है कि ये सिर्फ पत्रकारों को देखना चाहते हैं तो पत्रकारों के साथ सदन चलाइए।

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी...व्यवधान...ओमप्रकाश जी, भाई साहब ओमप्रकाश जी बैठिए। नितिन जी अब बैठ जाइए। सरिता जी बैठिए प्लीज, राखी जी, अरे आप

[1]xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार से कार्यवाही से निकाले गए।

तो बैठिए ना। आप बैठ जाइए, नितिन जी, जगदीप जी बैठाइए। महेंद्र जी अब ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, कमाल है, एक सोमनाथ जी ने अच्छा विषय उठाया। उसको मुझे पूरा कर लेने दीजिए ओम प्रकाश जी बैठिए। सोमनाथ जी ने ये विषय रखा है, भई अब रहने दीजिए। अब मत टोका-टाकी करिए प्लीज। सोमनाथ भारती जी ने एक विषय रखा है गंभीर इस विषय पर मैं पहले भी निर्देश दे चुका हूं माननीय मंत्रियों से आग्रह करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी की अधिकारियों को दिशा-निर्देश दें जितने भी नियम 280 में प्रश्न यहां आते हैं 30 दिन का हमने समय तय किया था। लेकिन अधिकांश 95 परसेंट एमएलए ने कहा है कि उत्तर नहीं आया है। ये बहुत गंभीर विषय है सदन की गरिमा के लिए उचित नहीं है और मेरी ये प्रार्थना है व्यक्तिगत की ये नियम 280 के उत्तर आएं और इसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए बहुत-बहुत धन्यवाद।

विधेयक का पुरःस्थापना, चर्चा एवं पारण

विधेयक का पुरःस्थापन मैं श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना कर रहा हूं 'दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)' को सदन में introduce करने की Permission मांगेंगे।

गृह मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015, को सदन में, पुरः स्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इसके विरोध में एक वोट पड़ी है। हम बताएंगे क्यों पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य की ओर से ना उत्तर आया है तो इसलिए, चलिए

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब गृह मंत्री विधेयक को सदन में introduce करेंगे।

श्री सत्येन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव को सदन के सामने रखने से पूर्व कुछ बातें बताना चाहूंगा इसकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां।

गृह मंत्री : मैंने तो अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति है मैंने तो कहा सदन पटल पर रखिए

गृह मंत्री : ठीक है अध्यक्ष जी जब कभी पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु होती है या कोई महिला जिसकी मृत्यु शादी के सात साल के अंदर हो जाती है या कोई आत्महत्या करता है तो उन केसिज के अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने के अधिकार दिल्ली सरकार के पास है परन्तु और किसी तरह का अपराध होता है जैसे कि पिछले कुछ समय के अंदर चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक तीन साल की बच्ची के साथ मंगोलपुरी में बलात्कार हुआ, यह अचानक छोटी-छोटी बच्चियां गायब हो जाती हैं यहां रेप के बहुत सारे कैसेज होते हैं और सस्पीशियस डेथ होती है, हम कहते हें पोलिस कस्टडी की डेथ की इंक्वायरी नहीं हो सकती है तो सरकार ये चाहती है कि जहां पर लगे की बहुत ही संगीन मामला

है, तो सरकार उन सभी केसिज का एसडीएम या डीएम के द्वारा उनकी जांच करा सके, यही इसमें हम संशोधन करना चाहते हैं बिल के अंदर उसके अंदर लिखा गया है कि हम जांच करा सकते हैं एसडीएम के द्वारा, तो उसके अंदर हम एक ही नियम जोड़ना चाहते हैं कि बाकी चीजें जो सरकार उचित समझे, वो सरकार इसके अंदर जोड़ सकती है। अब अध्यक्ष महोदय मैं सदन की अनुमति से 'दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)' सदन में पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन यह प्रस्ताव करेंगे कि 'दंड संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)' पर विचार किया जाए।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015, को सदन में पुनः स्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : ये इन्ट्रोड्यूस हो चुका है दो दिन पहले आपको दिया जा चुका है, नहीं, केवल उसी दिन, देखिए ऐसा है सदन में चर्चा के लिए जो नियम है उसी दिन भी सदन पटल पर रखकर चर्चा हो सकती है, कम्पलशन जो है, वो 2 दिन पहले वो बिल मैंबर्स को सरकुलेट हो गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आगे पीछे क्यों कर रहे हैं क्या जल्दी है? ...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : चलिए, मंत्री जी ये छोटा सा बिल है कोई लंबा-चौड़ा बिल नहीं है।

श्री सत्येन्द्र जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब ये बिल विचार के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। ये सीआरपीसी बिल 2015 इस पर चर्चा के लिए श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : Speaker Sir Thank you, for giving me an opportunity to speak on this very important bill. This amendment in CRPC 176 will give the government a power to refer any matter which relates to some suspicious death, rape in police custody or death in police custody. Hereinbefore it was, the power was given to the police under section 174 which reads when the Officer Incharge of a Police Station or some other police officer especially empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by animal or by machinery or by an accident or has died in the circusmstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall immediately give information to the nearest magistrate, executive magistrate empowered to hold inquest and unless otherwise directed by any rule prescribed by the State governemt or any other

general special order of the district or sub divisioal magistrate. So untill today this Power was vested only with the officer who was investigating the case. There are circumstances wherein police was responsible for committing those all offences in connivance with the culprits or the accused person. So, it was felt important by the government that we should make provisions for both the Delhi police officer who may be influenced by himself or by superiors or any authority Commanding on him that he may hush up the matter and the real culprits not come to the books. There are circumstances where police authorities have been noticed that they have committed various offences against the human beings and the subject of the states.

मेरे पास human rights violating by police officials 2013 की रिपोर्ट है यहां nature of human rights violation है। एक्टोरेशन के दिल्ली पुलिस के खिलाफ और ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ 9 केसिज थे जिसमें से चार्जशीट किसी में नहीं हुई और सजा किसी में नहीं हुई। दिल्ली पुलिस के खिलाफ टार्चर के तीन केस थे। चार्जशीट नहीं हुई। सजा नहीं हुई फाल्स इम्पलिकेशन के दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक केस था। ना सजा हुई ना चार्जशीट हुई। इल्लीगल डिटेन्शन, इल्लीगल अरेस्ट के दिल्ली पुलिस के खिलाफ दो केस थे। दो में चार्जशीट तो हुई पर कन्विक्शन एक में भी ना हुई एट्रोसिटीज ऑन एस.सी. एंड एस.टी. दिल्ली के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ। दिल्ली पुलिस के खिलाफ ना चार्जशीट हुई ना कन्विक्शन हुई indignity to women Delhi Police officials 23 केस रजिस्टर हुए केवल 3 में चार्जशीट हुई। सजा एक में भी न हुई। अदर्स जो सेमी हीनियस क्राइम उनमें दिल्ली पुलिस के खिलाफ 102, केस रजिस्टर हुए 11 में चार्जशीट तो हुई पर सजा एक में नहीं हुई। ये टोटल जितने केस हैं मैं स्टेट वाईज पढ़ना चाहूंगा दिल्ली पुलिस के खिलाफ टोटल हीनियस ऑर नान हीनियस 141 केसों में से 16

के खिलाफ चार्जशीट तो हुई पर कन्विक्शन एक में नहीं हुई। असम में 8, ओडिशा में 13, गुजरात में 7, उत्तर प्रदेश में 6, कर्नाटक-पंजाब में 1 टोटल 178 केस में से 18 केवल केसों में चार्जशीट फाईल तो हुई दिल्ली पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ पर कन्विक्शन जीरो थी, यहां इसका कहने का तात्पर्य है और सरकार की सोच ये है कि जो केस दिल्ली पुलिस के पर्सनल अपने लोगों के खिलाफ जो देशवासियों, जो दिल्लीवासी इनके खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वही एजेंसी कर रही है लिहाजा उनके खिलाफ वो चार्जशीट बनने ही नहीं देती और जैसा मैंने कहा कि 178 केसों में से केवल 18 में चार्जशीट हुई, ये शो करता है it was less than 10% में चार्जशीट हुई और कन्विक्शन एक में भी नहीं हुई, ऐसी हालतों में जब हमने लेटेस्ट अपने केसेज देखो हो जहां एक 19 साल की लड़की जिसने दो साल पहले दिल्ली पुलिस में कम्पलेंट की उसको मौलेस्टेशन किया गया है उन लोगों ने उनके खिलाफ जो दो साल पहले कम्पलैंट दिल्ली पुलिस आफीशियल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से उस लड़की की 35 स्टैब्स करके हत्या की गई उसमें बहुत जरूरी था कि पुलिस ऐसे मामले की तहकीकात के साथ-साथ सरकार के पास कोई मैकेनाइज हो जो दिल्ली पुलिस जहां एन्वाल्ब हो उसे सरकार किसी एजेंसी को सौंपे जिससे वो एजेंसी भी साइमलेटेनियसली जैसे 174 में तीन तीन जगह पावर दी है दिल्ली पुलिस को कि वह इन्फार्म करे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो ऐसे और अन्य कारणों पर भी जहां सरकार महसूस करे कि इसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वाल्ब है तो वो 176 में जो अमेंडमैंट ला रहे हैं वो इसको पूरा कर देगा अब दिल्ली गवर्नमैंट के पास यह अधिकार होगा कि ऐसे केसिज को जहां दिल्ली पुलिस की कनाइवेन्स हैं, जहां दिल्ली पुलिस की कहीं-कहीं मुख्य अपराधी हैं, उनको शील्ड करना चाहती है ऐसे लोगों को मुकदमा दर्ज करने के लिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट जो सब

डिविजनल मजिस्ट्रेट या डीएम उसको पावर दी जाए। हमने अभी रीसेन्टली सुनंदा पुष्कर का केस देखा। सुनंदा पुष्कर के केस में हत्या हुई पॉयजन से पर क्योंकि जिन पर हत्या का शक था 17.01.14 उसकी हुई लीला होटल में हसबैंड वाइफ दोनों सस्पीशियस सरकमस्टान्सेज में दोनों वहां थे, हत्या हुई और हत्या के बाद उसको आज दिन तक भी कभी विसरा भेजा गया, कभी उसके गवाहों से जानकारी की गई पर चूंकि अकेले दिल्ली पुलिस कर रही है और क्योंकि दिल्ली पुलिस पर उस समय पर भी दबाव था और आज के दिन भी दबाव है। उस केस में आज दिन तक भी बड़े शर्म की बात है कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि वो इस पॉयजन की पहचान नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से वह मरी हैं उसके बाद इन्होंने एफबीआई को भेजा है; एफबीआई की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद भी अब तक नहीं आया तो इसका केवल कारण ये है कि जो खुद दिल्ली पुलिस है, वो बहुत लोगों के एन्फुलएन्स में काम करती है। हमने इसके अलावा केस देखा गजेंद्र सिंह चौहान का, गजेंद्र सिंह चौहान की अपने आप फिसलने से मौत हुई। कब उसने आत्म हत्या कर ली तब ये एक सब्जेक्ट था। उस समय सब लोगों ने इसको उठाया और एक बार दिल्ली गवर्नमैंट ने एक आदेश पारित करके अपने एक मजिस्ट्रेट को इसकी इन्क्वायरी सौंपी परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में बैठे केंद्र के लोगों के इशारों पर काम कर रहे लोगों ने उस मैजिस्ट्रेट को ये कहकर नकारा कर दिया कि इनकी आपको पावर ही नहीं है। अब ऐसे केस में जहां आपको लगता हो कि सस्पीशियस डेथ हुई है तो आपको एक मैकेनाइज हो ये ना हो कि सेंटर की मर्जी है चूंकि वो उस केस के माध्यम से दिल्ली की उस समय के जो आम पार्टी के चीफ थे और जो पदाधिकारी थे उन पर चूंकि वो उंगली उठवाना चाहते थे इसलिए जानबूझ के उन्होंने मजिस्ट्रेट को न तो इन्क्वायरी करने दी और न ही उनको इन्क्वायरी करने की पावर देने की कोशिश की। हमने लेटैस्ट में भूपेंद्र कुमार का केस देखा है

28/12/2014 को भूपेंद्र की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और उसको उन्होंने सुसाईड बता के चूंकि यहां एन्वेस्टिगेशन एक तरफा होती है। कहीं-कहीं जहां पर इनका अपना वेस्टेड इन्टरेस्ट वो उस केस को अपनी मर्जी से अपने जैसा मोल्ड करते हैं और अपने जैसा चलाते हैं दिल्ली में क्राइम की जो स्थिति है वो इतनी भयावह है यहां 2001 से लेके 2015 तक के मेरे पास आंकड़े हैं डकैती के कुल केस 66 रजिस्टर हुए हैं मर्डर के 473 ये मैं 2015 की पढ़ रहा हूं attempt to murder 658 हैं रॉबरी 6378 है। रायटस के 113 हैं तो किडनैपिंग रैनसम जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है वो 36 हैं जो रेप हैं वो 1856 हैं जो 9580 हीनियस क्राइम है। ऐसे क्राइम में जहां एक तरफ एन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी करती है और जो सस्पीशियस सरकमस्टान्सेज डेथ, रेप, किडनैपिंग या और कोई ऑफेन्स हुए हैं, उनका कई बार जानबूझ के इसलिए नहीं एक्शन लिया जाता है कि उन लोगों की, जो उस अपराध में लिप्त हैं, कहीं न कहीं पुलिस के साथ सांठगांठ हैं या कहीं कहीं ऐसे पालिटिशयन्स के साथ सांठगांठ जो पुलिस को एन्फलुएन्स करते हैं। अतः ऐसे केसों में जहां पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए सोसाइटी को बचाने के लिए, समाज में भय पैदा करने के लिए और मुल्जिमों को एक सही तरीके से सजा दिलाने के जो सरकार सोचती है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल एसडीएम को एक पावर होनी चाहिए 176 में जो एक इन्सर्ट किया जा रहा है जो पैराग्राफ "all the government of National Capital Territory of Delhi may also recommene such cases."

मैं आपके माध्यम से सदन को और भी अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पुलिस कस्टडी में डैथ के जो केस हुए हैं 2011 में दिल्ली में अकेले 30 केस थे जो पुलिस कस्टडी में पिछले 10 सालों में हुए हैं यहां प्रिजन में 224 केस हुए पिछले 10 सालों में प्रिजन की कस्टडी में और एक क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हमारा दिल्ली

का फीगर है, उसमें पूरे राष्ट्र में तीसरे नम्बर पर हैं। यहां उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है, जिसकी टोटल पूरे देश के हिसाब का 16.93 परसैंट ये क्राइम अगेन्सट चिल्ड्रन हुए हैं और दिल्ली में 14.16 परसैंट है। ये ऐसे केस हैं जहां केवल दिल्ली पुलिस कर रही है और कोई एजेंसी नहीं कर रही। लिहाजा बहुत सारे केसों में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से चार्जशीट नहीं है। अगर चार्जशीट है तो आधे से ज्यादा केस में कैन्सिलेशन रिपोर्ट है और अगर केस कोर्ट में चला भी गया तो उसका कन्विक्शन रेट जीरो है। ऐसे में जरूरी है कि बहुत सारे केसिज में जहां ऐसी संभावना है कि हम उन केसिज को सही तरीके से कोर्ट के सामने नहीं भेजें। ये जरूरी है कि हम उन केसिज को सारे-के-सारे को हम सरकार के सामने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जो उन केसेजे को सबको आगे बढ़ाए और ये नौबत न हो कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कभी भी या तो चार्जशीट फाइल न हो या कभी उनकी कनविक्शन न हो। इसलिए जो प्रस्ताव गवर्नमेंट ने किया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और माननीय कानून मंत्री को जो होम मिनिस्टर हैं, उनको बधाई देता हूं कि वे एक ऐसा कानून लाए हैं, जिसकी आज दिल्ली में सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। जो एकतरफा दिल्ली पुलिस की जो एक दादागिरी है, जो एक अकेला एक मैकनिज्म है, उसको तोड़कर लोगों को न्याय दिलाने में बहुत कारगर साबित होगा। इसलिए मैं सदन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कानून का भरपूर समर्थन करें और इसे पास करवाएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री कैलाश गहलौत जी।

श्री कैलाश गहलौत : Honourable Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this important topic and I also congratulate the Honourable Minister, Dy. C.M. and C.M. for bringing this important Bill in this

August House because what this Bill intends to bring about is a very important aspect of natural justice. Speaker, Sir, I would like to place before this House few facts that every day, 18 children go missing in Dehli and Delhi has come to be known as Rape Capital of the coutnry और ये जितने भी केसेज हैं इनमें आज के दिन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि उसमें वो इन्क्वायरी करा सकें। This also raises an important question whether an elected Government can forward these cases for any kind of inquiry or not? जैसा कि मैंने कहा कि this raises a very important aspect of natural justice. I would like to give an example that during my practice at the bar, I have come across so many cases where the clients have come and said that my relative, my brother, my son is missing since last fifteen days. They have lodged an FIR with the police but no action has neen taken. तो उस व्यक्ति के पास क्या समाधान है? ऑनरेबल स्पीकर, उस व्यक्ति के पास आज के दिन सिर्फ एक habeas corpus की रिट पिटीशन फाईल करने का सिर्फ एक है। so, it means the person who is aggrieved, he has to knock the doors of the High Court, engage a lawyer, prepare the entire case और ये मैं अपने व्यक्तिगत, अनुभव जो मैंने महसूस किया है और जो केसों में हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे। and I would like to draw attention of every hououable Member कि ऐसे केसेज में जहां habeas corpus writ petition फाईल होती है, जब हाईकोर्ट नोटिस इश्यू करता है पुलिस स्टेशन को, एस. एच. ओ. को, डी. सी. पी. को तो अगली डेट से पहले वो व्यक्ति मिल जाता है। I so, it means कि जो एक अल्ट्रनेट मैकनिज्म है जो एक Check and balance का मैकनिज्म है that works beautifully in the democratic set up और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए I think this amendment should have been brought long before and, I think, this amendment

will go a long way in strengthening the administration of justice, specially in Delhi और ऑनरेबल स्पीकर, जो मैंने आपको फैक्टस बताए that 18 children go missing every day in Delhi ये सिर्फ फैक्टस किसी आर्टिकल्स के नहीं हैं ये फैक्टस राईट टू इनफारमेशन के तहत दिल्ली पुलिस का रिकार्ड है। six thousand four ninety four children disappear from January 1 to Decembner 31 और इनका कोई आज तक कनक्लूड नहीं हुआ है। I would just like to read once again these four lines from this article. "on an average 18 children go missing in capital every day and four of them never traced. A total of 6494 children 53% of them girls disappeared in Delhi from Jnuary 1 to December, 31, 2013." The report said citing Right to information, replies from Delhi Police. और इस तरह के केसेज they are on the rise every year, every day. So, I think, this is a very important step taken by the Government. Houourable Speaker, Sir,I know the three Members will oppose this Bill क्योंकि मुझे जो अहसास हुआ है अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं कन्स्ट्रक्टिव स्टेप जब भी हमारी सरकार लेती है तो उसका विरोध उन्हें करना है। चाहे वो स्टेप जनता के हित में है या नहीं है तो विरोध तो होगा पक्का but I think this Government should go ahead because दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कुछ केसेज में इन्वेस्टीगेशन कर रही है, तो बिल्कुल भी इस दिल्ली के जनता को स्वीकार नहीं है। This amendmet will further widen the the scope of section 176 and I am hundred percent sure this will go a long way in securing the citizens of Delhi. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अभी गृह मंत्री जी ने बिल पेश करते हुए 176 सीआरपीसी में एमेंडमेंट की बात की है। उन्होंने कहा कि suspicious

disappearance, raps in police custody, suspicious death. इसको एड करना चाहते हैं कंस्टोडियल डेथ और डॉवरी डेथ। यानी की 176 का जो इन्क्वायरी का जो स्कोप है, वो कस्टोडियल डेथ और डॉबरी डेथ तक है और suspicious disappearance, rapes in police custody, suspicious death इसको बढ़ाकर इन तीन चीजों से जोड़ना चाहते हैं लेकिन जो बिल पेश किया गया है उसमें जो एमेंडमेंट मूव किया है or and case referrred by the Govt. of NCT shall be inserted तो पहला वो कान्ट्रीडिक्टरी बयान सरकार की तरफ से ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक्सप्लेन किया है और जो बिल में पेश कर रहे हैं दोनों में विरोधाभास है।

दूसरा विषय अध्यक्ष जी जो 176 है और जो बिल है जब आपने इसके इन्ट्रोडक्शन की बात की थी तो हमने इसका विरोध किया था। उन तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं पहला अंडर सेक्शन 45 ऑफ जीएनसीटीडी एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रपोजल उसमें ये मेंडेट है जीएनसीटीडी एक्ट का वो एलजी को रेफर किया गया कि नहीं किया गया और अगर नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि उसका इन्ट्रोडक्शन जो है, उस पर एक सवालिया निशान है। वो एक तरह का इल्लीगल एक्ट है। दूसरा 239 एए कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को तीन विषयों में पावर नहीं देता है एन्ट्री 1, एन्ट्री 2 एंड 18 और क्योंकि ये पार्लियामेंट से जुड़ी हुई बात है। पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है। ये एन्ट्री 2 से जुड़े हुए अमेंडमेंट है जो इस सदन के परव्यू में नहीं है। एक तरह से इस प्रस्ताव के माध्यम से हम भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है और जो जीएनसीटीडी के लिए भी एक्ट बनाता है यानी कि जो सुप्रीम अथोरिटी है, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट, उसको इस बिल के माध्यम से चुनौती दी जा रही है उसका कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। 176 का एन्ट्री 2 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत ये जो जिन मामलों पर जांच कर सकता है, वो पार्लियामेंट ने तय किया है। कस्टोडियल डैथ

और डॉवरी डैथ इसके आगे पार्लियामेंट ने ये अधिकार अपने पास रखा है। पार्लियामेंट के पास इसके आगे के अधिकार हैं लेकिन इस सदन के अंदर इस तरह की भावना व्यक्त करते वक्त एक तरह से भारत की संसद की अवहेलना, तौहीन और उसको एक तरह से चुनौती दी जा रही है।

दूसरा अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव को पेश करते वक्त अच्छा होता सरकार के ऊपर जो आरोप आ रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप भारत की संसद को चुनौती दी जा रही है। आज दिल्ली की असेंबली में जो एक संवैधानिक संकट की भी स्थिति हो सकती है। इस बात को विपक्ष के द्वारा यहां पर वक्तव्य देने में सरकार अगर अपने पक्ष में कुछ दस्तावेज पेश करती और कर सकती है अभी भी। लेकिन और तकलीफ की बात ये है, दुर्भाग्य की बात है कि वो दस्तावेज भी सरकार के पक्ष में नहीं हैं, सरकार के अपने दस्तावेज। हम चाहेंगे कि सरकार अपनी बात को वजन देने के लिए कैबिनेट नोट को इस सदन के पटल पर रखे। हम चाहेंगे कि सरकार अपनी बात को वजन देने के लिए लॉ आफिस के लॉ डिपार्टमेंट का जो नोट है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करना अनुचित है। ये प्रस्ताव दिल्ली की असेंबली में रखने के लिए, ये सरकार अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चीफ सेक्रेट्री, लॉ सेक्रेट्री और तमाम अधिकारियों के जो केबिनेट नोट हैं, वो हमारे सामने रखा जाए और अगर आपकी अपनी व्यवस्था में, दिल्ली के उपराज्यपाल की व्यवस्था में, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की व्यवस्था में इस तरह की अनाधिकृत चेष्टा गैर कानूनी है। तो मैं समझ सकता हूं कि ये सदन कितना संवेदनशील है कितना सीरियस है कितना जनता की भावनाओं से जुड़े हुए मामलों पर बात करने के लिए यहां इकट्ठा होता है, मिलता है। इसलिए मेरा ये आग्रह है फिर से कि मिनिस्टर साहब इस बिल को वापिस ले लें और अगर उनको किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नजर आती है अमेंडमेंट की जरूरत नजर आती है तो

इसकी मांग करने के लिए वो हमसे भी बात करें हम आपस में मिलकर के इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या आपको दिक्कत है और क्या लगता है और उसको हम भारत की संसद के सामने रखते हैं। लेकिन भारत की संसद के अधिकार को हम कोई प्रदेश की असेंबली अपने लेवल पर इस्तेमाल करके और उस पर कोई बदलाव करने की कोशिश करती है तो शायद ये भारत के लोकतंत्र की भी हत्या है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ है और सरकार की अपनी संवेदनशीलताएं भी इसमें कटघरे में खड़ी होती हैं और सरकार भी कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे नियम और कानून से अपने आपको ऊपर मानती है। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि इस प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए।

श्री मदन लाल : अभी अभी इस बिल के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि ये विरोधाभाषी है वो शायद अच्छी तरह इसको पढ़ नहीं पाए। इसकी जो लेंगवेज जो है इसको मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं जहां Statement of Objects and Reasons लिखा है this Government does not want to limit scope of the Magisterial enquiry only to custodial death, homicide, sucide of a woman or death of a woman but to any other act which the State Government thinks fit for a Magisterial enquiry. The Government wants to widen scope to cover cases of suspicious disappearance, rapes in police custody, suspicious death etc. When, the word is used by the Honourable Minister etc., that does not limit to only these things, It has no restrictions. It says' or the words which are to be inserted in the paragraph is or any case referred by the Government gives a wider scope to the Government to ask for a Magisterial enquiry. Therefore, these submissions by him is not and not sustainable. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : अभी जो नाम आए हुए हैं जरा उनको पूरा कर लें एक सेकेंड। राजेंद्र गौतम जी।

श्री राजेंद्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक तो मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो ये अमेंडमेंट लेकर के आए। चूंकि जो भी हमारे सम्मानीय साथी नेता विपक्ष बोल रहे थे कि केंद्रीय सरकार के अधिकार पर एक तरह का हमला है। एक्चुअली तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पार्लियामेंट के अधिकार पर हमला बता रहे हैं जबकि तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जैक्ट होता है केंद्रीय सूची जिस पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है दूसरा सब्जेक्ट होता है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तीसरा सब्जेक्ट होता है समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो जहां तक सीआरपीसी का सवाल है ये समवर्ती सूची कंकरेन्ट सूची में आता है जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है कानून बनाने का या अपने प्रदेश की सर्कमस्टान्सेज के हिसाब से उसमें कुछ अमेंडमेंट करने का तो पहले मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मंत्री जी का जो ये अमेंडमैंट लाए चूंकि अल्टिमेट परपज क्या है परपज है the justice must previal the justice must prevail जो नहीं हो पा रहा है there is clear cut violation of principal of natrual justice because जब भी कोई डेथ का आरोप पुलिस अधिकारी के ऊपर आता है। जहां पुलिस का या तो डायरेक्ट आरोप आता है या पुलिस का इन्वोलवमेंट आता है। ऐसे सर्कमस्टान्सेस में ये हमेशा संदेह बना रहता है कि जो principle of natural justice है वो उसका क्लीयर कट वायलेशन होगा। क्यों होगा? चूंकि जिस के ऊपर आरोप है अगर जांच का जिम्मा भी उसी के हाथ में हो जाए तो न्याय की उम्मीद बहुत कम रहती है। जैसे अभी आपके सामने एक एक्जामपल है। नन्द नगरी के शाहनवाज के हत्याकांड का। जिसमें पुलिस के अधिकारियों ने जिप्सी में डालकर तीन पुलिस वाले उसके ऊपर बैठ गए और उसकी पत्नी कह रही थी कि इसका दम घुट जाएगा, ये मर जाएगा इसके ऊपर से उतर जाओ। लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। और वो नन्द नगरी। गगन सिनेमा से

केवल थाने तक जाते ही जैसे पुलिस वहां पहुंची है, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसमें आज शर्म की बात तो ये है कि वो विषय आज भी आनरेबल हाई कोर्ट के सामने विचाराधीन है। आनरेबल हाई कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दी थी कि जो पुलिस अधिकारी जिप्सी में उसको डालकर लाए थे, उन पुलिस अधिकारियों को इमीजिएटली आइडेन्टिफाई करके सस्पेंड कर दिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हमारे सामने और क्या हो सकती है कि आज तक भी आनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर को फोलो नहीं किया गया। आइडेन्टिफाई करके उन कलप्रिटस को, उन कलप्रिट पुलिस अधिकारियों को आज तक भी सस्पेंड नहीं किया गया है, जिस पर बहुत सीरियस नोट आनरेबल हाई कोर्ट ने लिया हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। तो मैं समझता हूं सरकार बड़ी गंभीरता के साथ इस अमेंडमैंट को लेकर आई है और हर हालत में इसको पास किया जाना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सरकार को धन्यवाद करना चाहिए, मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इससे चैक एंड बैलेन्स की स्थिति होगी, उन पर एक अंकुश रहेगा कि अगर गवर्नमेंट इस मैटर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इन्क्वायरी के लिए रेफर करती है। तो ऐसा नहीं हो कि वो शख्स सामने आ जाए और तुम्हारी जांच झूठी साबित हो जाए। देखिए, कितने-कितने बड़े एक्जाम्पल आपके सामने हैं। कई केसेस के अंदर पुलिस कोर्ट में फाईनल रिपोर्ट लगा देती है कि ये केस मेक आउट नहीं होता और इसलिए केस को क्लोज कर दिया जाए। ऐसे केसेज में जब कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आर्डर कर देती है। ऐसे कई केसेज हमारे सामने हैं जिन केसेज में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आर्डर हुए, उन्हें चार्ज शीट दाखिल हुई और मुजरिमों को सजा हुई। इससे बड़ा एग्जाम्पल नही हो सकता पुलिस की अकर्मण्यता का या पुलिस का पार्शियलिटी करने का। तो मैं समझता हूं सरकार ने जो इसमें एड किया है, जो सस्पीशियस डेथ के साथ जो women death whithin seven years of marriags under abnormal circumstances पाई जाती है उसके साथ-साथ

जो मीसिंग वाला जो जोड़ा है या और किसी प्रकार की जो हत्या या डेथ या जो suspicious circumstances में लोग पाए जाते हैं ऐसे सारे केसेज को या रेप केसेज जो पुलिस कस्टडी में होते हैं ऐसे केसेज को उसके साथ जोड़ना, ये बहुत अच्छा कदम रहेगा। चूंकि इससे न्याय की एक उम्मीद बनती है। इससे आशा कि एक किरण बनती है कि शायद अब गरीबों को और कम से कम जो कमजोर लोग हैं, उनको न्याय की एक उम्मीद बंधेगी और पुलिस पर एक अंकुश लगेगा कि वो मनमाने तरीके से जांच न करके बकायदा निष्पक्ष जांच करेगी और मुजरिम को सजा मिल पाएगी, मैं समझता हूं। मैं जानबूझकर वे आंकड़े नहीं रख रहा। चूंकि जो मेरे साथियों ने अब से पहले मदन लाल जी ने और गहलोत जी ने पहले आपके सामने आंकड़े रखे वे ही आंकड़े मेरे सामने थे, रेपीटीशन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना एड करूंगा कि इस तरह के अमेंडमैंट में विरोध करने की बजाए, मैं समझता हूं विपक्ष को भी इसके साथ शामिल होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि हमारी सरकार तो अमेंड कर रही है, साथ-साथ ही केंद्रीय सरकार भी इस पर अमेंडमैंट लेकर आए ताकि पुलिस पर एक दबाव रहे कि पुलिस निष्पक्ष जांच करके कोर्टस में चार्जशीट फाईल करें और मुजरिमों को सजा हो सके। तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं सभी लोग इसका समर्थन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बिल के जरिए चूंकि फैक्चुअल पोजीशन हमारे साथियों मदन लाल जी ने और कैलाश गहलोत जी ने बड़े अच्छे तरीके से सदन के पटल पर रखी। माननीय नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो इल्लीगैलिकटी की बात कही सैक्शन 26 है Govt. of NCT of Delhi Act उसको मैं पढ़कर उनको खासकर सुनाना चाहूंगा आपके जरिए। उसमें लिखा है :

Requirement as to sanction etc. no act of the Legislative Assembly and no provision in any such act salary invalid by reason only that some previous sanction or recommendation required by this Act was not given if ascent to that Act was given by the Lt. Governor or on being reserved by the Lt. Governor for the consideration of the President by the procedure.

तो ये व्यवधान....सुन लीजिए सुन लीजिए जो so ascent of the Lt. Governor कोई भी एक्ट आपके एजम्पशन के लिए हिन्दी में बताता हूं आपको ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी कानून और उस कानून का कोई भी प्रावधान जो ये सदन पास करता है इसी वजह से कि सिर्फ उनको प्रायर एसेन्ट नहीं लिया गया, इनवैलिड नहीं होगा। पोस्ट फेक्टो ऐसे सारे एक्टस और उन एक्टस के कोई भी प्रावधान जो सदन पास करता है, उसका हम पोस्ट फैक्टो कन्सेन्ट Lt. Governor से ले सकते हें। वो जो डिफेक्ट है, वो क्यूरेबल है पहली चीज। ये जो इल्लीगेलिटी की बात कही, उसके संदर्भ में मैं रखना चाह रहा हूं। दूसरा ये जो प्रावधान सरकार लेकर आई है जो अमेंडमैंट लेकर आई है, ये कुछ दर्शाता है जो कि मैं आपके जरिए सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उस वक्त जब शहर में बलात्कार हुआ करते थे, जब कोई भी हम इस तरह का अपराध हुआ करता था, तो हम सब बहुत चिंतित होते थे और खूब चलता था। हमारी सरकार आई, हमने इसे ठीक करने का प्रयास किया जब-जब प्रयास किया हमें कहा गया पुलिस तुम्हारे अंडर नहीं हे। पुलिस तुम्हारे अण्डर नहीं है तुम कर नहीं सकते। और ये ही भाजपा के साथी बोला करते थे कि जो मुख्य मंत्री नहीं कर सकता। वो इतना दुर्बल क्यों है? ये जो प्रावधान है आप सबको साथ देना चाहिए था ये। प्रावधान पीड़ा दिखाता है, माननीय मुख्य मंत्री की, माननीय उप-मुख्य मंत्री की, हमारी सरकार की। ये पीड़ा दिखाता है कि जब भी जैसा कैलाश गहलोत साहब ने कहा कि जब भी माननीय गृह मंत्री ने भी कहा जब चार साल की बच्ची के

साथ बलात्कार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री की जो पीड़ा थी, इतनी पीड़ा होने के बावजूद वो क्या करें। भाजपा के साथी केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री सभी ने कहा कि आप के हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये तो गहराई ये है कि आज ये जो अमेंडमैंट बिल सरकार लेकर आई है, वो इसलिए लेकर आई है कि शीला दीक्षित की जो सरकार थी, उसकी तरह असक्षम नहीं दिखे और आपको यह कहने का मौका न मिले कि आप तब ये कहते थे आज ये कहते हो। हमारे अंडर पुलिस नहीं है माना लेकिन हमारे पास सदन तो है। हमारे पास मेजेरिटी तो है। हम ये अमेंडमैंट लाकर ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार दिल्ली वासियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है। हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारे साथी मदन लाल जी ने पढ़कर आपको बताया कि जो आप बता रहे थे–'जो स्कोप है मेजिस्ट्रियल एन्क्वायरी 176 के तहत उस स्कोप को एनलार्ज किया जा रहा है। बस और कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी ऐसे कोई भी मामला जिसको सरकार सेन्सिटिव समझती है कि इसमें होना चाहिए, उसका प्रावधान किया जा रहा है। साफ-साफ लिखा है :

"last paragraph the Govt. does not want to limit the scope of the magisterial enquiry only to custodial death homicide, suicide of a woman or death of a women but to any other act with the State Govt. thinks fit for magisterial enquiry. आपको तो खुश होना चाहिए था।

...व्यवधान

आपको तो खुश होना चाहिए था कि आज सरकार...व्यवधान

श्री ओम प्रकाश शर्मा : असंवैधानिक तरीके से मत करो। हम आपके साथ हैं इस बिल में।...व्यवधान

श्री सोमनाथ भारती : ओ. पी. शर्मा जी, चलिए एक बात तो, आप राजी हो कि आप हमारे साथ हो इस बिल में। लेकिन अब....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी।

श्री सोमनाथ भारती : सारी पीड़ा तो आज, अगर ऐसी कोई पीड़ा है, अगर आप दिल्लीवासियों के साथ होते तो आप कह रहे होते...व्यवधान

श्री ओम प्रकाश शर्मा : पीड़ा है, लेकिन आप...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी आप बात रखिए। आप बात रखिए और बात को कन्क्लूड कीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : देखिए जो 7th Schedule of the constitution भारत का संविधान जिसका आप भी सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। अगर आप ना करते हो तो सदन को बता दीजिए। उसकी लिस्ट 3 में कन्करण्ट लिस्ट में आइटम 1 क्या कहता है? क्रिमिनल लॉ जो कि आईपीसी हो गया। क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी हो गया तो अगर ये आइटम 1, आइटम 2 वहां लिस्टिड है तो क्या मतलब है उसका, कन्करण्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है? आप अपने वकील से जाकर पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। जेटली जी भी बता देंगे आपको। ...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : चलिए सोमनाथ जी, आगे बढ़िए।

श्री सोमनाथ भारती : अब ये हमारी सरकार की ये भी पीड़ा है कि लॉ एंड आर्डर, जब मैं उस वक्त सरकार में था तो काफी चर्चा हुआ करती थी कि लॉ एंड आर्डर एंड इंवस्टीगेशन, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था रही है शुरू से कि इंवस्टीगेशन उन्हीं लोगों के हाथ में है, जो लॉ एंड आर्डर मैनेज करते हैं तो जिनका डे टु डे इन्टरेक्शन है आम जनता के साथ, इन्वेस्टीगेशन एक निष्पक्ष तरीके से हो सके, ये मुश्किल होता है। इसी कारण हमने बहुत बार पिछली सरकार में चर्चा की थी कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। लेकिन आज इस एमेंडमेंट के माध्यम से जो इन्वेस्टीगेशन पर कि एक अनबायस्ड तरीके से जब भी दिल्ली में कोई क्राइम हुआ, अनबायस्ड तरीके से उसकी जांच हो, आज उसका प्रावधान किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सरकार ने अपनी जो पीड़ा भी है और जो अपनी ड्यूटी भी है कि दिल्ली वासियों को एक सुरक्षित दिल्ली दी जाए। उसको पूरा करने का काम किया है। तीसरा चीज जो पुलिस की इनऐफिसैयन्सी है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कई बार ये बातें कही है कि किस तरह की व्यवस्था में रहना पड़ रहा है पुलिस को। पुलिस तो वो चाकू है जिसको चाहे जैसे चाकू है महिलाएं जानती हैं कि चाकू से चाहो तो किसी की गर्दन काट दो, नहीं तो वो सब्जी काटने के काम आता है। तो पुलिस तो चाकू की तरह है अगर चाहो तो उससे दिल्लीवासियों की सेवा हो सकती है और ना चाहो तो दिल्लीवासियों की उससे दुर्दशा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है किसके हाथ में पुलिस है। पुलिस अगर भाजपा के हाथ में है तो यहीं होगा जो अभी हो रहा है। जब तक हम अपने भाजपा के माननीय सदस्यों से विनती करते हैं आपके जरिए कि आपके हाथ में आज पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार है अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया होता, जो आपने वादा भी किया, अपने मैगीफोस्टो में भी कहा तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ये एमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि ये आपने किया नहीं, दिल्लीवासियों को धोखा दिया। उस धोखे की एवज में आज दिल्ली के, दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है। शीला जी की तरह ये नहीं बताना चाहते कि हम असक्षम हैं। पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बिल जिसमें कि उन्होंने कहा कि any other act with the state Govt. thinks fit for the magisterial enquiry पिछले की जो घटनाएं हैं, अपने साथी कैलाशजी ने भी बताया, मदन लाल जी ने बताया, उन सारी घटनाओं का लेखा-जोखा लेकर के ये बिल आया है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। जहां-जहां दिल्लीवासियों के साथ अन्याय होगा, वहां-वहां हमारी सरकार मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी करके सच का सच, झूठ का झूठ लेकर आएगी और पुलिस को अन्याय करने का मौका नहीं देगी। मैं गृहमंत्री महोदय को, उप-मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, पूरी सरकार को और पूरे सदन को बधाई देता हूं कि ऐसा एमेंडमेंट बिल आया है। एक लाईन में वो बात कर दी गई जिसका हमें बार-बार हवाला दिया जाता था कि आपके पास पावर नहीं है, आप नहीं कर सकते। अब इसके पास होने के बाद हम ये नहीं सुनेंगे और दिल्लीवासियों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिल्ली में अपराध कम हो रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी बहुत बधाई के पात्र है, सदन बहुत बधाई का पात्र है कि इस एमेडमेंट के जरिए हम वो कर सकेंगे कि जो कि दिल्ली को, दिल्लीवासियों को बहुत जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनीष सिसौदिया जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी मैं इसमें एक सबमिशन करना चाहता हूं, सर एक मिनट प्लीज, क्योंकि ये बहुत बढ़िया एमेंडमेंट आ रहा है और इसमें ये खास बात जो इसका केंद्र है वो ये है कि पुलिस खुद अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और 1984 के कत्लेआम में पुलिस खुद शामिल थी।

उसके एसएचओ खुद शामिल थे, डीसीपी खुद शामिल थे और उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नानावटी कमीशन, कुसुमदत्ता मित्तल कमेटी, 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये जो एमेंडमेंट आ रहा है, क्या इसके स्कोप में उन केसिस को भी खोला जा सकता है जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी और कोई भी, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसको शामिल कर लिया जाए, अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा, हम इसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो एमेंडमेंट का प्रस्ताव सरकार ने सदन के सामने रखा है ये देश का संविधान है इसकी इसमें लिस्ट है और लिस्ट की तीसरी सूची में शामिल है, सीआरपीसी। तीसरी सूची की दूसरी एन्ट्री है, कन्करण्ट लिस्ट जिसको कहते हैं। तीनों लिस्ट में एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कन्करण्ट लिस्ट है सब जानते हैं। यूनियन लिस्ट के कानून संसद बनाएगी। स्टेट लिस्ट के कानून राज्यों की विधान सभा बनाएंगी और कन्करण्ट लिस्ट दोनों की पावर्स है लेकिन उसकी एक्जीयूटिव पावर्स स्टेट के पास है और कानून राज्यों की विधान सभा बना सकती हैं। संसद द्वारा पारित कानून में राज्यों की विधान सभाएं संशोधन कर सकती है इसलिए कन्करण्ट लिस्ट है वरना कन्करण्ट लिस्ट की जगह यूनियन लिस्ट ही लिख दिया होता और ये सीआरपीसी है। मैं देख रहा था कि कितने बदलाव हुए हैं। बहुत सारे सैक्शन इसके जो मैं कह रहा हूं उसके समर्थन में इसमें खुद लिखा हुआ है बुक में, 167, 190, 357 ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इसके पचासों सैक्शन अलग-अलग राज्यों ने, अलग-अलग मरतबा बदले हैं और अब भी बदल रहे हैं। राज्यों की विधान सभाओं के पास में पूरा अधिकार है सीआरपीसी में संशोधन करने का। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।...व्यवधान

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 239(ए)(ए) में कवर होते हैं। ये आप देख लें।... व्यवधान

उप-मुख्यमंत्री : 239(ए) (ए) अध्यक्ष महोदय...व्यवधान

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 239(ए)(ए) में स्पेशल स्टेटस है दिल्ली का ...व्यवधान...

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, तीन सब्जेक्ट्स को छोड़कर, मैं पहला ऐसा सदस्य देख रहा हूं जो अपनी विधान सभा की पूरी सीमाओं को मानने को तैयार नहीं है। बोले जी हम तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जी? हम तो नहीं करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि 239, अरे 239 (ए) में अगर किसी को समझ में आ जाए तो साफ-साफ लिखा हुआ है तीन सब्जेक्टस को छोड़कर बाकी सारा का सारा इस विधान सभा के पास है।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी जरा सुन लीजिए।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी को थोड़ा-बहुत रिकार्ड समझ में आ जाए तो मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 2011 में यही विधान सभा सीआरपीसी को पहले ही एमेंड कर चुकी है।...व्यवधान....अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस विधान सभा के दायरे पर, इस विधान सभा के अधिकार क्षेत्र पर कोई भी सवाल उठाना, मुझे नहीं लगता कि समझदारी का काम है। जहां तक इसकी जरूरत की बात है बहुत हमारे लर्नेड एडवोकेटस आते हैं, जिनका अदालतों में अनुभव है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स को देखने का अनुभव है, उन्होंने बहुत अच्छे से यहां रखा है। मैं उस पर कुछ कहने के लिए ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन सरकार में मंत्री होने के नाते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी काम करती है, उसमें मजिस्ट्रेट जांच की जरूरत सिर्फ और सिर्फ किसी की डेथ के वक्त नहीं होती है। सरकार को विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग घटनाओं पर मजिस्ट्रेट

जांच की, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की आवश्यकता महसूस होती है। अपने अधिकारियों को उन परिस्थितियों में जांच का अधिकार देने के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के लिए और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की एक सेंक्टिटी होती है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट जब अदालत में जाती है तो उसकी एक गरिमा होती है। उसकी एक तथ्यात्मक, उसका एक वेटिज होता है। इसलिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बहुत अलग-अलग अवसरों पर करने की जरूरत पड़ती है। तो जो मजिस्ट्रेट है सरकार के पास में, उनको डेथ के मामलों में इंक्वायरी करने की पावर है लेकिन अन्य ऐसे किसी और गंभीर मसले पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराई जा सके, जैसा कुछ लोगों ने उदाहरण दिया रेप का, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का और तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं, उसकी पावर्स सरकार इस संशोधन के माध्यम से, छोटे से संशोधन के माध्यम से मजिस्ट्रेट को देना चाहती है।

...व्यवधान...

मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, दिल्ली की गवर्नेंस के सिलसिले में, जिसको अभी तक इग्नोर किया गया था और मैं इस सदन से अपेक्षा रखता हूं कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इसको पास करने में मदद करेंगे और जहां तक आगे का प्रोसेस है मैं वो भी स्पष्ट कर दूं कि यह सीआरपीसी में चाहे कोई और राज्य संशोधन करे या दिल्ली राज्य संशोधन करे, वो निश्चित रूप से एलजी महोदय के माध्यम से ऑनरेबल प्रेजीडेंट के पास जाएगा और ऑनरेबल प्रेजीडेंट सेंटर गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पर इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको पास भी कर सकते हैं। प्रोसीजर यह है बाकी कोई भी सदस्य कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री, श्री सत्येन्द्र जैन जी चर्चा का उत्तर देंगे।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक इतने बड़े हॉल के अंदर एक पिंजरा था, उस पिंजरे के अंदर एक पक्षी रखा गया। मन करा कि इसको फिलहाल आजादी दे दी जाए। इसको छोड़ा गया कि भई इसको आजाद कर दिया। हमारे विजेन्द्र गुप्ता जी ज्यादा प्रभावित थे, एक घंटे बाद वापस उसी के अंदर घुस गये। कहते हैं हम नहीं करेंगे, यह हमारी पावर ही नहीं है। पहली बार सुन रहे हैं किसी सदन का कोई सदस्य खुद अपने आप कह रहा है कि यह हमारी पावर नहीं है, अपने बारे में कह रहा है, सुनकर भी आश्चर्य होता है...व्यवधान

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, xxxx[1] मत करिए। हम यह कह रहे हैं ...व्यवधान....

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं यह कह रहा हूं, एक सैकेंड...व्यवधान। विजेन्द्र जी, जब आपने बोला, किसी सदस्य ने आपको टोका नहीं। आप जब बोलें, किसी सदस्य ने टोका नहीं बीच में बिल्कुल भी, आपने जो भी बोला।

गृह मंत्री : विजेन्द्र जी, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक कहावत है a good deed has many claimants अभी जैसे कि हमने ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के लिए कहा कि उसके अंदर एमएलए फण्ड लगाया जा सकता है। आपने भाग कर बड़ी जल्दी से उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। हम दे रहे हैं, हम तो कहेंगे सारे क्रेडिट आप लीजिएगा, सारे काम हमें करने दीजिएगा। हर चीज का क्रेडिट आप लीजिएगा। हम यहां पर क्रेडिट लेने के लिए नहीं आए, हम यहां पर काम करने के लिए आए हैं और आप क्रेडिट लीजिएगा और हम आपको क्रेडिट देंगे।

श्री ओ. पी. शर्मा : आप संवैधानिक प्रक्रिया अपनाइए, हम आपके साथ

[1]×××× चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

हैं। आप कर यह रहे हैं कि आप संवैधानिक प्रक्रिया को अपना नहीं रहे हैं, इसलिए आप पार्लियामेंट का जो अपमान कर रहे हैं, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है उसका आप पालन करिए, हम आपके साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय कई बार उठ गया है, आप लोग कई बार यह बात कह चुके हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की, अब उनको शांतिपूर्वक बात बोलने दीजिए। आप बैठिए...व्यवधान....

श्री ओ. पी. शर्मा : आपका भी इंटरव्यू आया हुआ है, जो सरकार को कहना चाहिए वो आप कह रहे हैं...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिए। अब बीच में मत टोकिएगा, प्लीज। विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं...व्यवधान

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष जी, ये इस हाउस के मैम्बर हैं या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कैलाश जी, बैठिए। मंत्री जी, बोलिए।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी अच्छी चीजों का क्रेडिट लेना चाहते हैं हम उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी हम जनलोकपाल बिल लाएंगे, उसका सारा क्रेडिट आप लीजिएगा, उसको सिर्फ पास करवा दीजिएगा। उसको अपनी राजनीति में फंसाने की कोशिश मत कीजिएगा...व्यवधान

श्री ओ. पी. शर्मा : xxxx[1]

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, ऐसे नहीं चल जाएगा। ओम प्रकाश जी जो बोल रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए। जैन साहब, बोलिए।

---

[1] ×××× चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

गृह मंत्री : ऐसा है, जो ऑब्जेक्शन्स लगाए हैं प्रतिपक्ष के नेता ने और सभी ने उन्होंने ऑब्जेक्शन सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर लगाया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ओम प्रकाश जी ने यह कहा है कि वो इस अमेंडमेंट के साथ है। इस बात को वो बार-बार कह रहे हैं, हो सकता है दो दिन बाद पलट भी जाए, जब यह सेंटर में जाएगा, इसको नोट कर लिया जाए...व्यवधान...अगर आप पलटी नहीं मारेंगे तो पास भी हो जाएगा। सेंटर से भी हो जाएगा...व्यवधान...

श्री ओ. पी. शर्मा : यह xxxx कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह xxxx[1] शब्द कार्यवाही से निकाल दीजिए।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : राखी जी, दो मिनट रुक जाओ। जैन साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय रख रहे हैं उनको रखने दो। विजेन्द्र जी, मैंने मौका दिया, आपने अपनी बात पूरी रखी। जैसे ही जैन साहब बोलते हैं आप बीच में खड़े होते हो। आपके बीच में मैंने किसी को बोलने नहीं दिया...व्यवधान

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे पिंजरा बता रहे हैं...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आपको पिंजरा नहीं बताया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या बताया?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है यह पिजंरा है उसमें बंद एक तोते को आजादी मिल रही है। आपने ध्यान से सुना नहीं। उसमें बंद एक तोते को आजादी मिल रही है, यह सरकार तोता है, पूरी सरकार। आप बैठ जाइए प्लीज। आपको पिंजरा नहीं बताया।

---

[1]xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता जी और तीनों लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली के अंदर लोक सभा के इलैक्शन हुए थे, इन्होंने जोर-जोर से एक ही बात पर वोट मांगा था, कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अरे! उसके लिए क्यों नहीं काम करते। अगर आपको करना ही है तो लाइए प्रस्ताव। प्रस्ताव आप लेकर आइए, हम पास करके दिखाएंगे। आप प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आइएगा, दिल्ली सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, उसको पास करके केंद्र को भेजेंगे और उसे पास कराएंगे।

...व्यवधान...

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आपसे सरकार का एजेंडा तय नहीं हो रहा, आप विपक्ष का एजेंडा तय करेंगे...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी, बैठिए। अब गेंद उल्टी आपके पाले में आ गई...व्यवधान

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी खुशी है कि विपक्ष हमारी सरकार के लिए एजेंडा सैट करना चाहता है, उनके सारे एजेंडे को हमारी याद दिलाते रहिएगा, अगर हम कुछ भूल जाए उसको पूरा करके दिखाएंगे, जो भी हम भूल गए हैं। हम आपको काम करके दिखाएंगे, किसी काम पर पीछे नहीं हटेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो अभी तक माननीय सदस्यों ने चीजें बताई देखिएगा, आज दिल्ली के अंदर जितनी एफआईआर दर्ज होती है, आज से तीन साल पहले, अलका जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने इस बात को मेरे सामने रखा। आज से तीन साल पहले 52 परसेंट केसेस के अंदर चार्ज शीट दाखिल की जाती थी और आज वो घट कर 20 परसेंट हो गई है और पुलिस के केस के अंदर मदन लाल जी ने बताया है जिस केस के अंदर पुलिस वाले इंवॉल्व्ड होते हैं वहां पर चार्ज शीट दस परसेंट और

कनविक्शन जीरो परसेंट। अगर कनविक्शन रेट जीरो होगा तो हमें सोचने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर कनविक्शन लगभग 70 परसेंट है, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है जहां पर भी पुलिस वाले इंवोल्व्ड है वो जीरो कैसे हुआ? उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। दरअसल हमें कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता है कि जहां पर अगर पुलिस वर्ड आ गया तो वो यह कहते हैं कि अब तो पुलिस आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जितने भी कानून बनाए जाते है; फूड एडल्टरेशन का कानून है उसमें अरेस्ट पुलिस करती है, दिल्ली सरकार अरेस्ट नहीं करती, कानून दिल्ली सरकार बनाती है, परंतु वो तो यह कहेंगे, इसमें भी पुलिस आ गई...व्यवधान

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो एजेंसी है, वो ही करेगी...व्यवधान

गृह मंत्री : जहां पर पुलिस शब्द आ जाता है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, हर विषय पर आप टोका-टाकी...व्यवधान

गृह मंत्री : मैं नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाना चाहूंगा...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। विजेन्द्र जी, जरा बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पुलिस पुलिस है, किसी पार्टी की नहीं है...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बैठिए। राखी जी, मंत्री जी खड़े हुए हैं। आप बैठिए।

गृह मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सदन की परिपाटी रही है कि मंत्री अगर बोल रहे हैं तो कम से कम विपक्ष के नेता तो बीच में टोका-टोकी नहीं करते। हमने इस नियम का पालन किया है आज तक प्रतिपक्ष के नेता जब भी बोले हैं हमारे सातों मंत्रियों में से इनक्लूडिंग मुख्यमंत्री बीच में कभी टोका-टाकी नहीं की गई...व्यवधान। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक छोटी सी

चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारे विपक्ष के नेता ने कहा था कि जो अमेंडमेंट है, वो कुछ और है और मैंने जो कहा था, भूमिका बनाई थी कुछ और भी। मैंने कहा था, इसकी भूमिका बताना चाहता हूं किस परिप्रेक्ष्य में यह अमेंडमेंट लाई जा रही है। अमेंडमेंट का कारण बताया था किस कारण से लाया जा रहा है, अमेंडमेंट सिर्फ एक लाइन की है, मैं पढ़कर बता देता हूं।

"The following words may be added" or any case referred by the Government of National Capital Territory of Delhi" सिर्फ एक लाइन जोड़नी है अमेंडमेंट में। सर उनको पता था। क्या होता है कि आप सोते को जगा सकते हो, जगाते को नहीं जगा सकते। उनको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो अब वो मानें कैसे? अगर मैं गलत बोल रहा होता तो बता देते।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमने भी तो यही बोला था जो आप बोल रहे हें।

गृह मंत्री : चलो कोई बात नहीं...व्यवधान अध्यक्ष महोदय, इस पूरी बहस के बाद मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14) को पारित किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 जिसमें धारा 176(1) का संशोधन, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : खंड 2 जिसमें धारा 176 (1) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए। अब श्री सत्येन्द्र जैन जी गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14) को पारित किया जाए।

श्री सत्येन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दंड प्रक्रिया संहिता दिल्ली संशोधन विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14 को पारित किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :

यह प्रस्ताव सदन के सामने है
जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ विधेयक पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : ...व्यवधान नहीं अब नहीं...व्यवधान

पर्यटन एवं जल मंत्री : बस इतना कहना चाहता हूं जो दिल्ली में एक बात आई है शायद ये पहला कोई विधेयक था जिसमें विपक्ष चर्चा पूरे के दौरान में बैठा भी, भाग भी लिया, विरोध भी किया, वोटिंग में भी हिस्सा लिया। मुझे मजा आया इस सदन में आज। इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

उप-मुख्यमंत्री : इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं क्योंकि मेरे मन में भी था जो कपिल भाई ने कहा कि सहमति-असहमति हो सकती है। आप हर चीज से सहमत नहीं होंगे और राजनीति रूप से हर बात से आप सहमत होते हुए भी असहमत ही होंगे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद सदन में बैठकें जो हम गलत कर रहे हैं और हो सकता है, मैं अनुरोध...व्यवधान ये क्योंकि हो सकता है, हम अपने अधिकार क्षेत्र को और दुरुस्त कर रहे हों इस विधानसभा केस में वो प्रेक्टिस नहीं रही हों अपने, अधिकारों को इस तरह से ग्रैब करने की जिस दिशा से हम काम कर रहे हैं। हो सकता है, अब कम कंफर्टेबल लगे लेकिन उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी साथ में बैठ के असहमत होके अगर आप साथ काम करेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत होगा मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम आखिरी क्षण तक ये कोशिश कर रहे थे आपको समझाने की और जैसे हमें आपने मजबूर कर दिया। वो जैसे विभीषण था न वो रावण को आखिर तक समझाता रहा, मत कर- मत कर, मत कर। हमारी विभीषण वाली भूमिका है...व्यवधान सिचुएशन वही है रावण वाली और विभीषण वाली... व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : चलिए महेन्द्र जी।

श्री महेन्द्र गोयल : गुप्ता जी, ये कह रहे हैं कि जगदीश प्रधान जी विभीषण हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए अब इस हंसी मजाक के माहौल में से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। समय की सीमाएं भी हैं हमारी। घड़ी आगे बढ़ रही है। विधेयक का पुरःस्थापन। श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री दिल्ली संबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11 को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगेंगे।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ विधेयक पास हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप-मुख्यमंत्री विधेयक को सदन पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं विधेयक को सदन पटल पर रखूं मैं इसकी भूमिका में कुछ चीजें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और इसकी मूल भूमिका अगर मैं कहूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं हाथ में संविधान लेकर खड़ा था कि भारत के संविधान की जो पहली लाइन है ''हम भारत के लोग'' ये विधेयक उस दिशा में 'हम भारत के लोगों को यानी देश के आम आदमी को

मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है और जो संविधान में नीति निर्धारक तत्व जिनका जिक्र संविधान में किया गया है उनको लेटर एंड स्प्रिट में अमल में लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये विधेयक। इसके आगे बहुत देखे हैं हममें से जितने यहां सत्ता पक्ष के बैठे हैं, सभी लोग देश में लोकपाल आंदोलन में से निकल कर आए हैं। लगभग-लगभग सभी लोग और लोकपाल आंदोलन में हमारी दो ही मांगें थीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : बीजेपी में से भी निकल कर आए हैं।

उप-मुख्यमंत्री : हां जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्यों निकले?

उप-मुख्यमंत्री : क्योंकि वहां लोकपाल का मामला गड़बड़ा गया था...व्यवधान तो लोकपाल आंदोलन में दो ही मांगें थीं। एक मांग थी कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। पुल बनाने में। कॉमनवेल्थ खेल कराने में। स्ट्रीट लाइट लगवाने में। ऐसे तमाम कामों में देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जहां भ्रष्टाचार हो वहां उसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के समयबद्ध तरीके से और जो भी दोषी पाए जाएं, उनको तीव्रता से त्वरित तरीके से उनको सजा मिले। ये पहली मांग थी और दूसरी मांग थी देश में रिश्वतखोरी कम हो। रिश्वतखोरी से आम आदमी बहुत परेशान है। हो सकता है कॉमनवेल्थ के भ्रष्टाचार का या एक सड़क बनाने में भ्रष्टाचार का असर एक आदमी तक आते-आते थोड़ा सा समय लगे लेकिन रिश्वतखोरी जब आम आदमी झेलता है, तो उसी वक्त ऑन दि स्पाट झेल रहा होता है। लोकपाल आंदोलन की ये एक दूसरी बड़ी डिमांड थी। हम सब जानते हैं कि रिश्वत मांगी जाती है। कोई भी आदमी जब सरकार दफ्तर में जाता है। ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने जाए, कोई सार्टिफिकेट लेने जाए, किसी चीज के लिए जाए पूरे देश में

रिश्वत मांगी जाती है। दिल्ली में भी मांगी जाती है और आज में यहां इस सदन में एडमिट करता हूं कि मुझे बहुत शिकायतें मिलती हैं कि साहब फलानी जगह हमारा बिल ठीक करने के लिए रिश्वत मांगी गई। फलानी जगह हमारा वो करने के लिए मांगी गई। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीचे रिश्वत चल रही है तभी शिकायतें आती हैं। अगर वहां रिश्वत नहीं चल रही होती हम सरकार की तरफ से ऊपर बैठ के पूरी कोशिश कर लें उसके बावजूद नीचे कहां कौन रिश्वत का पेचकश लेकर अपने पेंच टाइट कर रहा होगा, पता नहीं चलता। उसको कैसे रोका जाए, उस दिशा में ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। लोकपाल आंदोलन से लेकर, संविधान से लेकर जो चीज मिसिंग थी, वो महत्वपूर्ण चीज इसमें हम ला रहे हैं। एक आदमी सरकार दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाता रहता है। रिश्वत क्यों मांगी जाती है? कोई ये नहीं कहता कि रिश्वत दे दो। बहुत कम मामलों में कहते हैं। कहते हैं कि चक्कर लगवाते हैं। एक आदमी जाएगा किसी काम के लिए, उसको चक्कर लगवाएंगे कि कल जाना। परसों आ जाना। आज साहब नहीं हैं। आज साहब का चपरासी नहीं है। आज साहब अलमारी की चाबी भूल आए। आज साहब चाबी भूल जाए। आज साहब डायरी भूल आए। यहां से लेकर फलाना कागज नहीं है, ढिगना कागज नहीं है। जरूरत हो या न हो उन कागजों की लेकिन आपकी एप्लीकेशन में आपने ये नहीं लिख रखा। फलानी इन्फार्मेशन नहीं दी। इन सारी चीजों पर आदमी को दबाया जाता है। दौड़ते-दौड़ते आदमी को लगता है यार इससे अच्छा 200 रूपये, 500 रुपये या 1000 रुपये जितना भी उसका वो बनता है, वो दो और काम कराओ, कौन रोज आता रहेगा अपने बिजनेस छोड़के या अपने पेट्रोल-डीजल का भी खर्चा लगता है। तो ये सारी मांग लोकपाल के समक्ष जब उठ रही थी, तो उसी दौरान पिछली सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम Right to Service Guarantee Act रखा यानी हिंदी में बोलना थोड़ा कठिन है लेकिन ''समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार दिल्ली विधेयक'' तो वो विधेयक

बनाया लेकिन वो बहुत औपचारिक बना सिर्फ दिखाने के लिए विधेयक बना दिया। देखो जी, हमने विधेयक बना दिया है। सिटीजन चार्टर हम सब कब से सुनते आ रहे हैं। हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं जब हम सरकारी दफ्तर में पहली बार जाने का मौका मिला होगा, वहां सीढ़ियों पर या दरवाजे पे लिखा होता है सिटीजन चार्टर उस सिटीजन चार्टर में चार-पांच चीजें लिखी होती हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि वहां जो कुछ लिखा होता है जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, रामायण में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है। सारे लोग सुबह पढ़ते हैं। फिर दिन भर झूठ बोलते हैं वो वैसे ही वहां पर लिखा होता है, लेकिन अमल में नहीं लाता कोई। अब जो पिछली सरकार के समय एक्ट बना उसमें लिखा गया कि सिटीजन चार्टर का फोलो नहीं होने पर जो सिटीजन चार्टर का उल्लंघन होगा तो कम्पनसेशन मिलेगा एप्लीकेंट को। हमें भी अच्छा लगा, जब हम आंदोलन में मांग कर रहे थे तो हमने वो एक्ट पढ़ा हमने कहा की यार अच्छी चीज आ गई। वो एक्ट को पढ़ते ही हमारी समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला ये सिर्फ आईवॉश है और आज मैं आपके सामने डाटा रखूं तो वास्तव में वो आईवॉश था क्योंकि उसके तहत दिल्ली सरकार की 370 सर्विसीज लाई गई थी। दिल्ली सरकार 370 तरह की सेवाओं को सिटीजन चार्टर के उस एक्ट दायरे में लाई थी और कहा था कि एक आम नागरिक को ये तरह-तरह की 370 सर्विसीज समयबद्ध तरीके से मिलेंगी और जब समयबद्ध तरीके से कहीं नहीं मिलेंगी तो उसको कम्पनसेशन मिलेगा और जो अधिकारी जिम्मेदार होगा उसकी तनख्वाह कटेगी। बड़ा अच्छा लगा जी। इससे बढ़िया क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है कि चार साल में किसी ने एक भी शिकायत नहीं की, मिलना तो दूर की बात है, पता नहीं कहीं किसी ने शिकायत-विकायत करी भी होगी तो ऑफिशियली सदन पर नहीं कह रहा पर मेरी सूचना ये है कि कभी भी चार साल में किसी भी अधिकारी की तनख्वाह काट कर के किसी व्यक्ति को नहीं दी गई कि भई, आपका काम डिले हो गया

था, आपको यहां कम्पनशेसन के रूप में हम संबंधित कर्मचारी के वेतन से आपको दे रहे हैं। क्योंकि वो व्यावहारिक ही नहीं था, हवाबाजी थी उस कानून में, हवाबाजी ये थी कि उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी जब किसी काम के लिए सरकार के पास जाएगा तो उसकी कोई समय सीमा होगी। वह समय सीमा में बड़ी प्रेक्टीकल रखी गई थी। पर चलो ठीक है मान लीजिए 60 दिन रखी अब 60 दिन में काम नहीं हुआ तो वो उसके सीनियर ऑफिसर को जिस एक्स ऑफिसर के पास गया उस एक्स ऑफिसर के सीनियर ऑफीसर को शिकायत करेगा साहब, मेरा काम नहीं हुआ वो एक्स ऑफिसर पहले उसका काम करवाएगा, फिर वो वापिस आ जाएगा काम करवा के फिर बाद में वो जा के एक्स ऑफिसर के पास जिसने उसका काम समय पे नहीं किया। उसके पास में जा के कहेगा कि मेरा काम 62 दिन में हुआ या 70 दिन में हुआ जितने भी दिन में हुआ, साहब मुझे 10 दिन का कम्पन्शेसन दिलाओ। जिस आदमी ने काम करने में देरी की उसी से कहना की भई, मुझे कम्पनशेसन दिलाओ, कौन देने वाला है? और फिर वो फिर ऊपर एपीलेट में तय होगा कि काम करने में देरी हुई थी कि नहीं हुई थी फिर उसमें तय होगा कि वास्तव में इस अधिकारी की जिम्मेदारी थी की नहीं थी। अब मान लीजिए थोड़ी सी खामाख्याली रखेगा तो जुर्माना कितना मिलेगा, कम्पनशेसन कितना मिलेगा एक दिन की देरी के लिए 10 रुपये यानि 10 दिन की देरी के लिए 100 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये...व्यवधान... तो अध्यक्ष महोदय 10 रुपये का जुर्माना या अधिकतम 200 रुपये के जुर्माने के लिए भला कौन चक्कर काटेगा, कौन धक्के खाएगा वहां पे? फिर वो इतना कम्बरसम प्रोसेस और उसी आदमी से जुर्माना लेना, जिसने काम नहीं किया। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल था और अगर मान लीजिए किसी काम की समय सीमा 60 दिन थी, अब वहां बैठे अधिकारी ने कह दिया आपका फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, रिजैक्ट होके वापिस दुबारा से एप्लाई करो, दोबारा से एप्लाई करो तो फिर 60 दिन की समय सीमा शुरू होगी तो ये बहुत

सारी कमियां थीं उसमें और उसके चलते कम्पनसेशन मिली ही नहीं सकता था। अब हमने पिछले 8-9 महीने में पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया अध्यक्ष महोदय, कि चल क्यों रहा है। हमने अधिकारियों से भी बात की भई, क्यों नहीं होता समय पर काम, डेटा आप देखिए कि हमने सारा सिस्टम, मैंने कहा ना हवाबाजी में खड़ा कर रखा है। मेंने देखा कितने सर्टिफिकेट मिलते हैं, कितने सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं एक एसडीएम के पास में आज की तारीख में करीब एक महीने में 1500 हजार से 2000 सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आते हैं पूरी दिल्ली में। एसडीएम 33 हैं। सबको 1500-1500 हजार दो-दो हजार सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं अलग-अलग तरीके के और उनके पास मैकेनिज्म है जो भी थोड़ा-बहुत फोर्मल मैकेनिज्म है।

ऐसे देखें तो रोजाना 60 से 75 सर्टिफिकेट एवरेज छुट्टियों के हिसाब से कोई महीना बड़ा होगा, कोई महीना छोटा होगा। साठ-सत्तर सर्टिफिकेट हर रोज एक एस.डी.एम. को इश्यू करने हैं। अब उसको सब जगह जा के देखना है भई, ये उस जाति से था कि नहीं था, ये वहां रहता है कि नहीं रहता है, ये उसमें उतना गरीब है कि नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट्स का बहुत ही इम्प्रेक्टिकल है। फिर वो पांच तरह के एफिडेविट् देता है उन एफिडेविट्स की जांच सही नोटरी से हुआ है कि नहीं हुआ है। पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही इम्प्रेक्टिकल थी। तो पिछले आठ-नौ महीने में हमने पूरी प्रोसेस को स्टडी किया और जो ऑफिसर्स बहुत व्यावहारिक रूप से सलाह देते हैं उनके साथ बैठकर। सबसे पहले उन प्रोसेसेज को इजी किया। इससे पहले कि हम ये कानून में संशोधन लाते कि सही मायने में देरी करने में जुर्माना कैसे लगेगा। हमने पहले प्रोसेसेज को सिम्पल किया। हमने कई तरीके के एफिडेविट्स को खत्म कर दिया। आम आदमी एफिडेविट् बनाने में ही धक्के खाता

रहता था और उन एफिडेविट का कोई मतलब नहीं। आज मैं किसी भी नोटरी से जाकर एफिडेविट् लाऊं। मेरा नाम रामनिवास गोयल है। मैं दिल्ली विधान सभा का अध्यक्ष हूं। मुझे भी मिल जाएगा। कोई मना नहीं करेगा। बाद में जा के उसकी कोई वैलिडिटी हो न हो। तो ये एफिडेविट्स का कोई मतलब नहीं है। ये एफिडेविट्स बस दिखाने के लिए, खानापूर्ति के लिए थे। तो हमने दो सौ तरह के एफिडेविट्स को खत्म किया। हमने पूरी की पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेसे अलग-अलग तरह के सर्टिफिकेट्स अलग-अलग काम के लिए जो प्रोसेसे हैं, सर्विसेज के लिए उन प्रोसेसे को सिम्प्लीफाई किया। हमने एच. ओ. डी. के साथ, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठे-बैठे के कि भई, इस इनफार्मेशन की आपको क्या जरूरत है, फालतू में। क्या करोगे इनफार्मेशन लेकर के या इतनी तरह-तरह से ये इनफार्मेशन क्यों मांगते हो? बहुत सिम्प्लीफाई किया। सरकार ने डिसीजन मेकिंग को उसके अलग-अलग जो लेवल्स हैं, उनको कम किया और आगे भी कर रहे हैं। हर काम की पूरी साईंटिफिक स्टडी करके कि कौन-सा काम कितने अफसरों के बीच जाना चाहिए बस। एक-एक काम आठ-आठ, दस-दस ऑफिसर्स तक घूमता रहता है। आठ-दस ऑफिसर्स बिजी रहते हैं उसी काम के लिए। तीन ऑफिसर, अधिकतम चार ऑफिसर उस काम को करें। वो सारी दिक्कतें और फिर ई-गवर्नेनेन्स, ई-डिस्ट्रिक, ई-फाईलिंग इन सबकी सुविधा की। ताकि आज कम्प्यूटर के युग में जब हम कैलकुलेट करने बैठें तो सारी चीजें ठीक से कैलकुलेट की जा सकें। कहां देरी हो रही है। कितनी देरी हो रही है। वो सारी प्रोसेसेज को ठीक करके हम ये एमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। पिछले कानून में। और इस एमेंडमेंट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये नया नहीं है। सिटीजन चार्टर हम पहले से सुनते रहे थे। ये कानून एमेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमसे पहले इस सरकार से पहले लाया जा चुका था। लेकिन हम इसमें पहले तो मैनडेटरी कर रहे हैं कि तीस दिन के अंदर-अंदर इस कानून के नोटिफाई होने के तीस दिन के अंदर-अंदर हर एक डिपार्टमेंट, हर

एक एच. ओ. डी. अपने यहां सिटीजन चार्टर की घोषणा करेगा कि कौन-सा काम कितने दिन में करेगा, कौन-सी सर्विसेज कितने दिन में पूरी करेगा। तीस दिन के अंदर-अंदर बहुत व्यावहारिक सिटीजन चार्टर घोषित करेगा। हमने उनको कहा है लिबर्टी दे के कि करो। उसके बाद जब ये जो दस रुपये, सौ रुपये, दो सौ रुपये का जुर्माना इसको हम बढ़ाएंगे और हमारा मानना है कि अलग-अलग तरह की सर्विसेज इसके लिए अलग-अलग तरीके का होना चाहिए। ये दस रूपये से काम नहीं चलेगा। ये हैवी पेनाल्टीज लगानी पड़ेगी। लेकिन ये अलग-अलग सर्विसेज के लिए अलग-अलग हो। इसलिए व्यवस्था जुर्माना मिलने की चेंज की कि कोई आदमी जिसका 60 दिन मान लीजिए 60 दिन हुआ। पुराने उदाहरण से देखें। जिसका 60 दिन में काम नहीं हुआ उसको फिर दुबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी कि मेरा काम नहीं हुआ, पांच दिन लेट हुआ था। मुझे पांच दिन के हिसाब से फाइव डेज का कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे के हिसाब से जुर्माना दिलवाइए, मुआवजा दिलवाइए। सरकार के अंदर एक हर एक विभाग में इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्पीटेंट ऑफिसर होगा। वो कॉम्पिटेनट ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके डिपार्टमेंट में अलग-अलग सर्विसेज में जिस-जिस काम के लिए देरी हुई है, जिस-जिस व्यक्ति को देरी झेलनी पड़ी है। उस देरी का आटोमैटिक केलकुलेट करके उसको पैसा दे देगा। उसको एप्लाई न करना पड़े। उसको कहीं भागना न पड़े और प्रेफरेबली हमने प्रेफरेबली इसलिए लिखा है कि सबके इलैक्ट्रोनिक एकाउंट नहीं होते हैं, ट्रांसफर फेसिलिटी नहीं है। लेकिन सरकार की इच्छा है प्रेफरेबली इसलिए लिख दिया है कि आटोमैटिक इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर हो जाए। कम्पीटेंट अथोरिटी ओके करे कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एक आदमी आया था। 5 दिन में मान लीजिए मिल जाना चाहिए था, 10 दिन हो गए इसका आटोमैटिक कम्पनसेशन 5 दिन बनता है वो कंप्यूटर पर प्रोसेस करें। अगर उसका एकाउंट नंबर वहां पर है नहीं तो उससे लिया जा सके उससे और 5 दिन का कम्पनसेशन उसको सीधे ट्रांसफर हो जाए। तो पहला तो है कि कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है।

नहीं तो 200 रुपये मैक्सिमम का मुआवजा लेने के लिए आदमी 2000 रुपये का वेजिज छोड़कर कैसे आएगा? 2000 रुपये किराए में लगाकर कैसे आएगा 4 बार भी अगर आना पड़ गया तो। इसलिए वो व्यावहारिक नहीं था। इसको व्यावहारिक बनाया कि अपने आप मिल जाएगा उसको। दूसरी चीज किसी ऑफिसर्स से पहले नहीं काट रहे। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के पास फंड होगा कम्पनसेशन के लिए हर सर्विसेज के उसमें। तो कम्पनसेशन फंड से निकालकर कम्पनसेशन दे देगा और जो उस डिपार्टमेंट का हैड है, वो हैड तय करेगा कि ये जो डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ, मान लीजिए 5 दिन का नुकसान हुआ। 5 दिन की वजह से मुआवजा देना पड़ा तो ये डिपार्टमेंट के किस ऑफिसर की या किन ऑफिसर्स की गलती की वजह से इसको देरी हुई। उन ऑफिसर्स की तनख्वाह में से कटवाने का काम एचओडी करेगा तो एप्लीकेंट को मुआवजा पहले मिल गया उसको धक्के नहीं खाने एचओडी की जिम्मेदारी है कि अब वो जिम्मेदारी तय करे अपने डिपार्टमेंट में कि किसकी वजह से देरी हुई। अगर वो नहीं करेगा तो फिर जो कंपीटेंट ऑफिसर है, इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसकी तनख्वाह में से बाई डिफाल्ट कट जाए और किसी न किसी की तनख्वाह में से तो फिर कटेगा। प्रोसिस सारी सिम्पल कर दी हैं ऑफिसर्स ने जो कहा कि इसमें प्राब्लम्स आती है, उसको ठीक कर दिया। ऐफिडेविट की प्रोसेज ठीक कर दी गई, सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया, सेल्फ डेक्ल्येरेशन कर दिया लेकिन इतना सब ईजी करने के बाद जनता की जिंदगी ईजी होनी चाहिए। ये गारंटी चाहिए ये जनता की जिंदगी को ईजी करने की गारंटी का कानून है सिर्फ राइट टू सर्विस एक्ट के बारे में। एक आम आदमी की जिंदगी को ईजी करने की गारंटी का कानून है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जुर्माना ऑफिसर्स से कटेगा, कम्पीटैंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है, वो महत्वपूर्ण अमेंडमैंट हम लोग कर रहे हैं। हरेक कम्पीटैंट आफीसर डेली मानीरिंग करेगा इलेक्ट्रोनिकली कि मेरे पास में किस-किस सर्विसेज के तहत कितनी एप्लीकेशन

आई, उन एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वहां कहां-कहां देरी हो रही है, कहां-कहां मुआवजा देने की जरूरत है। हर कम्पीटेंट आफीसर की जिम्मेदारी होगी इसमें डेली असेसमैंटस करना। तीन महीने में जैसा मैंने कहा कि कम्पनसेशन एक एप्लीकेंट को तो मिल जाएगा पहले लेकिन कम्पीटैंट आफीसर तय करेगा कि किस ऑफिसर की जिम्मेदारी थी, जिसकी गलती की वजह से देरी हुई, उसकी तनख्वाह कटेगी। अगर 3 महीने में कम्पीटेंट ऑफिसर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करता है तो फिर उसकी तनख्वाह से कट जाएगा यानी कम्पनसेशन कम्पीटैंट आफीसर की जिम्मेदारी है 3 महीने के अंदर-अंदर अपने डिपार्टमेंट के अफसरों की, कर्मचारियों की, जो भी उनके अधीन है जिन्होंने गलती की उनकी गलती की जिम्मेदारी फिक्स करके उनकी तनख्वाह कटवाए नहीं तो अपनी तनख्वाह कटवाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि वो जो पैसा है, वो कहीं न कहीं से तो जाएगा तो ये एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने पिछले कानून में खामी बताई कि रॉग फुल रिजेक्शन्स आपने फलां डाक्युमेंट नहीं दिया था। अरे! पहले देखो ना। जब एप्लीकेशन लेते हुए प्रोसेस करें या non submission of any document या non furnishing of any inforation which was not required कोई बहाना मारता है ये ले आओ, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ एप्लीकेशन में ये भी इन्फार्मेशन नहीं जी ये और लेकर आओ। अरे! पहले बता देते। आदमी पहले ही दे जाता। धक्के खिलाने के लिए ताकि वो रिश्वत देने में मजबूर हो। तो non furnish, wrongful rejections of application को भी सर्विस गारंटी का वायलेशन माना जाएगा और मुआवजा दिलवाया जाएगा। और साथ-साथ एक और इम्पोर्टैण्ट चीज कर रहे हैं कि इन सर्विसेज पर अलग-अलग ऑफिसर्स काम करते हैं। उनके ऊपर भी बहुत तरह तरह के प्रेशर रहते हैं वर्क लोड। तो एक सर्विस परफॉर्मेन्स इन्सेन्टिव फण्ड इसके पहले सरकार लेकर के आएगी और हरेक डिपार्टमेंट के पास में और सर्विस परफॉर्मेन्स इन्सेन्टिव फण्ड उन ऑफिसर्स को दिया जाएगा जो लोगों की जिंदगी आसान करने की गारंटी का जो

ये कानून है, इसको ठीक से पालन कर रहे हैं तो इस कानून को ठीक से पालन करने वाले अधिकारियों को एक तरह से सरकार रिवार्ड दे रही है। लोगों का काम समय सीमा में तय करने वाले अधिकारियों को कर्मचारियों को सरकार पूरी तरह से रिवार्ड देगी और उनका पूरा प्रमोशन किया जाएगा उनके नाम वेबसाईट पर डाले जाएंगे इस डिपार्टमेंट के इस ऑफिसर्स ने अपने काम इतने समय पर लौटाएं। और उनका पूरा ट्रैक रिकार्ड उनकी फाईल्स में लिखा जाएगा। ताकि जो ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम ठीक से करें, उसको रिवार्ड मिले फाईनेंसियल रिवार्ड भी मिले और डिगनीटी भी मिले और जो ठीक से काम न करे उसको फाइनेंशियल पनिशमेंट भी मिले। तो ये इस कानून की भूमिका है अध्यक्ष महोदय। मेरे हिसाब से वास्तव में आम आदमी का कानून है जैसा मैंने कहा कि आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने की गारंटी का कानून है। ' we the people of India' को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है और व्यवहारिक कानून है। मैं सदन की अनुमति से इस दिल्ली समयबद्ध सेवार्थ प्रदानार्थ नागरिक अधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11) को सदन में पुरःस्थापित करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : इस बिल पर चर्चा कल करेंगे। एक अच्छा दृश्य सामने देख रहे होंगे। मैं चर्चा कर दूं हमारे जो Dy. Secretary अधिकारी बैठे हैं आज एक स्पेशल ड्रेस में हैं। ये ड्रेस कोड भी तय कर दिया है। अब सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 24.11.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत-बहुत सभी सदस्यों का धन्यवाद।

(सदन दिनांक 24.11.2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

विषय-सूची

सत्र-2 भाग (1) सोमवार, 23 नवम्बर, 2015/02 अग्रहायण, 1937 (शक) अंक-17

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	3–4
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4–6
4.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	7–11
5.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	11–52
6.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	55–88
7.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	88–128
8.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	128–154
9.	विधयकों का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण	154–197